



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092025-266036
CG-DL-E-09092025-266036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]
No. 622]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2025

फा. सं. एल-1/261/2021/केविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के उप-धारा (1) के खण्ड (ग) और धारा 40 के खण्ड (ग), धारा 38 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), धारा 2 के खण्ड (47) के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा (2) के खण्ड (जेडई) और धारा 178 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके पश्चात् 'मूल विनियम' के रूप में संदर्भित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2025 है।
- ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2.1 का संशोधन :

- एक नया खण्ड, अर्थात् खण्ड (ज-i) को मूल विनियम के विनियम 2.1 में निम्नानुसार खण्ड (ज) के बाद जोड़ा जाएगा:

"(ज-i) "आईएसटीएस सबस्टेशनों के क्लस्टर" योजनाबद्ध या कार्यान्वयन के अधीन या निर्माणाधीन या वाणिज्यिक प्रचालन पहले ही प्राप्त कर चुके आईएसटीएस सबस्टेशनों के लिए सीटीयू द्वारा अपनी वेबसाइट (भौगोलिक सामीप्य, तकनीकी संभाव्यता, आईएसटीएस नियोजन, स्थलाकृतिक प्रतिफलों सहित समूहीकरण के मानदंड निर्दिष्ट करने वाली विस्तृत क्रियाविधि के आधार पर समूहीकृत) पर एक या एक से अधिक समूहबद्ध और घोषित किए गए आईएसटीएस सब-स्टेशन अभिप्रेत हैं।"

- 2.2** मूल विनियमों के विनियम 2.1 में खंड (ट) के बाद एक नया खंड, अर्थात्, खंड (ट—i) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(ट—i) “संयोजकता अनुदानग्राही” से वह इकाई अभिप्रेत है जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है और इन विनियमों के विनियम 10 के अधीन (कैट—1) संयोजकता करार पर हस्ताक्षर किया है;”

- 2.3** मूल विनियमों के विनियम 2.1 के खंड (न) के बाद एक नया खंड (न—क) निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

“(न—क) “होस्ट आरएलडीसी” से उस प्रदेश के लिए आरएलडीसी अभिप्रेत है जिसमें वह राज्य है जहाँ इकाई भौगोलिक रूप से स्थित है;”

- 2.4** मूल विनियमों के विनियम 2.1 के खंड (कट) के बाद निम्नलिखित नए खंड, अर्थात्, खंड (कट—i), खंड (कट—ii) और खंड (कट—iii) निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

“(कट—i) “सौर घंटों” से प्रत्याशित सौर इंसोलेशन के आधार पर प्रत्येक राज्य या उसके भाग के लिए सोमवार से रविवार प्रत्येक सप्ताह से आरंभ करते हुए उत्तरवर्ती सप्ताह के लिए एनएलडीसी द्वारा जारी की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि के आधार पर, प्रत्येक शुक्रवार को एनएलडीसी द्वारा यथा घोषित दिन के समय ब्लॉक अभिप्रेत है;

कट—ii) “सौर घंटा पहुंच” से इन विनियमों के अनुबंध—IV और विनियम 5.11 के अनुसार पूरे दिन में आहरण अधिकारों और संयोजकता की मात्रा तक सीमित सौर स्रोत के अलावा की क्षमता के लिए गैर सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण शेड्यूलिंग अधिकारों और संयोजकता की मात्रा के लिए सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण शेड्यूलिंग अधिकारों के साथ पहुंच अभिप्रेत है;”

(कट—iii) “गैर—सौर घंटों” से समान दिन के ‘सौर घंटों’ के अलावा समय ब्लॉक अभिप्रेत है;

(कट—iv) “गैर—सौर घंटा पहुंच” से इन विनियमों के अनुबंध—IV और विनियम 5.11 के अनुसार पूरे दिन में आहरण अधिकारों और गैर—सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण शेड्यूलिंग अधिकार के साथ पहुंच अभिप्रेत है;”

3. मूल विनियमों के विनियम 3.7 का संशोधन:

- 3.1** मूल विनियमों के विनियम 3.7 को विनियम 3.7, 3.8 और 3.9 के साथ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“**3.7. संयोजकता या जीएनए के लिए आवेदन का वापस लिया जाना और बैंक गारंटी का निपटान:—**

- 3.7.1** यदि इन विनियमों के विनियम 7 या इन विनियमों के विनियम 22 के निबंधनों के अनुसार संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान से पूर्व संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने के लिए किसी आवेदन को वापस लिया जाता है, तो नोडल एजेंसी ऐसे मामलों का निपटान निम्नलिखित ढंग से करेगी:

(क) आवेदन शुल्क का 50% जब्त कर लिया जाएगा।

(ख) इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग) के अनुसार प्रस्तुत की गई बीजी, आवेदन शुल्क का शेष 50% नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा:

- 3.7.2** यदि संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान (इन विनियमों के विनियम 7 के अनुसार) से पूर्व या जीएनए के अनुदान (इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन इकाई के लिए) से पूर्व उस सब—स्टेशन जिस पर संयोजकता या जीएनए नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आवेदक द्वारा सहमति दी गई है, पूरी मात्रा के लिए पारिषण क्षमता की अनुपलब्धता के आधार पर आंशिक मात्रा के लिए संयोजकता के अनुदान या जीएनए के अनुदान हेतु कोई आवेदन वापस लिया गया है, वहाँ ऐसे आशोधन को निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा:

(क) इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग), यथा स्थिति, अनुसार प्रस्तुत की गई बीजी, वापस ली गई ऐसी अनुपातिक मात्रा के लिए आवेदन वापस लेने के 15 दिनों के अंदर आवेदक को वापस की जाएगी।

(ख) इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ख) या इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) के अधीन कवर किए गए आवेदकों के लिए, आवेदक वापस ली गई मात्रा के तदनुरूप भूमि दस्तावेजों के विवरण इन दस्तावेजों के रिलीज के उद्देश्य से सूचित करेगा।

(ग) इस प्रकार का आंशिक आहरण इस शर्त के अधीन होगा कि शेष क्षमता इन विनियमों के विनियम 4.1 या विनियम 17.1 के अनुसार न्यूनतम क्षमता को पूरा करती है।

(घ) पूरी मात्रा के आहरण का निपटान इन विनियमों के विनियम 3.7.1 के अनुसार किया जाएगा”।

3.7.3 यदि संयोजकता के अनुदान के लिए किसी आवेदन को संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान के बाद और संयोजकता के अंतिम अनुदान से पूर्व वापस लिया जाता है, तो नोडल एजेंसी ऐसे मामले का निपटान निम्नलिखित ढंग से करेगी:

- (क) आवेदन शुल्क का 100% जब्त कर लिया जाएगा।
- (ख) इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग), यथास्थिति, के अनुसार प्रस्तुत की गई बीजी का 5% जब्त कर लिया जाएगा, और बीजी का शेष 95% आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा।
- (ग) यदि कॉन बीजी1 और कॉन-बीजी3, यथा लागू, प्रस्तुत की गई है, तो कॉन बीजी-1 का नकदीकरण किया जाएगा और कॉन-बीजी3 आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी।
- (घ) यदि कॉन-बीजी2 प्रस्तुत की गई है और वापस लिए जाने की तारीख को एटीएस या टर्मिनल बे कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई है, तो कॉन-बीजी2 का नकदीकरण किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ वापस लिए जाने की तारीख को एटीएस या टर्मिनल बे कार्यान्वयन के लिए प्रदान नहीं की गई है, वहाँ कॉन-बीजी2 आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी।
- (ङ) आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन बंद कर दिया जाएगा;

3.7.4 यदि संयोजकता के अंतिम अनुदान के बाद परंतु संयोजकता करार के हस्ताक्षरीकरण से पूर्व संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए किसी आवेदन को वापस लिया जाता है, तो नोडल एजेंसी ऐसे मामलों का निपटान निम्नलिखित ढंग से करेगी:

- (क) आवेदन शुल्क का 100% जब्त कर लिया जाएगा।
- (ख) इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग), यथास्थिति, के अनुसार प्रस्तुत की गई बीजी का 15% जब्त कर लिया जाएगा और बीजी का शेष 85% आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा।
- (ग) कॉन बीजी-1 का नकदीकरण किया जाएगा और कॉन-बीजी3 आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी
- (घ) यदि कॉन-बीजी2 प्रस्तुत की गई है और वापस लिए जाने की तारीख को एटीएस या टर्मिनल बे कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई है, तो कॉन-बीजी2 का नकदीकरण किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ वापस लिए जाने की तारीख को एटीएस या टर्मिनल बे

कार्यान्वयन के लिए प्रदान नहीं की गई हैं, वहाँ कॉन-बीजी2 आवेदक को आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी।

(ड) आवेदन वापस लिए जाने के 15 दिनों की अवधि के अंदर आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन बंद कर दिया जाएगा;

3.7.5 संयोजकता या जीएनए प्रदान किए जाने के लिए किसी आवेदन के वापस लिए जाने को खंड 3.7.2 के अधीन केवल आंशिक मात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी और इस विनियम के खंडों 3.7.3 और 3.7.4 के अधीन अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.7.6 इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ख) या खंड (xi)(ख) के अधीन संयोजकता के वापस लिए जाने, प्रतिसंहरण या त्याग किए जाने के मामले में, तदनुरूपी मात्रा के लिए प्रस्तुत भूमि दस्तावेज, ऐसे वापस लिए जाने या प्रतिसंहरण या त्याग किए जाने के अनुमोदन के 15 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा रिलीज किए जाएंगे।

3.8. जिस आवेदक की बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण किए जाने की आवश्यकता है, उसके पास इन विनियमों के अधीन बीजी के ऐसे नकदीकरण की एवज में ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से समतुल्य राशि का भुगतान करने का विकल्प होगा इस शर्त के अधीन कि नोडल एजेंसी द्वारा प्रतिसंहरण की तारीख को या उससे पूर्व ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामले (मामलों) में, नोडल एजेंसी ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से समतुल्य राशि की प्राप्ति के पुष्टिकरण के 15 कार्यदिवसों के अंदर बीजी वापस करेगी।

3.9 उन मामलों में जहाँ कार्यान्वयन के लिए एटीएस या टर्मिनल बे (बेज) को कार्य नहीं दिया गया है और इन विनियमों के संदर्भ में कॉन-बीजी2 वापस की जानी है, वहाँ नोडल एजेंसी कॉन-बीजी2 के वापस किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे एटीएस या टर्मिनल बे (बेज) के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता की समीक्षा करेगी।”

4. मूल विनियमों के विनियम 4.1 का संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 4.1 के खंड (घ) के आरंभ में शब्द “50 मेगावाट और उससे अधिक की मात्रा के लिए” जोड़े जाएंगे।

4.2 मूल विनियमों के विनियम 4.1 के खंड (ड) के परंतुक के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:

“और पहले से ही आईएसटीएस में संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन इन विनियमों के विनियम 2.1(म)(ii) के अधीन ‘लीड उत्पादनकर्ता’ के रूप में कार्य करेगा।”

5. नया विनियम 4.4, 4.5, 4.6:

5.1 मूल विनियमों के विनियम 4.3 के बाद नए विनियम, अर्थात्, 4.4, 4.5 और 4.6 निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

“4.4 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) प्रणाली जिसे आईएसटीएस के रूप में घोषित किया गया है, बीबीएमबी के पारेषण नेटवर्क से संयोजित होने के लिए आरईजीएस या ईएसएस से संयोजकता प्रदान किए जाने की मांग करने वाला आवेदन, जिसे इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर नहीं किया गया है, उसे इस विनियम के खंडों 4.4.1 से 4.4.4 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से किया जाएगा और संसाधित किया जाएगा:

4.4.1 5 मेगावाट और उससे अधिक परंतु 50 मेगावाट से कम की संस्थापित क्षमता के साथ, लीड उत्पादनकर्ता या लीड ईएसएस, यथास्थिति, के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, बीबीएमबी के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा प्रचालित या प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी द्वारा चयनित आरईजीएस या ईएसएस, बीबीएमबी की पारेषण लाइन या सबस्टेशन वाले बीबीएमबी नेटवर्क में संयोजकता की मांग कर सकता

है। ऐसी इकाई रु.5लाख/आवेदन के आवेदन शुल्क और ऐसी इकाई के लिए बीबीएमबी द्वारा आयोजित प्रणाली अध्ययन के साथ नोडल एजेंसी को आवेदनप्रस्तुत करसकती है।

4.4.2 इस विनियम के खंड 4.4.1के अधीन कवर किए गए आरईजीएस या ईएसएस एलओए या पीपीए या भूमि या भूमि के एवज में बीजी (इन विनियमों के विनियम 5.8के अधीन), कॉन-बीजी1,कॉन-बीजी2,कॉन-बीजी3(इन विनियमों के विनियम 8के अधीन) और वन-टार्म जीएनए प्रभारों (इन विनियमों के विनियम 40.2के अधीन) के प्रस्तुतिकरण के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

4.4.3 बीबीएमबी के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा प्रचालित या प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी द्वारा चयनित 5मेगावाट से कम की संस्थापित क्षमता के साथ आरईजीएस या ईएसएस, बीबीएमबी के सबस्टेशन या पारेषण लाइन या उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड वाले बीबीएमबी नेटवर्क में संयोजकता की मांग ऐसी संयोजकता के लिए बीबीएमबी एसएलडीसी को आवेदन करके कर सकता है और बीबीएमबी एसएलडीसी के अनुमोदन के बाद बीबीएमबी के नेटवर्क में संयोजकता प्राप्त कर सकता है। एसएलडीसी का अनुमोदन रिकॉर्ड के लिए नोडल एजेंसी को रु.5लाख/परियोजना के शुल्क के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

4.4.4 इस विनियम के खंड 4.4.3 के अधीन कवर किए गए आरईजीएस या ईएसएस के लिए, एलओए, या पीपीए या भूमि या भूमि के एवज में बीजी (इन विनियमों के विनियम 5.8 के अधीन), कॉन-बीजी1, कॉन-बीजी2, कॉन-बीजी3 (इन विनियमों के विनियम 8 के अधीन) के प्रस्तुतिकरण के उपबंध और वन-टार्म जीएनए प्रभार (इन विनियमों के विनियम 40.2 के अधीन) लागू नहीं होंगे।

4.4.5 एनआरएलडीसी, इन विनियमों की अधिसूचना के 60 दिनों की अवधि के अंदर, इन विनियमों के विनियम 4.4 के अधीन कवर किए गए उत्पादन स्टेशनों के लिए अनुसूचीकरण विनिर्दिष्ट करने वाली पृथक क्रियाविधि और लेखांकन पद्धति जारी करेगा।

4.5 व्यक्तिगत रूप से 50 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ पवन स्रोत या ईएसएस पर आधारित या लीड उत्पादनकर्ता या लीड ईएसएस के माध्यम से 50 मेगावाट या उससे अधिक की सकल संस्थापित क्षमता के साथ आरईजीएस, यथास्थिति, निम्नलिखित के लिए संयोजकता की मांग कर सकता है:

(क) इन विनियमों के अनुबंध-IV के अधीन पहचाने गए सबस्टेशनों के संबंध में इन विनियमों के विनियम 4.1 के साथ पठित इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन गैर-सौर घंटा पहुंच के लिए।

या

(ख) इन विनियमों के विनियम 4.1के अधीन पूर्ण दिवस पहुंच।

4.6 सौर स्रोत पर आधारित आरईजीएस या अन्य स्रोत के साथ सौर स्रोत के संयोजन के साथ आरएचजीएस पर इन विनियमों के विनियम 4.1और इन विनियमों के विनियम 5.11(ख) और 5.11(ग), यथास्थिति, के अधीन संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए सौर घंटा पहुंच के साथ इकाई के रूप में विचार किया जाएगा। ऐसी इकाई को पूर्ण दिवस पहुंच प्रदान की जाएगी यदि पहुंच की मात्रा जिसे खंड 5.11(क) के अधीन अन्य इकाई को गैर-सौर घंटों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है, 50मेगावाट के कम है।

6. मूल विनियमों के विनियम 5.1 का संशोधन:

6.1 मूल विनियमों के विनियम 5.1 के द्वितीय परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“परंतु यह कि यदि ऐसा आवेदक आरईजीएस जो इन विनियमों के विनियम 5.8(xi)(क) के अधीन एलओए या पीपीए के आधार पर आवेदन करता है या नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन या भंडारण के साथ आरईजीएस है, तो वह संस्थापित क्षमता के बराबर या उससे कम मात्रा के लिए संयोजकता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर सकता है।”

7. मूल विनियमों के विनियम 5.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

7.1 मूल विनियमों के विनियम 5.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“5.2 विनियम 5.1 में किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन कवर की गई इकाई, नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ किसी अन्य इकाई के स्वामित्व वाली क्षमता सहित उसे प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा के अंदर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, या ईएसएस संस्थापित करने की पात्र होगी:

(क) मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही, अतिरिक्त क्षमता के लिए संयोजकता मांगने हेतु आवेदन करेगा। आवेदन को नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता के सिद्धांततः अनुमोदन के लिए और इन विनियमों के विनियमों 6 से 8 के उपबंधों के अनुसार संयोजकता के अंतिम अनुदान हेतु इस अपवाद के साथ संसाधित किया जाएगा कि अंतःक्षेपण के उद्देश्य से ऐसी अतिरिक्त क्षमता को संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए आईएसटीएस के किसी संवर्धन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी अतिरिक्त क्षमता पर मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही को पहले से ही प्रदान की गई संयोजकता मात्रा के भीतर विचार किया जाएगा।

(ख) मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही, विनियम 2.1 (म)(ii) या विनियम 2.1 (भ)(ii), यथास्थिति, के अनुसार ‘लीड उत्पादनकर्ता’ या ‘लीड ईएसएस’ के रूप में ऐसी अतिरिक्त क्षमता के लिए आयोग के अन्य विनियमों और ग्रिड कोड के साथ अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगी:

(ग) किसी समय—बिंदु में निवल अंतःक्षेपण, मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही को अनुज्ञात निवल अंतःक्षेपण (अनुदान की गई संयोजकता की मात्रा के अंदर) से अधिक नहीं होगा।

(घ) यदि मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही स्टैंडअलोन ईएसएस या भंडारण सहित आरईजीएस है, तो किसी समय—बिंदु पर निवल आहरण संयोजकता की मात्रा के भीतर अतिरिक्त अनुज्ञातआहरण की मात्रा से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह कि यदि ग्रिड से अतिरिक्त आहरण मात्रा संयोजकता की मात्रा के अंदर अतिरिक्त क्षमता के लिए आवश्यक है, तो वह उपलब्ध मार्जिन के आधार पर या संवर्धन के साथ, यथास्थिति, नोडल एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ङ) इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार संयोजकता बैंक गारंटी (कॉन—बीजी1 और कॉन—बीजी3), संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान की सूचना के एक मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त क्षमता (मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही या अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वित करने वाली इकाई) के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जिसके न होने पर नोडल एजेंसी अतिरिक्त क्षमता के लिए सिद्धांततः अनुमोदन को प्रतिसंहत करेगा।

(च) यदि संयोजकता की मात्रा के भीतर ऐसे अतिरिक्त आहरण की अनुमति के लिए संवर्धन की आवश्यकता है, तो इकाई को इन विनियमों, यदि लागू हो, के विनियम 8 के अनुसार कॉन—बीजी2 प्रस्तुत करेगा, जैसा कि नोडल एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है।

(छ) ऐसी अतिरिक्त क्षमता के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख (एससीओडी) नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान की तारीख से 24 मास से अधिक नहीं होगी, यदि अतिरिक्त क्षमता आरईजीएस (ईएसएस सहित या रहित)(हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी के अलावा) है:

परंतु यह और कि यदि एससीओडी इस खंड के अनुसार मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही की संयोजकता की निर्धारित आरंभ तारीख से पूर्व होती है, जिसके बाद अतिरिक्त क्षमता परिवर्धित की जानी है, तो अतिरिक्त क्षमता के लिए एससीओडी को, मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही की 'संयोजकता की निर्धारित आरंभ तारीख' के रूप में माना जाएगा।

- (ज) ऐसी अतिरिक्त क्षमता के लिए इन विनियमों के विनियम 5.8(xi), यथालागू, के अधीन आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (झ) ऐसी अतिरिक्त क्षमता इन विनियमों के विनियम 11, विनियम 11ख, और विनियम 24 सहित अन्य विनियमों के अध्वधीन होगी।
- (ञ) यदि इस विनियम के अधीन अतिरिक्त क्षमता के लिए किया गया आवेदन किसी भी चरण में वापस लिया जाता है, तो आवेदन के ऐसे वापस लिए जाने का निपटान इन विनियमों के विनियम 3.7 के अनुसार किया जाएगा।
- (ट) इन विनियमों के विनियम 40.2 के अधीन वन-टाईम जीएनए प्रभार ऐसी अतिरिक्त क्षमता के लिए लागू नहीं होंगे।"

8. नया विनियम 5.2क

- 8.1 मूल विनियमों के विनियम 5.2 के बाद एक नया विनियम 5.2क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"5.2क भंडारण के साथ आरईजीएस, संयोजकता के लिए आवेदन में आरईजीएस के संस्थापित क्षमता और भंडारण के आधार पर संयोजकता की मात्रा के अंदर ग्रिड (भंडारण के लिए विद्युत चार्जिंग के उद्देश्य हेतु) से अंतःक्षेपण की अधिकतम मात्रा और आहरण आवश्यकता की अधिकतम मात्रा विनिर्दिष्ट करेगा। ऐसी इकाई, आवेदक द्वारा मांगी गई अंतःक्षेपण की अधिकतम मात्रा और आहरण की अधिकतम मात्रा के लिए ऐसी संयोजकता के अधीन विद्युत को अनुसूचित करने का पात्र होगा जैसा कि संयोजकता के अंतिम अनुदान में उल्लिखित है। स्टार्ट-अप विद्युत या आनुषंगिक विद्युत के आहरण के लिए, टी-जीएनए या टीडीआर के अधीन पारेषण प्रभार शेयरिंग विनियम के अनुसार ऐसी इकाई, यथा लागू, द्वारा देय होंगे।"

9. मूल विनियमों के विनियम 5.4 का संशोधन:

- 9.1 मूल विनियमों के विनियम 5.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"5.4 वह आवेदक जो स्टैंडअलोन ईएसएस है, आईएसटीएस में अपनी प्रस्तावित अधिकतम अंतःक्षेपण या आईएसटीएस से प्रस्तावित अधिकतम आहरण, जो भी अधिकतर हो, के लिए संयोजकता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करेगा। ईएसएस संयोजकता के लिए अपने आवेदन में आईएसटीएस में अंतःक्षेपण की अधिकतम मात्रा या आईएसटीएस से आहरण की अधिकतम मात्रा का उल्लेख करेगा। ऐसी इकाई आवेदक द्वारा मांगी गई अंतःक्षेपण की अधिकतम मात्रा और आहरण की अधिकतम मात्रा और संयोजकता के अंतिम अनुदान में यथा उल्लिखित मात्रा के लिए ऐसी संयोजकता के अधीन अनुसूचित विद्युत हेतु पात्र होगी।"

10. मूल विनियमों के विनियम 5.5 का संशोधन:

- 10.1 मूल विनियमों के विनियम 5.5 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता जो कि 500मेगावाट से अधिक की मात्रा के लिए प्राधिकृत है, वह संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए चरणबद्ध रूप में आवेदन करने के लिए पात्र होगा जहाँ प्रथम चरण में संयोजकता के लिए आवेदन 300मेगावाट से कम नहीं होगा, और शेष प्राधिकृत मात्रा के लिए आवेदन, प्रत्येक चरण में 50मेगावाट की न्यूनतम मात्रा के अधधीन, विभिन्न चरण में होगा।”

11. मूल विनियमों के विनियम 5.6का संशोधन:

11.1 मूल विनियमों के विनियम 5.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“5.6. कोई आवेदक संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन टर्मिनल बे स्विचयार्ड, और समर्पित पारेषण लाइनों, यथास्थिति, की शेयरिंग के लिए आवेदक और उक्त इकाई के बीच विधिवत रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ (i) उस अन्य इकाई को पहले से ही आबंटित आईएसटीएस सब-स्टेशन की टर्मिनल बे पर जिसे इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन संयोजकता के सिद्धांततः या अंतिम अनुमोदन सूचित किया गया है या (ii) आईएसटीएस [विनियम 4.1 (ड) के अधीन आवेदन] में संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड, या (iii) इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाई को पहले से ही आबंटित आईएसटीएस सब-स्टेशन के टर्मिनल बे पर कर सकता है। इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार लागू संयोजकता बैंक गारंटी ऐसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह कि जहाँ आवेदक इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन आईएसटीएस में संयोजकता सहित कवर की गई इकाई की टर्मिनल बे या स्विचयार्ड में संयोजकता मांगता है, वहाँ आवश्यक मीटरिंग, लेखांकन, और शेड्यूलिंग व्यवस्थाएं सीटीयू, सीईए, आरपीसी, और आरएलडीसी के साथ परामर्श में इस संबंध में एनएलडीसी द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।”

12. मूल विनियमों के विनियम 5.8 का संशोधन:

12.1 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (ix)को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ix) इन विनियमों के विनियम 5.6 के अधीन कवर किए गए आवेदक के मामले में, टर्मिनल बे, स्विचयार्ड, और समर्पित पारेषण लाइनों, यथास्थिति, को शेयर करने के लिए आवेदक और इकाई, जिसे इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन संयोजकता का सिद्धांततः या अंतिम अनुदान सूचित किया गया है या इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाई या आईएसटीएस में संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के बीच करार।”

12.2 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) और खंड (xi) के उप-खंड (क), खंड (xi) के उप-खंड (ख) और (ग) के अलावा, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(xi)उन आवेदकों के मामले में जो आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन या ईएसएस (पंपड भंडारण संयंत्र (पीएसपी) को छोड़कर) के अलावा) हैं, दस्तावेज उप-खंड (क) या उप-खंड (ख), या उप-खंड (ग) के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे जैसा कि निम्नानुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) द्वारा, या टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली, यथास्थिति, के परिणामस्वरूप (i)नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या (ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या (iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से प्राधिकृत एजेंसी, या (iv) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष जो उत्पादन स्टेशन के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है (आरईजीएस के अलावा जो आरईजीएस से प्रदत्त विद्युत द्वारा अपने अनुसूचित उत्पादन को प्रतिस्थापित कर रहा है), के साथ किया गया विद्युत क्रय करार (पीपीए):

परंतु यह कि:

- (i) आरईजीएस के मामले में, ऐसे एलओए या पीपीए के आधार पर आवेदन के लिए, आवेदक उस मात्रा तक संयोजकता की मात्रा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा जिसके लिए एलओए प्रदान किया गया है या पीपीए निष्पादित किया गया है या एलओए या पीपीए में उपबंधित संस्थापित क्षमता, जो भी निम्नतर हो। संतुलन क्षमता के लिए, यदि कोई हो, आवेदक इन विनियमों के विनियम 5.8(xi)(ख) या विनियम 5.8(xi)(ग) के अधीन अतिरिक्त संयोजकता मांगने हेतु पात्र होगा;
- (ii) किसी आवेदक के बहु-अवस्थित आरईजीएस होने के मामले में, जहाँ एकल एलओए या पीपीए में कई स्थानों पर परियोजनाओं की स्थापना की व्यवस्था है, वहाँ आवेदक उस मात्रा तक जिसके लिए एलओए प्रदान किया गया है या पीपीए निष्पादित किया गया है या ऐसे स्थान पर एलओए या पीपीए में उपबंधित संस्थापित क्षमता, जो भी निम्नतर हो, किसी एक स्थान पर ऐसे एलओए या पीपीए के आधार पर संयोजकता हासिल करने का पात्र होगा। संतुलन क्षमता के लिए, यदि कोई हो, इस स्थान पर और एलओए या पीपीए में उपबंधित अन्य स्थानों पर क्षमता के लिए आवेदक इन विनियमों के विनियम 5.8(xi)(ख) या विनियम 5.8(xi)(ग) के अधीन अतिरिक्त संयोजकता मांगने हेतु पात्र होगा।
- (iii) इस खंड के उप-खंडों (i) और (ii) के अधीन कवर किए गए आवेदक के लिए, जहाँ एलओए या पीपीए की मात्रा, उस स्थान जिस पर ऐसी एलओए के आधार पर संयोजकता मांगी गई है, पर एलओए में उल्लिखित संस्थापित क्षमता से कम है और इकाई ऐसे स्थान पर एलओए या पीपीए की मात्रा से अधिक मात्रा के लिए संयोजकता की मांग करने का इच्छुक है, तो वह ऐसे स्थान के लिए संयोजकता की शेष मात्रा के लिए इन विनियमों के विनियम 5.8(xi) के खंड (ख) या खंड (ग) के आधार पर दस्तावेजों के साथ और आंशिक मात्रा के लिए एलओए या पीपीए के साथ एकल आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। नोडल एजेंसी ऐसे संयोजकता के अनुदान को उस एकल परियोजना के रूप में मांगी गई संयोजकता की पूरी मात्रा मानते हुए संसाधित करेगी जहाँ ऐसी परियोजना के लिए एससीओडी पर ऐसे स्थान पर एलओए या पीपीए के आधार पर विचार किया जाएगा। विनियम 11क के अधीन भूमि दस्तावेज के अनुपालन को विनियम 5.8(xi) के खंड (ख) या (ग) के अधीन कवर की गई संयोजकता की मात्रा के लिए पूरा किया जाएगा। विनियम 11क के अधीन वित्तीय समापन के अनुपालन को एलओए या पीपीए के आधार पर एससीओडी को ध्यान में रखते हुए संयोजकता की पूरी मात्रा के लिए पूरा किया जाएगा। ऐसे मामले के लिए एससीओडी, विनियम 24.6(1)(क) के उद्देश्य से एलओए या पीपीए की होगी।
- (iv) आवेदक ऐसी क्षमता की सीओडी की घोषणा से एक मास की अवधि के अंदर परियोजना की संस्थापित क्षमता के लिए भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। नोडल एजेंसी ऐसे भूमि दस्तावेजों को मैप करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ऐसे भूमि दस्तावेज नई संयोजकता या भूमि पार्सल में परिवर्तन मांगते समय किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हों।

12.3 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के बाद एक नया खंड (xii) निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

“(xii) उन आवेदकों के मामले में जो आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन या ईएसएस (पंप्ड भंडारण संयंत्र (पीएसपी) को छोड़कर) के अलावा) हैं, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(क) प्रवर्तकों का विवरण और कंपनी एवं उनका शेयरहोल्डिंग पैटर्न।

(ख) उस क्षमता के लिए अनंतिम उत्पादन और आहरण प्रोफाइल जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है।”

13. नया विनियम 5.9, विनियम 5.10 और विनियम 5.11

13.1. मूल विनियमों के विनियम 5.8 के बाद नए विनियम, अर्थात्, विनियम 5.8 से विनियम 5.11 निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

“5.9. इन विनियमों के विनियम 11क के अधीन अनुपालन पूरा करने के उद्देश्य से, भूमि आवश्यकता की मात्रा/मेगावाट और अनुमानित परियोजना लागत/मेगावाट सीटीयू की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। उपर्युक्तभूमि आवश्यकता/मेगावाट और अनुमानित परियोजना लागत/मेगावाट की संगणना की जाएगी और सीईए के साथ परामर्श मेंहितधारकों से फीडबैक के आधार पर समय-समय पर अद्यतित की जाएगी।

5.10 इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii) या इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंडों (ख) से (ग) के अधीन कवर किया गया आवेदक, नोडल एजेंसी के अनुमोदन से संयोजकता मांगते समय यथा प्रस्तुत से पृथक (पूर्णतया या आंशिक रूप से) भूमि पार्सल पर अपनी परियोजना निम्नानुसार कार्यान्वित कर सकता है:

- (क) आवेदक नए भूमि पार्सल के लिए दस्तावेजों और पुराने भूमि पार्सलों की पहचान (जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाना है) के साथ औपचारिक अनुरोध करेगा ताकि कुल भूमि पार्सल संयोजकता की क्षमता के लिए आवश्यक कुल भूमि का 50% हो सके।
- (ख) नए भूमि पार्सलों से संबंधित भूमि दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति, आवेदक को नोडल एजेंसी द्वारा ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सूचित की जाएगी।
- (ग) आवेदक 15 दिनों के भीतर विसंगतियों, यदि कोई हो, में सुधार करेगा जिसके न होने पर भूमि पार्सल (पार्सलों) में परिवर्तन के लिए अनुरोध को आवेदक द्वारा बिना शर्त के वापस लिया मान लिया जाएगा।
- (घ) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसे भूमि पार्सल में परिवर्तन के संबंध में नोडल एजेंसी से पुष्टि प्राप्त होने तक उसके पास मूल भूमि पार्सल हैं। जब तक नोडल एजेंसी द्वारा भूमि परिवर्तन अनुरोध को स्वीकृत किया जाता है, तब तक मूल रूप से प्रस्तुत भूमि दस्तावेजों को किसी अन्य आवेदन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (ङ) नोडल एजेंसी आवेदक को भूमि पार्सल में परिवर्तन के बारे में पुष्टि करेगा और विसंगतियां दूर होने के बाद नए भूमि पार्सलों के संपूर्ण विवरण के प्रस्तुतिकरण के 15 दिनों के भीतर आवेदक को भूमि दस्तावेज रिलीज करेगा।
- (च) भूमि पार्सलों में परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा केवल एक बार अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (छ) भिन्न भूमि पार्सल पर परियोजना के ऐसे कार्यान्वयन के कारण आईएसटीएस के साथ संयोजकता के बिंदु और संयोजकता के आरंभ की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5.11. सौर घंटा पहुंच और गैर-सौर घंटा पहुंच के साथ इकाइयाँ

- (क) पवन स्रोत (ईएसएस के साथ या उसके बिना) या ईएसएस पर आधारित आरईजीएस, आईएसटीएस सबस्टेशन के टर्मिनल बे पर 50 मेगावाट और उससे अधिक की मात्रा के लिए गैर-सौर घंटे पहुंच के साथ संयोजकता की मांग कर सकता है:
 - (i) पृथक समर्पित पारेषण लाइन के माध्यम से, या
 - (ii) जो सौर घंटा पहुंच के साथ किसी अन्य आरईजीएस या नवीकरणीय विद्युत पार्क को पहले से ही आबंटित है

उदाहरण: कोई आरईजीएस (पवन –400मेगावाट, ईएसएस –200मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ) गैर-सौर घंटा पहुंच के साथ 600मेगावाट की संयोजकता मांग सकता है, जहाँ सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार और गैर-घंटों के दौरान

अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार 600मेगावाट होंगे। ऐसा आरईजीएस, दिन के दौरान ग्रिड से आवश्यक अधिकतम आहरण विनिर्दिष्ट करेगा, जो तत्काल उदाहरण में 200मेगावाट हो सकता है। नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन पर, पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अधीन वह दिन के लिए 200मेगावाट आहरित करने के लिए पात्र होगा।

- (ख) सौर स्रोत पर आधारित किसी आरईजीएस (ईएसएस के साथ या उसके बिना) या आरपीपीडी या किसी अन्य स्रोत के साथ सौर स्रोत के संयोजन में किसी आरएचजीएस, जहाँ संयोजकता का सिद्धांततः या अंतिम अनुमोदन सूचित किया गया है या जहाँ जीएनए प्रभावी है, को इस विनियम के प्रभावीकरण की तारीख से तीन मास की समाप्ति के बाद एक सप्ताह की अवधि के भीतर सौर घंटा पहुंच के साथ इकाई (सौर घंटों के लिए संयोजकता, मात्रा के तदनु रूप अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकारों और संयोजकता की मात्रा तक सीमित गैर-सौर घंटों के दौरान सौर स्रोत के अलावा क्षमता के तदनु रूप) के रूप में परिवर्तित किया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसी इकाई के पास इस विनियम के प्रभावीकरण से तीन मास की अवधि के भीतर इन विनियमों के विनियम 5.2 या विनियम 5.11(क) के अधीन अतिरिक्त क्षमता के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा और ऐसी इकाई को सौर घंटा पहुंच के साथ इकाई में परिवर्तित करते समय, नोडल एजेंसी इन विनियमों के विनियम 5.2 या विनियम 5.11(क) के अधीन अतिरिक्त क्षमता के लिए किए गए ऐसे आवेदन पर विचार करेगी:

परंतु यह और कि यदि संयोजकता की मात्रा जिसे गैर-सौर घंटों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है, 50मेगावाट से कम है, तो ऐसे आरईजीएस या आरएचजीएस पर सौर घंटा पहुंच के साथ इकाई में रूपांतरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी इकाई पूर्ण दिवस पहुंच के साथ इकाई बनी रहेगी।

उदाहरण:

- (i) सौर स्रोत पर आधारित किसी आरईजीएस जिसे 1000मेगावाट की संयोजकता प्रदान की गई है, के पास सौर घंटों में 1000मेगावाट के लिए अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार होंगे और गैर-सौर घंटों के दौरान कोई अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार नहीं होंगे। वह आहरण की अनुमोदित मात्रा के लिए दिन के दौरान विद्युत आहरित कर सकता है।
- (ii) आरएचजीएस (संस्थापित क्षमता के साथ: सौर -700मेगावाट, पवन -400मेगावाट, ईएसएस -200मेगावाट) जिसे 1000मेगावाट की संयोजकता प्रदान की गई है, के पास 1000मेगावाट के लिए सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार होंगे और गैर-सौर घंटों के दौरान 600मेगावाट (400मेगावाट पवन +200मेगावाट ईएसएस) के अंतःक्षेपण अधिकार होंगे। वह आहरण की अनुमोदित मात्रा के लिए दिन के दौरान विद्युत आहरित कर सकता है।
- (iii) आरएचजीएस (संस्थापित क्षमता के साथ: सौर -600मेगावाट, पवन -500मेगावाट, ईएसएस -160मेगावाट) जिसे 700मेगावाट की संयोजकता प्रदान की गई है, गैर-सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार गैर-सौर घंटों के लिए 40मेगावाट (700-(500+160)) को छोड़कर 660(500+160मेगावाट) मेगावाट के लिए होंगे और उस पर ऐसे रूपांतरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा चूंकि वह 50मेगावाट से कम है।
- (iv) आरएचजीएस (संस्थापित क्षमता के साथ: सौर -700मेगावाट, पवन -400मेगावाट, ईएसएस -100मेगावाट) जिसे 1000मेगावाट की संयोजकता प्रदान की गई है, और जिसके पास जीएनए विनियमों के विनियम 5.2के अधीन 100मेगावाट की ईएसएस के

लिए अतिरिक्त संयोजकता है, ऐसी इकाई के पास सौर घंटों के दौरान 1000मेगावाट के लिए अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार होंगे और गैर-सौर घंटों के दौरान 600मेगावाट (400मेगावाट पवन +100मेगावाट ईएसएस +100मेगावाट ईएसएस (विनियम 5.2के अधीन अनुज्ञेय))के लिए अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार होंगे।

- (ग) इन विनियमों के विनियम 4.1के अधीन संयोजकता मांगने वाले सौर स्रोत पर आधारित आरईजीएस (ईएसएस के साथ या उसके बिना) या किसी अन्य स्रोत के साथ सौर स्रोत के संयोजन के साथ आरएचजीएस पर सौर घंटा पहुंच के रूप में संयोजकता प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाएगा, यदि गैर-सौर घंटों के लिए पहुंच की मात्रा जिसे किसी अन्य इकाई के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है 50मेगावाट या उससे अधिक है।

उदाहरण: 1000 मेगावाट के लिए संयोजकता मांगने वाले आरएचजीएस (सौर -700 मेगावाट, पवन -400 मेगावाट, ईएसएस -200 मेगावाट) को सौर घंटा पहुंच के साथ संयोजकता प्रदान की जाएगी, जहाँ सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार 1000 मेगावाट के लिए होंगे और गैर-सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण अनुसूचीकरण अधिकार 600 मेगावाट (400 मेगावाट पवन +200 मेगावाट ईएसएस) के लिए होंगे।

- (घ) सौर घंटा पहुंच और गैर-सौर घंटा पहुंच के साथ इकाइयों के लिए विस्तृत प्रकारता इन विनियमों के साथ संलग्न अनुबंध-IV के अनुसार होंगे।

14.नया विनियम 6.3

14.1.मूल विनियमों के विनियम 6.2 के बाद एक नया विनियम 6.3 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

- "6.3. यदि ऐसा संवर्धन अनुमोदित करने हेतु सक्षम प्राधिकरण द्वारा पहचाना गया संवर्धन (एटीएस के साथ या उसके बिना) अनुमोदित नहीं होता है, तो संबद्ध आवेदन नोडल एजेंसी द्वारा बंद कर दिया जाएगा (दिए जाएंगे) और प्रस्तुत की गई बैंक गारंटियाँ, यदि कोई हो, वापस की जाएंगी। विस्तृत प्रकारता नोडल एजेंसी द्वारा जन परामर्श के बाद प्रकाशित की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार होगी।"

15.मूल विनियमों के विनियम 7.2 का संशोधन:

15.1 मूल विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन द्वितीय परंतुक को हटाया जाएगा।

16.मूल विनियमों के विनियम 8.2 का संशोधन:

16.1 मूल विनियमों के विनियम 8.2 के खंड (क) के अधीन प्रथम पंक्ति के रूप में निम्नलिखित पंक्ति अंतर्वेशित की जाएगी:

<132 केवी	रु. 1करोड़
-----------	------------

16.2.मूल विनियमों के विनियम 8.2के खंड (क) के परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि इकाई (i) इन विनियमों के विनियम 12.4के अधीन टर्मिनल का निर्माण स्वयं करने का प्रस्ताव करती है, या (ii) निर्मित या किसी संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा निर्माण किए जा रहे टर्मिनल बे पर संयोजकता मांगता है या इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की इकाई, या (iii) उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड या विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से (इन विनियमों के विनियम 4.1(ड) के

अधीन कवर किए गए आवेदन) संयोजकता मांगता है, तो किसी कॉन-बीजी2प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

17. मूल विनियमों के विनियम 8.3 का संशोधन:

17.1. मूल विनियमों के विनियम 8.3 और 8.4, विनियम 8.3, 8.4, और 8.5 के साथ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

“8.3. इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, जहाँ एटीएस के साथ संवर्धन की आवश्यकता है, वह इकाई जिसे संयोजकता का सिद्धांततः अनुदान सूचित किया गया है, संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान सूचित किए जाने के एक मास के भीतर रु. 50 लाख के लिए कॉन-बीजी1 और एटीएस और टर्मिनल बे की अनुमानित लागत के बराबर कॉन-बीजी2 प्रस्तुत करेगी जिसके न होने पर संयोजकता के लिए आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा।

परंतु यह कि यदि ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे एक से अधिक इकाई के लिए नियोजित किए गए हैं, तो ऐसी इकाई आवेदन की गई संयोजकता की मात्रा के अनुपात में नोडल एजेंसी द्वारा कॉन-बीजी2 सूचित की जाएगी और इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

8.4. इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग) के अनुसार प्रस्तुत की गई कॉन-बीजी1, कॉन-बीजी2, कॉन-बीजी3, और बीजी, इन विनियमों के विनियम 39.1 के अनुसार संयोजकता और जीएनए के लिए जारी विस्तृत क्रियाविधि में अनुबंधित प्रारूप के अनुसार सीटीयू के पक्ष में, भारत सरकार के रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की जाएगी।

8.5. यदि संयोजकता आवेदन इन विनियमों के विनियम 8.2 या विनियम 8.3 के अनुसार समाप्त किया जाता है, तो इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग) के अनुसार प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी का निपटान इन विनियमों के विनियम 3.7.3 के अनुसार किया जाएगा।”

18. मूल विनियमों के विनियम 9.1 का संशोधन:

18.1. मूल विनियमों के विनियम 9.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“9.1. कॉन-बीजी1, कॉन-बीजी2 और कॉन-बीजी3, यथा लागू, की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, नोडल एजेंसी उस इकाई को संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित करेगी जिसे संयोजकता का सिद्धांततः अनुदान सूचित किया गया है। सूचित किए जाने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) इन विनियमों के विनियम 17.1(iii), यथास्थिति, के अधीन कवर की गई इकाई का स्विचयार्ड या उत्पादन स्टेशन का स्विचयार्ड या आईएसटीएस सब-स्टेशन का नाम जहाँ संयोजकता प्रदान की गई है।

(ख) निम्नलिखित के अनुसार आईएसटीएस सबस्टेशन के निर्देशांक, टर्मिनल बे स्थान, तथा आईएसटीएस सबस्टेशन के लिए एकल लाइन डायग्राम जहां कनेक्टिविटी प्रदान की गई है:

(i) आईएसटीएस सब-स्टेशन के मामले में, जिसे वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया है, आईएसटीएस सबस्टेशन के अंतिम निर्देशांक, टर्मिनल बे स्थान और एकल लाइन डायग्राम प्रस्तुत किए जाएंगे;

- (ii) आईएसटीएस के मामले में जो निर्माणाधीन है, आईएसटीएस सबस्टेशन के अनंतिम या अंतिम निर्देशांक, टर्मिनल बे स्थान, और एकल लाइन डायग्राम, जैसा नोडल एजेंसी के पास उपलब्ध है;
- (iii) यदि इस खंड के उप-खंड(i) या (ii) के अधीन कवर किए गए के अलावा किसी आईएसटीएस सब-स्टेशन पर संयोजकता प्रदान की जाती है, तो आईएसटीएस सबस्टेशन के अनंतिम या अंतिम निर्देशांक, टर्मिनल बे स्थान, और एकल लाइन डायग्राम इन विनियमों के विनियम 10.5 के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ग) वोल्टता स्तर सहित समर्पित पारेषण लाइनों की व्यापक डिजाइन विशेषताएं।
- (घ) संयोजकता की आरंभ तिथि, अनंतिम या निश्चित, यथा उपलब्ध। यदि संयोजकता के अंतिम अनुदान में संयोजकता की अनंतिम आरंभ तिथि प्रस्तुत की गई है, तो संयोजकता की निश्चित आरंभ तिथि की सूचना इन विनियमों के विनियम 10.5 के अनुसार दी जाएगी।"

19. नया विनियम 9.3:

19.1. मूल विनियमों के विनियम 9.2 के बाद एक नया विनियम अर्थात् विनियम 9.3 निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

"9.3. स्रोत (स्रोतों) में परिवर्तन

- 9.3.1** वह आवेदक जिसे विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) (ईएसएस के साथ या उसके बिना) पर आधारित उत्पादन परियोजना के लिए आईएसटीएस में संयोजकता का सिद्धांततः अनुदान या संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है, वे समान संयोजकता मात्रा के लिए, आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) (ईएसएस के साथ या उसके बिना) में संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान से 18 मास या जीएनए की प्रभावी तारीख से 18 मास पूर्व, जो भी बाद में हो, के भीतर ऐसे परिवर्तन के लिए अनुमोदन हेतु नोडल एजेंसी को आवेदक के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं।
- 9.3.2** स्रोत के परिवर्तन के लिए अनुरोध की प्राप्ति पर नोडल एजेंसी, यथा अपेक्षा प्रणाली अध्ययन कर सकता है, और आवेदक द्वारा आवेदन के 30 दिनों के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) का परिवर्तन अनुमोदित या रद्द कर सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) में ऐसे परिवर्तन के अनुमोदन पर, इकाई परिवर्तित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) के लिए तकनीकी संयोजन डाटा प्रस्तुत करेगी, और नोडल एजेंसी संयोजकता करार, यदि पहले से हस्ताक्षरित हो, में आवश्यक परिवर्तन करेगी।
- 9.3.3** इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) के अधीन कवर किए गए आवेदक को, जिसे संयोजकता का सिद्धांततः अनुमोदन या संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है, ऊर्जा स्रोत का पुनरीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी यदि पुनरीक्षित स्रोत (इन विनियमों के विनियम 5.9 के अनुसार) के लिए भूमि के 50% की आवश्यकता पहले से प्रस्तुत भूमि दस्तावेजों की मात्रा के से अधिक है, सिवाय इसके कि ऐसी आवश्यकता विशिष्ट स्रोत के लिए पीपीए के हस्ताक्षरीकरण या एलओए प्रदान किए जाने के कारण उत्पन्न हुई है।
- 9.3.4** परंतु यह और कि सौर घंटा पहुंच के साथ इकाई के लिए इन विनियमों के विनियम 9.3 के अधीन स्रोत के परिवर्तन पर विचार गैर-सौर घंटा पहुंच की केवल उस सीमा तक किया जाएगा जिसे किसी अन्य इकाई (इकाइयों) को प्रदान नहीं किया गया है।
- 9.3.5** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) के परिवर्तन की अनुमति किसी संयोजकता अनुदानग्राही के लिए केवल एक बार दी जाएगी।

9.3.6 नोडल एजेंसी आवेदन के समय विकासकर्ताओं द्वारा स्रोत की तत्पर घोषणा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया जारी करेगी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) में परिवर्तन की अनुमति के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित किया जाएगा।

20. मूल विनियमों के विनियम 10.1 का संशोधन:

20.1 मूल विनियमों के विनियम 10.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"10.1 इन विनियमों के विनियम 9.1 के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता के अंतिम अनुदान की सूचना के 30 दिनों के भीतर, नोडल एजेंसी और उस इकाई के बीच संयोजकता करार (कैट-1) हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित किया गया है। संयोजकता करार के हस्ताक्षरीकरण पर, ऐसी इकाई संयोजकता अनुदानग्राही बन जाएगी। संयोजकता अनुदानग्राही भौतिक संयोजन के कम से कम 1 (एक) वर्ष पूर्व नोडल एजेंसी को अन्य बातों के साथ-साथ, विनियम 39.1 के अनुसार जारी संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथा निर्धारित तकनीकी संयोजन डाटा, त्रुटि अध्ययन के लिए उत्पादक डाटा, गतिक अनुकृति डाटा, डाटा और स्वर संचार के विवरण प्रस्तुत करेगा।"

21. विनियम 10.3 का संशोधन:

21.1 विनियम 10.3 को हटाया जाएगा।

22. मूल विनियमों के विनियम 10.4, विनियम 10.5, और विनियम 10.6 का संशोधन:

मूल विनियमों के विनियम 10.4, विनियम 10.5, विनियम 10.6 और विनियम 10.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"10.4 विनियम 10.1 में उल्लिखित तकनीकी संयोजन डाटा और विनियम 10.2 में रेखांकित संयोजन विवरण, संयोजकता करार का हिस्सा होंगे। संयोजकता अनुदानग्राही विनियम 10.2 में उल्लिखित संयोजन विवरण के जारी होने पर संयोजकता करार (कैट-2) करेगा। कैट-2 करार को पूर्ण संयोजकता करार बनाने के लिए संयोजकता करार (कैट-1) में संलग्न किया जाएगा। कैट-2 संयोजकता करार के हस्ताक्षरीकरण से पूर्व किसी अशक्त अंतःक्षेपण को अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.5 आवेदक को संयोजकता की निश्चित आरंभ तिथि, आईएसटीएस सबस्टेशन के निर्देशांक, टर्मिनल बे स्थान, और एकल लाइन डायग्राम की पुष्टि:

(क) उन आवेदकों के लिए, जहाँ संयोजकता संवर्धन (एटीएस के साथ या उसके बिना) के साथ प्रदान की गई है, वहाँ नोडल एजेंसी संयोजकता के अंतिम अनुदान के 6 (छह) मास के भीतर, इकाई को संवर्धन के समापन के लिए अंतिम समयसीमा, एटीएस, टर्मिनल बे (बेज), और ऐसे घटकों के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख के आधार पर संयोजकता के आरंभ की अंतिम तारीख सूचित करेगी।

(ख) नोडल एजेंसी, जिसे आईएसटीएस सबस्टेशन पर संयोजकता प्रदान की गई है, उसे ऐसे आईएसटीएस सबस्टेशन के निर्माण के लिए लैटर ऑफ अवार्ड के जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर, संयोजकता के अंतिम अनुदान के 6 (छह) मास से अधिक नहीं, अंतिम निर्देशांक प्रस्तुत करेगी। नोडल एजेंसी, ऐसे आईएसटीएस सबस्टेशन के निर्माण के लिए लैटर ऑफ अवार्ड के जारी किए जाने के 6 मास के भीतर, टर्मिनल बे स्थान और एक लाइन डायग्राम के साथ ऐसे आईएसटीएस सबस्टेशन के अंतिम निर्देशांक प्रस्तुत करेगी।

(ग) यदि नोडल एजेंसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस विनियम के खंड (क) या (ख) के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने में विफल होती है, तो वह ऐसी अवधि की समाप्ति के एक मास के

भीतर, ऐसी संभावित तारीख के साथ जिस पर ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे, आयोग को प्रति के साथ इकाई को ऐसे विलंब के लिए कारण प्रस्तुत करेगी।

- 10.6** यदि वह इकाई, जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित किया गया है, विनियम 10.1 के अधीन यथा अपेक्षित संयोजकता करार पर हस्ताक्षर करने में विफल होती है, तो नोडल एजेंसी 30 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए संयोजकता करार पर हस्ताक्षरीकरण के लिए समय में विस्तार कर सकती है, जिसके न होने पर नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को सूचित करते हुए संयोजकता के अंतिम अनुदान का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा। इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग) के अनुसार प्रस्तुत की गई कॉन-बीजी1, कॉन-बीजी2, कॉन-बीजी3 का निपटान इन विनियमों विनियम 3.7.4 के अनुसार किया जाएगा।”

23. मूल विनियमों के विनियम 10.7 का संशोधन

- 23.1** मूल विनियमों के विनियम 10.7 के खंड (क) और खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(क) आईएसटीएस सब-स्टेशन पर आर्बिट्रि टर्मिनल बे (बेज) के विवरण, यदि उपलब्ध हों:

परंतु यह कि संयोजकता करार के हस्ताक्षरीकरण के समय टर्मिनल बे स्थान की गैर-उपलब्धता के मामले में, संयोजकता करार को इन विनियमों के विनियम 10.5 के अधीन टर्मिनल बे स्थान की सूचना पर बाद में संशोधित किया जाएगा;

(ख) संयोजकता की आरंभ तारीख (अनंतिम या निश्चित), यथास्थिति:

परंतु यह कि यदि संयोजकता करार के हस्ताक्षरीकरण के समय संयोजकता की अनंतिम आरंभ तारीख सूचित की गई है, तो संयोजकता करार को इन विनियमों के विनियम 10.5 के अधीन संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख की सूचना पर बाद में संशोधित किया जाएगा।”

24. मूल विनियमों के विनियम 10.8 का संशोधन:

- 24.1** मूल विनियमों के विनियम 10.8 में शब्दों “एटीएस में घटकों” के बाद शब्द “और टर्मिनल बे (बेज)” जोड़े जाएंगे।

25. नया विनियम 10.11

- 25.1** मूल विनियमों के विनियम 10.10 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 10.11 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“10.11. नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता संयोजकता की आरंभ तारीख की सूचना के तीन मास के अंदर पार्क के अधीन सभी उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख प्रस्तुत करेगा, जिसके न होने पर संयोजकता की आरंभ तारीख को उन उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के लिए एससीओडी के रूप में माना जाएगा जिनके लिए ऐसी एससीओडी निर्धारित समयसीमा के अंदर सूचित नहीं की गई।”

26. मूल विनियमों के विनियम 11.2 का संशोधन:

- 26.1** मूल विनियमों के विनियम 11.2 में शब्दों “एटीएस” के स्थान पर शब्द “संवर्धन (एटीएस के साथ या उसके बिना)” रखे जाएंगे।

27. मूल विनियमों के नए विनियम 11.3क और विनियम 11.3ख:

27.1 मूल विनियमों के विनियम 11.3 के बाद दो नए विनियम, अर्थात्, विनियम 11.3क और विनियम 11.3ख निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

"11.3क नोडल एजेंसी उन इकाइयों द्वारा विनियम 11क के अधीन शर्तों के पूरे किए जाने की निगरानी करेगी जिन्हें इन विनियमों के अनुबंध—III के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार संयोजकता का सिद्धांततः या अंतिम अनुदान जारी किया गया है। नोडल एजेंसी अपनी वेबसाइट पर इन विनियमों के अनुबंध—III के अनुसार अनुपालन के विवरण प्रकाशित करेगी।

11.3ख संबंधित आरएलडीसी, इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाई द्वारा जीएनए, और संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा संयोजकता की मात्रा के उपयोग की निगरानी करेंगे जिन्होंने वाणिज्यिक प्रचालन हासिल कर लिया है। निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

(क) आरएलडीसी द्वारा एकत्रित डाटा के आधार पर एनएलडीसी, वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए आयोग को इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाई द्वारा जीएनए के उपयोग और संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा संयोजकता के उपयोग पैटर्न के संबंध में समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ख) एनएलडीसी, आरएलडीसी के परामर्श से अनुदानग्राहियों द्वारा जीएनए मात्रा या संयोजकता के गैर-इष्टतम उपयोग के मामले में की जाने वाली कार्रवाई सीटीयू और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि के माध्यम से प्रस्तावित करेगा और इन विनियमों की अधिसूचना के छह मास के भीतर आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।"

28. मूल विनियमों के विनियम 11क का संशोधन:

28.1 मूल विनियमों के विनियम 11क के शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"11क. संयोजकता अनुदानग्राही, जो कि आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें"

28.2 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (1) में शब्दों "स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण" के स्थान पर शब्द "नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत भूमि दस्तावेजों की स्वीकृति" रखे जाएंगे।

28.3 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (1) के बाद एक परंतुक निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

"परंतु यह कि, यदि उस आईएसटीएस सबस्टेशन को संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित किया गया है, जहाँ नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता के अंतिम अनुदान के साथ न तो अंतिम निर्देशांक और न ही अनंतिम निर्देशांक सूचित किया गया है, वहाँ आवेदक नीचे विनिर्दिष्ट उपखंड (क) और (ख) के बाद की तारीख तक अपेक्षित भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

(क) संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान के जारी किए जाने के 18 मास के अंदर या संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी किए जाने के 12 मास के अंदर, जो भी पहले हो, या

(ख) इन विनियमों के विनियम 10.5 के खंड (ख) के अनुसार उस सबस्टेशन के अनंतिम निर्देशांक की सूचना की तारीख से नौ मास के अंदर जिसे संयोजकता प्रदान की गई है।"

28.4 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) और खंड (3) में कई स्थानों पर आने वाले शब्दों "संयोजकता के आरंभ की तारीख" में शब्द "आरंभ" से पहले शब्द "निश्चित" अंतर्वेशित किया जाएगा।

28.5 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) के बाद एक नया खंड (2क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(2क) उन आवेदकों के मामले में जिन्हें एलओए के आधार पर इन विनियमों के विनियम 5.8के खंड (xi) के उपखंड (क) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है, ऐसी इकाई इन विनियमों के विनियम 11क और 24.6के उद्देश्य से ऐसे पीपीए के अनुसरण में एससीओडी की तारीख के साथ ऐसे पीपीए के हस्ताक्षरीकरण से एक सप्ताह की अवधि के अंदर, पीपीए की प्रति प्रस्तुत करेगी।”

28.6. मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (3) के प्रथम परंतुक में शब्दों “सीटीयू” को शब्दों “नोडल एजेंसी या इस विनियम के खंड (1) के अनुसार तारीख द्वारा, जो भी बाद में हो” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

28.7 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (4) को खंड (4) से (6) के साथ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(4) कोई इकाई जिसने विनियम 5.8के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन संयोजकता के लिए आवेदन किया है और जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है, जिसे आंशिक क्षमता या पूर्ण क्षमता के लिए, एलओए जारी किया जाता है या वह पीपीए करता है, जैसा कि विनियम 5.8के खंड (xi)(क) के अधीन पात्र है, वह निम्नलिखित के अध्याधीन विनियम 5.8के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) से विनियम 5.8के खंड (xi)(क) के अधीन अपनी संयोजकता के रूपांतरण के लिए सीटीयू को आवेदन कर सकता है:

(क) एलओए या पीपीए विनियम 5.8के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन किए गए संयोजकता आवेदन में उपबंधित नवीकरणीय स्रोत (स्रोतों) (भंडारण के साथ या उसके बिना) के अलावा नवीकरणीय स्रोत (स्रोतों) (भंडारण के साथ या उसके बिना) के लिए है, तो ऐसी इकाई के लिए विनियम 5.8के खंड (xi)(क) के अधीन संयोजकता का रूपांतरण मांगने से पहले नवीकरणीय स्रोत (स्रोतों) (इन विनियमों के विनियम 9.3के अधीन) के परिवर्तन का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परंतु यह कि विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन नवीकरणीय स्रोत के परिवर्तन और संयोजकता के रूपांतरण के लिए आवेदन एक-साथ किया जा सकता है।

(ख) विनियम 5.8के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन किए गए संयोजकता आवेदन में इंगित संस्थापित क्षमता को इस शर्त के अध्याधीन कि संयोजकता मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विनियम 5.8के खंड (xi)(क) के अधीन संयोजकता का रूपांतरण मांगते समय आशोधित किया जा सकता है।

(ग) जहाँ विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन प्रदान की गई संयोजकता की आंशिक क्षमता को विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन रूपांतरित किया जाता है,

(i) नोडल एजेंसी, आवेदन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्रत्येक भाग को पृथक संयोजकता के रूप में मानते हुए, प्रत्येक भाग के लिए पुनरीक्षित संयोजकता सूचना जारी करेगा।

(ii) इकाई, नोडल एजेंसी द्वारा पुनरीक्षित संयोजकता सूचना के एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक भाग के लिए पृथक कॉन-बीजी1प्रस्तुत करेगा।

(iii) विनियम 5.8के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन प्रदान की गई संयोजकता के लिए प्रस्तुत कॉन-बीजी2और कॉन-बीजी3को नोडल एजेंसी द्वारा पुनरीक्षित संयोजकता सूचना के एक सप्ताह के भीतर क्षमता के ऐसे भाग की मात्रा पर आधारित समानुपातिक आधार पर संगणित प्रत्येक भाग के लिए पुनरीक्षित और पुनःप्रस्तुत, यथा लागू किया जाएगा।

(iv) संयोजकता के रूपांतरण के लिए न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट है।

- (घ) नोडल एजेंसी द्वारा रूपांतरण के अनुमोदन के बाद, ऐसे रूपांतरित संयोजकता के लिए इकाई द्वारा वित्तीय समापन के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता वही होगी जैसा कि विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए लागू है, इस शर्त के साथ कि इस विनियम के खंड (2) के उद्देश्य से वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख संयोजकता के निश्चित आरंभ की तारीख होगी। विनियम 5.8(xi)(ग) के अधीन प्रस्तुत बैंक गारंटी समानुपातिक क्षमता के लिए रूपांतरण के अनुमोदन के सात दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
- (ङ) विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन किसी इकाई की संयोजकता विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन रूपांतरित होने के बाद, इस विनियम के खंड (4) के उप-खंड (ग)(i) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा आंशिक या पूर्ण क्षमता के लिए, यदि ऐसी आंशिक या पूर्ण क्षमता के लिए एलओए या पीपीए समाप्त होती है, और ऐसी इकाई विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन अपनी संयोजकता मूल की ओर वापस करने की मांग करती है, तो ऐसे पुनःरूपांतरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
- (i) संयोजकता के रूपांतरण के लिए आवेदन, रूपांतरित की जाने वाली क्षमता के लिए लागू करों के साथ रु. 50,000/मेगावाट के अप्रतिदेय रूपांतरण शुल्क के साथ होगा।
 - (ii) ऐसे पुनःरूपांतरण पर, प्रत्येक भाग को पृथक आवेदन के रूप में माना जाना जारी रहेगा।
 - (iii) जिस इकाई ने विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) से विनियम 5.8 के खंड (xi)(ग) में संयोजकता रूपांतरित की है, उसके लिए ऐसे रूपांतरण के लिए नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीन मास या विनियम 11क(1) के अधीन ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो भी बाद में हो, के अंदर इस विनियम के खंड (1) के अधीन भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - (iv) इकाई के लिए संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख को वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख मानते हुए इस विनियम के खंड (2) के अधीन वित्तीय समापन दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (च) एक बार जब संयोजकता को इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) (ख) या खंड (xi)(ग) से विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) में रूपांतरित किया जाता है और इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन संयोजकता में वापस किया जाता है, तो इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन संयोजकता में किसी उत्तरवर्ती रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह कि ऐसी इकाई अपनी परियोजना से विद्युत के विक्रय के उद्देश्य से पीपीए में प्रवेश करने की पात्र होगी, परंतु ऐसे पीपीए पर इन विनियमों के विनियम 11क और विनियम 24.6 के अधीन निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए समयसीमा का कोई प्रभाव नहीं होगा।

- (छ) वह इकाई जिसने विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) से विनियम 5.8 के खंड (xi) (क) के अधीन संयोजकता रूपांतरित की है, भूमि पार्सलों को अपने पास रखना जारी रखेगी जिनके आधार पर विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई थी और उसी भूमि दस्तावेजों का उपयोग करते हुए किसी अन्य संयोजकता मांगने के लिए पात्र नहीं होगी:

परंतु यह कि ऐसी इकाई इन विनियमों के विनियम 5.10 के अनुसार यथा अनुज्ञेय पुराने भूमि पार्सलों की रिलीज के एवज में नए भूमि पार्सल प्रस्तुत कर सकती है, जिसके बाद

संयोजकता प्राप्त करने के लिए वह ऐसे रिलीज किए गए भूमि पार्सलों का उपयोग कर सकती है।

(5) विनियम 11क के अधीन पूर्ण किए जाने के लिए अपेक्षित संयोजकता प्रदान करने के लिए परवर्ती शर्तें और सीओडी प्राप्त करने की निम्नानुसार पूर्ति की जाएगी:

(क) जहां संयोजकता पेरेंट कंपनी को प्रदान की गई है और परियोजना अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) द्वारा निष्पादित की जा रही है, वहां विनियम 11क के अधीन पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित संयोजकता प्रदान करने के लिए परवर्ती शर्तें और सीओडी प्राप्त करने की परियोजना का निष्पादन करते हुए अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) द्वारा पूर्ति की जा सकती है।

(ख) जहां संयोजकता अनुषंगी कंपनी को प्रदान की गई है और परियोजना उसी पेरेंट कंपनी की उसकी अन्य अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) द्वारा निष्पादित की जा रही है, वहां विनियम 11क के अधीन पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित संयोजकता प्रदान करने के लिए परवर्ती शर्तें और सीओडी प्राप्त करने की परियोजना को निष्पादित करते हुए अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) द्वारा पूर्ति की जाएगी।

(ग) जहां संयोजकता अनुषंगी कंपनी को प्रदान की गई है और परियोजना पेरेंट कंपनी द्वारा निष्पादित की जा रही है वहां विनियम 11क के अधीन पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित संयोजकता प्रदान करने के लिए परवर्ती शर्तें और सीओडी प्राप्त करने की परियोजना को कार्यान्वित करते हुए पेरेंट कंपनी द्वारा पूर्ति की जाएगी।

(घ) इन विनियमों के अधीन सभी उत्तरदायित्वों यथालागू भूमि या वित्तीय क्लोजर के लिए अन्य बातों के साथ साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने सहित संयोजकता अनुदानग्राही के पास जारी रखा जाएगा। नोडल एजेंसी को संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को परियोजना को निष्पादित करने वाली इकाई द्वारा जारी किए गए प्राधिकार संलग्न होगा, नोडल एजेंसी को संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नोडल एजेंसी को परियोजना को निष्पादित करने वाली इकाई के नाम में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए संयोजकता अनुदानग्राही को समर्थ बनाते हुए परियोजना को निष्पादित करने वाली इकाई द्वारा जारी प्राधिकार को शामिल करना होगा।

(6) संयोजकता अनुदानग्राही का नियंत्रण जो परियोजना की सीओडी तक संयोजकता आवेदन की तारीख से अवधि के लिए आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन को छोड़कर) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) है।

(क) यदि संयोजकता अनुदानग्राही सिंगल कंपनी है तो संयोजकता अनुदानग्राही के प्रवर्तक या शेयरहोल्डर, यथालागू इस प्रकार की संयोजकता अनुदानग्राही के नियंत्रण को बनाए रखेगा।

(ख) यदि संयोजकता अनुदानग्राही एक संघ है तो सामूहिक रूप से संघ के सदस्य संयोजकता अनुदानग्राही के नियंत्रण को बनाए रखेंगे।

(ग) इस खण्ड के उप-खण्ड (क) और (ख) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रण की अपेक्षा से किसी विचलन को नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी। नोडल एजेंसी अनुमोदन के लिए और सांकेतिक आधारों के लिए जिस पर अनुमोदन के लिए आवेदन पर विचार किया

जाएगा सहित इस प्रकार के अनुमोदन के लिए पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करते हुए विस्तृत क्रियाविधि को सार्वजनिक परामर्श के बाद इन संशोधनों के प्रभाव की तारीख के 60 दिनों के अंदर प्रकाशित करेगी।

(घ) यदि संयोजकता अनुदानग्राही के नियंत्रण में कोई परिवर्तन इस इस खण्ड के उपखण्ड (क) से (ग) में उल्लंघन किया जाता है तो संयोजकता प्रतिसंहरित की जाएगी। इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (vii)(ग) के उपखण्ड (ग) या खण्ड (xi)(ग) के उपखण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत बैंक गारंटी नकदीकृत की जाएगी और कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3 को इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3, यथा लागू के अनुसार माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए शब्द “प्रवर्तक” और “नियंत्रण” का कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथापरिभाषित अर्थ होगा। संयोजकता अनुदानग्राही के मामले में जहां निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रूट के अधीन किया गया है वहां नियंत्रण शब्द का विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी अधिसूचना या परिपत्रों सहित उसके अधीन तैयार नियमों और विनियमों के अधीन यथानिर्दिष्ट अर्थ होगा।”

29. नया विनियम 11 ग

29.1 मूल विनियम के विनियम 11ख के बाद एक नया विनियम अर्थात् विनियम 11ग निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“11ग. विनियम 11.4 के अधीन पुनःव्यवस्था के कारण या दूसरी इकाई को प्रदान की गई संयोजकता के आहरण या अधित्याग या नवीकरण के कारण रिक्त टर्मिनल बे की आंशिक या पूर्ण क्षमता का पुनः आबंटन।

(1) पारेषण प्रणाली के अधिकतम उपयोग के लिए, एक इकाई की सहमति से जिसे संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से प्रदान करना या संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करना, यथास्थिति, नोडल एजेंसी दूसरे आईएसटीएस सबस्टेशन को (आईएसटीएस सबस्टेशनों के उसी क्लस्टर के अंदर) आईएसटीएस सबस्टेशन पर प्रदान की गई संयोजकता को पुनः आबंटित कर सकती है जहां टर्मिनल बे में कोई पूर्ण या आंशिक क्षमता रिक्त पाई गई है। नोडल एजेंसी निम्नलिखित ढंग से इस प्रकार का पुनः आबंटन करेगी:

क. घटना की आवृत्ति की तारीख सहित किसी विशेष सबस्टेशन पर रिक्त टर्मिनल बे में पूर्ण या आंशिक क्षमता से संबंधित सूचना इस प्रकार की घटना के घटित होने के तीन दिनों के अंदर ‘बे आबंटन की अद्यतन स्थिति (विनियम 11.5)’ के अधीन सीटीयू की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा।’

ख. वह इकाई जिसे आईएसटीएस सबस्टेशनों के क्लस्टर में स्थित आईएसटीएस सबस्टेशन पर संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से या अंतिम रूप से प्रदान करना जारी किया गया है उसी आईएसटीएस सबस्टेशनों के क्लस्टर के अंदर दूसरे आईएसटीएस सबस्टेशन को इसकी संयोजकता के पुनः आबंटन की मांग कर सकता है जहां बे रिक्त हुआ है कि संयोजकता की निश्चित आरंभिक तारीख में इस प्रकार की इकाई की संयोजकता की मौजूदा निश्चित आरंभिक तारीख के अंदर बना

रहता है। इस प्रकार का पुनः आबंटन शेयरिंग विनियमों 2020 के अनुसार वाणिज्यिक देयताओं के अध्यक्षीन होगा:

परन्तु कि एक इकाई संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करने के जारी होने के 12 महीने की अवधि या जीएनए की प्रभावी तारीख के पूर्व 18 महीने के बाद, जो भी बाद में हो, संयोजकता का पुनः आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि एक इकाई जिसे एक बार पुनः आबंटित किया गया है, संयोजकता के परवर्ती पुनः आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

ग. नोडल एजेंसी संयोजकता आवेदन की मोहर की तारीख और समय की प्राथमिकता के क्रम में इस प्रकार के पुनःआबंटन करेगा जिसके आधार पर संयोजकता निम्नानुसार इस प्रकार के आवेदक को प्रदान की गई है:

- (i) संयोजकता विनियम 2009 के अधीन एलटीए अनुदानग्राही जिन्हें इन विनियमों के विनियम 37 के अनुसार सांक्रांतिक किया गया है और संयोजकता विनियम 2009 के अंतर्गत किए गए उनके एलटीए आवेदन (आवेदनों) की मोहर की तारीख और समय के अनुसार अपेक्षित बीजी प्रस्तुत की गई है;
- (ii) संयोजकता विनियम 2009 के अंतर्गत स्टेज-II संयोजकता अनुदानग्राही जिन्हें इन विनियमों के विनियम 37 के अनुसार सांक्रांतिक किया गया है और संयोजकता विनियम 2009 के अंतर्गत किए गए उनके एलटीए आवेदन (आवेदनों) की मोहर की तारीख और समय के अनुसार अपेक्षित बीजी प्रस्तुत की गई है;
- (iii.) वे आवेदक जिन्हें इन विनियमों के अधीन किए गए आवेदन की मोहर की तारीख और समय के अनुसार इन विनियमों के अनुसार संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से या अंतिम रूप से प्रदान करना जारी किया गया है।

घ) आईएसटीएस सबस्टेशनों के क्लस्टर में दूसरे आईएसटीएस सबस्टेशन को अनुदानग्राही (अनुदानग्राही 'भ') में से शिफ्टिंग के कारण रिक्त आईएसटीएस सबस्टेशन पर टर्मिनल बे, यदि इसे दूसरे अनुदानग्राही (अनुदानग्राही 'म') द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए विकल्प किया है जहां "म" की संयोजकता की आरंभिक तारीख "भ" के बाद की है, तो एटीएस/टर्मिनल बे के लिए प्रभारों को अदा करने का दायित्व इस प्रकार की हस्तक्षेप करने वाली अवधि के लिए "भ" के पास रहेगा। इकाई के लिए संयोजकता की निश्चित आरंभिक तारीख जिसे पुनःआबंटित किया गया है ('भ' या 'म'), पुनःआबंटन कार्य के तदनंतर उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। तथापि, वह इकाई, जिसे पुनःआबंटित किया है ('भ' या 'म') आरंभिक तारीख के अग्रिम की मांग कर सकती है, जो पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यक्षीन होगा।

30. मूल विनियमों के विनियम 12.5 का संशोधन:

30.1 मूल विनियमों के विनियम 12.5 में "समर्पित" शब्द को "लाइन" शब्द के पूर्व अंतर्वेशित किया जाएगा और "या तो इकाई द्वारा या" शब्दों को "निर्मित और संपोषित होगा" शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा।

31. मूल विनियमों के विनियम 15.1 का संशोधन:

31.1 मूल विनियमों के विनियम 15.1 का परन्तुक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परंतु कि पेरेंट कंपनी को प्रदान की गई संयोजकता इसकी अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है और अनुषंगी को प्रदान की गई संयोजकता को उस आईएसटीएस के संयोजन प्वाइंट पर, जहां पर इस प्रकार की संयोजकता प्रदान की गई है, इसकी पेरेंट कंपनी द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है।

परंतु यह भी कि पेरेंट कंपनी की अनुषंगी कंपनी को प्रदान की गई संयोजकता को उस आईएसटीएस संयोजन प्वाइंट पर जिस पर इस प्रकार की संयोजकता प्रदान की गई है, उसी पेरेंट कंपनी की अन्य अनुषंगी कंपनी (कंपनियां) द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है।"

परंतु यह भी कि जहां बल्क उपभोक्ता को विनियम 17.1(iii) के अधीन जीएनए प्रदान किया गया है तो इस प्रकार के बल्क उपभोक्ता को प्रदान किया गया जीएनए आईएसटीएस के संयोजन प्वाइंट पर, जहां इस प्रकार का जीएनए प्रदान किया गया है, वहां इसकी अनुषंगियों द्वारा पूर्णतः या अंशतः या इसके विपरीत उपयोग किया जा सकता है।"

32. मूल विनियमों के विनियम 15.3 का संशोधन:

32.1 मूल विनियम के विनियम 15.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"15.3 इन विनियमों के विनियम 15.2 के अनुसार पूर्ण क्षमता या इस प्रकार के विखण्डित भाग की सीओडी प्राप्त करने पर, संयोजकता पूर्ण क्षमता या विखण्डित क्षमता, यथास्थिति, के लिए संयोजन के अंतरण के लिए नोडल एजेंसी को आरईजीएस द्वारा किए गए आवेदन पर आरईजीएस का कार्यान्वयन करने वाली इकाई को (जिनके दस्तावेज इन विनियमों के विनियम 11क(5) के अधीन वित्तीय क्लोजर और सीओडी के अनुपालन को पूरा करने के लिए संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा प्रस्तुत किए गए थे) अंतरित किया जाएगा। नोडल एजेंसी आवेदन के प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर इस प्रकार की इकाई और मूल अनुदानग्राही को संशोधित कन-बीजी2 और कन-बीजी3 सूचित करेगा। मूल अनुदानग्राही संशोधित कन-बीजी2 और कन-बीजी3 सहित इसका कन-बीजी2 और कन-बीजी3 प्रतिस्थापित कर सकता है। नोडल एजेंसी इस प्रकार की इकाई द्वारा लागू कन-बीजी2 और कन-बीजी3 को प्रस्तुत करने पर संयोजकता की संशोधित अनुदान जारी करेगा। संयोजकता का संशोधित अनुदान जारी करने पर इस प्रकार की इकाई नए संयोजकता करार में प्रवेश करेगी और सभी लागू विनियमों सहित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगी:

परंतु कि अंतरित न की गई संयोजकता के लिए इन विनियमों के अनुसार सभी देयताओं और बाध्यताएं मूल संयोजकता अनुदानग्राही के साथ बना रहना जारी रहेगा।"

33. मूल विनियमों के विनियम 16.4 का संशोधन:

33.1 मूल विनियमों के विनियम 16.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"16.4. इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii) (ग) या खंड (xi) (ग) के अनुसार प्रस्तुत की गई नकदीकृत कन-बीजी-1, कन-बीजी-2 और कन-बीजी-3 और बीजी की प्राप्तियां शेयरिंग विनियमों के अंतर्गत मासिक पारेषण प्रभारों में समायोजित की जाएगी।"

34. मूल विनियमों के विनियम 17.1 का संशोधन:

34.1 मूल विनियम के विनियम 17.1 के खण्ड (ii) में “या इस प्रकार की अंतःराज्यिक प्रणाली से संबद्ध वितरण प्रणाली” शब्दों को “अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली” शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा:

34.2 मूल विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(vi) एक अंतःक्षेपण इकाई जो अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली (इस प्रकार की अंतःराज्यिक प्रणाली), यथास्थिति, से संबद्ध है और आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए जीएनए की मांग करती है।”

35. नया विनियम 17.1क

35.1 मूल विनियमों के विनियम 17.1 के बाद एक नया विनियम 17.1क निम्नानुसार अन्तर्वेशित किया जाएगा:

“17.1क अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली में संयोजकता वाली एक ईएसएस इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (ii) के अधीन आईएसटीएस से आहरण के लिए और खण्ड (vi) के अधीन आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए जीएनए की मांग कर सकती है।

36. मूल विनियमों के विनियम 17.3 का संशोधन:

36.1 मूल विनियमों के विनियम 17.3 को विनियम 17.3 और विनियम 17.4 से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“17.3. इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर किए गए आवेदक निम्नलिखित अंतरसंयोजन की मांग करते हुए जीएनए प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है:

(क) विनियम 17.1 के खण्ड (iii) के अंतर्गत कवर की गई दूसरी इस प्रकार की इकाई को पहले से आवंटित आईएसटीएस सबस्टेशन के एक टर्मिनल बे या

(ख) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अंतर्गत कवर की गई दूसरी इकाई को पहले से आवंटित एक आईएसटीएस सबस्टेशन का एक टर्मिनल बे या

(ग) आईएसटीएस को संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन का एक स्विचयार्ड :

परंतु कि इस विनियम के उपखण्ड (क) से (ग)के अधीन आवेदन सहित आवेदक टर्मिनल बे, स्विचयार्ड, समर्पित पारेषण लाइनों, यथास्थिति, की शेरिंग के लिए उक्त इकाई और आवेदक के बीच विधिवत रूप से हस्ताक्षरित करार प्रस्तुत करेगा।:

स्पष्टीकरण: इस प्रकार की इकाइयों के लिए आवश्यक मीटरिंग, लेखांकन, अनुसूचीकरण व्यवस्थाएं और संकुलता के मामले में कमी इन विनियमों के विनियम 5.6 के अधीन अधिसूचित विस्तृत क्रियाविधि द्वारा अधिशासित होंगे।”

17.4 विनियम 17.1(iii) में कुछ भी अंतर्विष्ट न होते हुए भी, जीएनए वाले इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां पारेषण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता के अधीन 50 मेगावाट से कम के जीएनए की वृद्धि के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन फीस के भुगतान पर पात्र होंगे।”

37. मूल विनियमों के विनियम 19.2 का संशोधन:

37.1 मूल विनियम के विनियम 19.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“19.2. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अंतःराज्यिक इकाइयों की ओर से एसटीयू विनियम 39.1 के अनुसार जारी किए गए ‘संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि’ में यथानिर्धारित क्षेत्र के अंदर या क्षेत्र के बाहर जीएनए को दर्शाते हुए अगले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों (इकाईवार पृथक्करण) के लिए अतिरिक्त जीएनए के लिए प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च के माह तक वित्तीय वर्ष में दो बार (वित्तीय वर्ष से आरंभ होते हुए उस वित्तीय वर्ष तक जिसमें ये विनियम प्रभावी हुए) आवेदन कर सकता है।

“परंतु यह कि अगले तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक में जोड़ी जाने वाली इस प्रकार की अतिरिक्त जीएनए मात्रा, प्रति आवेदन वर्ष के लिए अधिकतम चार तारीखों के अध्यक्षीय संबंधित वित्तीय वर्ष की विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) से लागू होगी।”

38. मूल विनियमों के विनियम 20.1 का संशोधन:

38.1 मूल विनियम के विनियम 20.1 के परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“परन्तु कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (ii) के अधीन कवर की गई इकाइयां जीएनए की अवधि और इस प्रकार की मात्रा के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली में पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अनुसार संबंधित एसटीयू और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथा लागू, की सहमति प्रस्तुत करेगी।”

39. नया विनियम 20.1क

39.1 मूल विनियमों के विनियम 20.1 के बाद एक नया विनियम 20.1क निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

“20.1क इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (vi) के अधीन कवर की गई इकाइयां जीएनए की अवधि और इस प्रकार की मात्रा के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली में पारेषण क्षमता की उपलब्धता को प्रमाणित करते हुए संबंधित एसटीयू और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथा लागू, की सहमति प्रस्तुत करेगी।”

40. मूल विनियमों के विनियम 22.1 का संशोधन:

40.1 मूल विनियमों के विनियम 22.1 के खण्ड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ख) नोडल एजेंसी उस तारीख को दर्शाते हुए जिससे इस प्रकार का अतिरिक्त जीएनए प्रभावी होगा, संवर्धन की समयसीमा या उपलब्ध पारेषण क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्ष की 31 मार्च के आवेदनों के लिए वर्ष की 31 जुलाई तक और उसी वर्ष की 31 मार्च तक इन विनियमों के विनियम 19.2 के अधीन वर्ष की 30 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों के लिए एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए प्रदान करेगी। एक बार प्रदान किया गया जीएनए अधित्याग किए जाने तक वैध बना रहेगा।”

41. मूल विनियमों के विनियम 22.2 का संशोधन:

41.1 मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खण्ड (क) में “निश्चित” को “संयोजकता की आरंभिक तारीख” शब्दों से पूर्व अंतर्वेशित किया जाएगा:

41.2 मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खण्ड (ख-i) और (ख-ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ख-i) विनियम 17.1 का खण्ड (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां नोडल एजेंसी द्वारा जीएनए प्रदान करने की सूचना के जारी होने के एक मास के अंदर, रुपये 50 लाख प्रति आवेदन के लिए कन-बीजी1 और रुपये 2 लाख/मेगावाट के लिए कन-बीजी3 के लिए प्रस्तुत करेगी। इकाई, इस

प्रकार की इकाई के लिए लागू विनियम 10 के संगत उपबंधों को शामिल करते हुए जीएनए करार में प्रवेश करेगी जिसके न होने पर जीएनए के लिए आवेदन बंद हो जाएंगे, आवेदन फीस जब्त हो जाएगी और कन-बीजी, यदि प्रस्तुत की गई है, नकदीकृत की जाएगी।

(ख-ii) विनियम 17.1 का खण्ड (vi) के अधीन कवर की गई और आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के लिए जीएनए का आवेदन करने वाली इकाइयां विनियम 4.1 के अधीन इकाइयों के लिए लागू सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी। विनियम 17.1 के खण्ड (vi) के अधीन आवेदन के लिए इस प्रकार की इकाई के लिए कोई न्यूनतम क्षमता की अपेक्षा नहीं होगी चूंकि इस प्रकार की इकाई राज्य की अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संबद्ध है। इस प्रकार की इकाइयों के लिए कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3 इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार या जीएनए की अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, वापस की जाएगी

41.3 मूल विनियम के विनियम 22.2 के खण्ड (घ) में “जीएनए की आरंभिक तारीख” शब्दों को “जीएनए की प्रभावी तारीख” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

42. मूल विनियम के विनियम 22.4 का संशोधन:

42.1 मूल विनियमों के विनियम 22.4 के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक (दूसरे परन्तुक को छोड़कर) तथा मुख्य पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(क) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई संयोजकता अनुदानग्राहियों के लिए इस प्रकार की संयोजकता अनुदानग्राहियों की प्रभावी तारीख संयोजकता की निश्चित आरंभिक तारीख या एटीएस के संवर्धन सहित या उसके बिना जो भी बाद में हो, के सभी घटकों की सीओडी होगी।

परन्तु कि जहां संवर्धन के केवल पारेषण संघटकों (एटीएस सहित या उसके बिना) ने सीओडी प्राप्त कर ली है और संयोजकता अनुदानग्राही संयोजकता की पूर्ण मात्रा या आंशिक मात्रा के लिए प्रभावशीलता की मांग करता है तो नोडल एजेंसी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्वधीन संयोजकता की इस प्रकार की मात्रा और इसके तदनुरूपी प्रभावी जीएनए करेगी।”

43. नया विनियम 23.3 :

43.1 मूल विनियमों के विनियम 23.2 के नीचे एक नया विनियम, अर्थात् 23.3 निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

“**23.3** एनएलडीसी अनुदानग्राही वेब पोर्टल बनाएगी जहां जीएनए अनुदानग्राहियों की उनकी जीएनए मात्रा सहित सूची और जीएनए वैधता अवधि प्रदर्शित की जाएगी। जीएनए अनुदानग्राही जीएनए मात्रा, तारीख और समयब्लॉक को निर्दिष्ट करेगी जिसके लिए इस प्रकार की मात्रा अन्य जीएनए अनुदानग्राहियों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। वे जीएनए अनुदानग्राही, जो दूसरे जीएनए अनुदानग्राही के जीएनए का उपयोग करना चाहते हैं, उन तारीखों और समयब्लॉकों सहित जिसके लिए इस प्रकार की मात्रा अपेक्षित है, जीएनए मात्रा की उनकी अपेक्षा को भी निर्दिष्ट करेगी।”

44. नया विनियम 24.3क

44.1 मूल विनियम के विनियम 24.3 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 24.3क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“**24.3क** इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (vii)(ग) या (xi)(ग) खण्ड के अधीन कवर की गई संयोजकता अनुदानग्राहियों के लिए:

- (क) यदि संयोजकता करार के हस्ताक्षर करने के छः महीने के अंदर अधित्याग किया जाता है तो अधित्याग की गई मात्रा के समानुपात में अवस्थित बैंक गारंटी (इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (vii)(ग) या (xi)(ग) के अधीन प्रस्तुत किए गए) का 40% को नगदीकृत किया जाएगा और शेष को वापस किया जाएगा;
- (ख) यदि संयोजकता इन विनियमों के विनियम 11क(1) के अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व और संयोजकता करार के हस्ताक्षर के छः महीने के बाद अधित्याग किया जाता है तो इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (vii)(ग) या (xi)(ग) के अधीन प्रस्तुत की गई अवस्थित बैंक गारंटी का 75% को नगदीकृत किया जाएगा और शेष को वापस किया जाएगा;
- (ग) इस खण्ड के उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए कन-बीजी का संव्यवहार इन विनियमों के विनियम 24.2 और 24.3 के अनुसार होगा।”

45. मूल विनियम के विनियम 24.5 का संशोधन:

45.1 मूल विनियम के विनियम 24.5 को विलोप किया जाएगा:

46. मूल विनियम के विनियम 24.6 का संशोधन:

46.1 मूल विनियम के विनियम 24.6 के खण्ड (1) के उप-खंड (क)(i) और उप-खंड (क)(ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(i) विनियम 5.8 के खंड (xi) (क) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए उत्पादन परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूची तारीख जैसा कि संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन करते समय सूचित की गई या पीपीए के हस्ताक्षर करने पर यथालागू या यथा विस्तारित या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से प्राधिकृत एजेंसी, यथास्थिति, जो भी बाद में हो, द्वारा अनुमत विलंबित रूप से आरंभ होना सूचित किया गया है।

(ii) इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (xi)(ख) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए संयोजकता की निश्चित आरंभिक तारीख या संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने के समय यथासूचित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख, जो भी बाद में हो, के बाद छः माह।”

46.2 मूल विनियम के विनियम 24.6 के खण्ड (1) के उप-खंड (क)(iii) में “निश्चित” शब्द को “संयोजकता की आरंभिक तारीख” शब्दों से पूर्व अंतर्वेशित किया जाएगा:

46.3 मूल विनियम के विनियम 24.6 के खण्ड (1) के उप-खंड (ग) में निम्नानुसार परन्तु अंतर्वेशित किया जाएगा:

परन्तु कि यदि इकाई एलओए या पीपीए की इस प्रकार की समाप्ति से एक मास की अवधि के अंदर इन विनियमों के विनियम 11क(3) के अनुसार विनियम 5.8 के खण्ड (xi)(ख) या (xi)(ग) के विनियम 5.8 के खण्ड (xi)(क) के अधीन संयोजकता से संपरिवर्तन की मांग करती है, तो संयोजकता को इस प्रकार की क्षमता के लिए प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जिसे नोडल एजेंसी द्वारा संपरिवर्तित किया जाता है।

46.4 मूल विनियम के विनियम 24.6 के खण्ड (1) के उप-खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता को प्रदान की गई संयोजकता को तदनुरूप क्षमता के लिए प्रतिसंहृत किया जाएगा, यदि संयोजकता और तदनुरूपी जीएनए को इन विनियमों के विनियम 22.4 के खंड (क) के

अनुसार प्रभावी बनाया गया है और विद्युत पार्क के अंदर उत्पादन स्टेशन सीओडी या उससे पूर्व प्राप्त करने में असफल रहता है," इन विनियमों के विनियम 24.6 के खंड (1) के उपखण्ड (क)(i) या उपखण्ड (क)(ii) के अनुसार तारीख, यथालागू है।"

46.5 मूल विनियमों के विनियम 24.6 के खण्ड (2) के बाद एक नया खंड, अर्थात् खंड (3) जोड़ा जाएगा:

"(3) उन मामलों के लिए जहां आईएसटीएस सबस्टेशन के अंतिम समन्वय न ही अस्थायी समन्वयन, जिसमें संयोजकता प्रदान की गई है, को संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करने सहित प्रेषित किया गया है, आवेदक को उस सबस्टेशन के अस्थायी समन्वय के प्रेषण की तारीख से 12 महीने दिए जाएंगे जिसमें संयोजकता सीओडी प्राप्त करने के लिए इन विनियमों के विनियम 10.5 के खंड (ख) के अनुसार प्रदान की गई है। सीओडी की गैर प्राप्ति के कारण संयोजकता के प्रतिसंहरण की तारीख इन विनियमों के विनियम 24.6 के खंड (1) या खंड (3) के अनुसार, जो भी बाद में हो, संगणित की जाएगी।"

47. मूल विनियमों के विनियम 25.1 का संशोधन:

47.1 मूल विनियम के विनियम 25.1 के मुख्य पैराग्राफ में "एक वर्ष" शब्दों को "छः माह (इस विनियम के खंड च के अध्याधीन)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

47.2 मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (क) में शब्द "जीएनए" को "प्रभावी जीएनए" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा और शब्द "जीएनए की प्रभावशीलता के बाद" को "अधित्याग प्रभार" शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा:

47.3 मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (ख) के मुख्य पैराग्राफ में "जीएनए की प्रभावशीलता के बाद" शब्दों को "अधित्याग प्रभार" शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा:

47.4 मूल विनियम के विनियम 25.1 के दूसरे परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परन्तु यह भी कि अवस्थित कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3, यदि कोई है, अधित्याग प्रभारों के भुगतान पर वापस किए जाएंगे।"

47.5 मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड, अर्थात् खण्ड (ख-1) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(ख-1) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (i) से (v) के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए, यदि जीएनए कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3, जीएनए की प्रभावशीलता की तारीख से पूर्व अधित्याग किया जाता है, को अधित्याग किए गए जीएनए की मात्रा के लिए जीएनए की प्रभावशीलता के पूर्व नोटिस अवधि में न्यून अवधि के लिए अधित्याग की गई जीएनए की मात्रा के लिए मासिक पारेषण प्रभारों सहित, जहां उपलब्ध हो, नकदीकृत की जाएगी:

परन्तु कि उसे इकाई के लिए जिसने कोई कन-बीजी प्रस्तुत नहीं किया है, रुपये 2 लाख/मेगावाट के बराबर रकम का अदा करेगी, यदि जीएनए का जीएन की प्रभावशीलता से पूर्व नोटिस अवधि में न्यून अवधि के लिए अधित्याग की गई जीएनए की मात्रा के लिए मासिक पारेषण प्रभारों सहित जीएनए की प्रभावशीलता तारीख से पूर्व अधित्याग किया जाता है।

परन्तु यह कि मासिक पारेषण प्रभार, उस माह के लिए जिसमें अधित्याग का इस प्रकार की इकाई द्वारा अनुरोध किया जाता है, शेयरिंग विनियमों के अधीन राज्य (जहां इस प्रकार की इकाई स्थित है) द्वारा प्रतिदेय प्रति मेगावाट प्रति माह पारेषण प्रभार होगा।

47.6 मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (ड) के बाद एक नया खण्ड, अर्थात् खण्ड (च) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(च) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (i) से (v) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए जिसे जीएनए (संवर्द्धन सहित) प्रदान किया गया है अर्थात् जीएनए की प्रभावशीलता संवर्द्धन के आरंभ होने पर आकस्मिक है यदि जीएनए का जीएनए की प्रभावशीलता की तारीख से पूर्व अधित्याग किया जाता है तो जीएनए की प्रभावी तारीख से पूर्व इस प्रकार के अधित्याग के लिए नोटिस अवधि एक वर्ष होगी। नोटिस सहित 50 लाख रुपये के भुगतान सहित सभी अन्य निबंधन एवं शर्तें इन विनियमों के विनियम 25.1 के उपखंड (क) से (ड) और विनियम 25.1 के शीर्ष के अनुसार लागू होगी।”

48. नया विनियम 25.4

48.1 मूल विनियमों के विनियम 25.3 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 25.4 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“25.4 इन विनियमों के विनियम 25.1 के अधीन त्याग प्रभारों के प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाले शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम बिलिंग माह के लिए पारेषण प्रभार (उस प्रकार के अधित्याग के लिए नोटिस की तारीख से पूर्व) पारेषण प्रभार शेयरिंग के अनुबंध—III के खण्ड (1) (क) के अधीन संगणित पारेषण प्रभार होगा”

49. मूल विनियम के विनियम 26.1 का संशोधन:

49.1 मूल विनियम के विनियम 26.1 के खण्ड (ग) के बाद, दो नए खण्ड, अर्थात् खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(घ) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली और आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए टी-जीएनए की मांग करने वाली से संबद्ध एक अंतःक्षेपण इकाई या ईएसएस:

परंतु कि अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली की गैर-तैयारी के मामले में, एक अंतःक्षेपण इकाई जिसे अंतर-राज्यिक और अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली संयोजकता दोनों के साथ संयोजकता की अनुमति दी गई है, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली को प्रदान की गई संयोजकता से आगे मात्रा के लिए पावर के अंतःक्षेपण के लिए टी-जीएनए की मांग कर सकती है। इस प्रकार की इकाई नोडल एजेंसी को इस प्रकार के टी-जीएनए आवेदन के साथ संबंधित एसटीयू से एनओसी प्रस्तुत करेगी। नोडल एजेंसी आईएसटीएस में निकासी क्षमता की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार की टी-जीएनए प्रदान करेगी।

(ङ) सौर घण्टे पहुंच या गैर-सौर घण्टे पहुंच सहित इन विनियमों के विनियम 5.11 के अधीन कवर की गई इकाई निम्नानुसार विद्युत के अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए टी-जीएनए की मांग कर सकती है:

(i) सौर घण्टे पहुंच सहित इकाई गैर-सौर घण्टों के लिए पहले से अनुमत (जीएनए के अधीन सौर घण्टे पहुंच सहित) की अपेक्षा अधिक मात्रा के लिए गैर-सौर घण्टों के दौरान अंतःक्षेपण के लिए टी-जीएनए की मांग कर सकती है।

(ii) टी-जीएनए गैर-सौर घण्टे पहुंच सहित इकाई सौर घण्टों के दौरान अंतःक्षेपण के लिए टी-जीएनए की मांग कर सकती है।

(iii) इस खण्ड के उप-खण्ड (i) और (ii) के अधीन टी-जीएनए इस शर्त के अधीन होगा कि कुल अनुसूची आईएसटीएस को संयोजन के प्वाइंट पर संयोजकता मात्रा के अंदर होगी।”

50. नया विनियम 26.7

50.1 मूल विनियमों के विनियम 26.6 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 26.7 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“26.7 एनएलडीसी पिछले वित्तीय वर्ष के लिए इकाइयों द्वारा प्राप्त की गई टी-जीएनए की मात्रा पर आधारित प्रत्येक वर्ष के मई के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और सुझाव देगी कि टी-जीएनए की मात्रा पर कोई सीमाएं विभिन्न प्रकार की इकाइयों के लिए आरंभ किया जाना अपेक्षित है।”

51 मूल विनियम के विनियम 28.2 का संशोधन

51.1 मूल विनियम के विनियम 28.2 में शब्द “संसाधन” शब्द “गैर वापसी योग्य” शब्द के बाद अंतर्वेशित किया जाएगा।

52. नया विनियम 34क

52.1 मूल विनियमों के विनियम 34.6 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 34क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“34क टी-जीएनए के अधीन संव्यवहारों के लिए प्रचालन प्रभार

34क.1 द्विपक्षीय संव्यवहारों के अधीन अग्रिम टी-जीएनए या आवश्यक टी-जीएनए के लिए 1000 रुपये प्रति दिवस या दिवस के भाग की दर पर प्रचालन प्रभार होस्ट प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को आवेदक द्वारा संदेय होंगे। आरएलडीसी फीस एवं प्रभार विनियम के अधीन संस्थापित क्षमता के लिए पहले से आरएलडीसी प्रभार अदा करते हुए इन विनियमों के विनियम 4.1 द्वारा कवर की गई प्रादेशिक इकाई के लिए उसी संस्थापित क्षमता के लिए टी-जीएनए के लिए इस प्रकार के प्रचालन प्रभारों को अदा नहीं करेगी।

34क.2 सामूहिक संव्यवहारों के मामले में, एनएलडीसी प्रचालन प्रभार अधिकतम 200 रुपये प्रति दिन के अध्यक्षीय एनएलडीसी@रु.1/मेगावाट घण्टों द्वारा अनुसूचित उनकी ऊर्जा के आधार पर प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा संबंधित पावर एक्सचेंज को संदेय होंगे। पावर एक्सचेंजों द्वारा एकत्रित एनएलडीसी प्रचालन प्रभार दैनिक आधार पर एनएलडीसी को अंतरित होंगे। पावर एक्सचेंज उन्हें क्लियर की गई मात्रा तथा इन सफल भागीदारों पर उदग्रहित एनएलडीसी प्रचालन प्रभारों सहित सफल प्रतिभागियों की दैनिक सूची सहित एनएलडीसी को उपलब्ध करवाएंगे।

परन्तु यह कि सामूहिक संव्यवहारों के अधीन, प्रचालनकारी प्रभार जीएनए मात्रा या टी-जीएनए मात्रा या दोनों, यथालागू, से अधिक आहरण अनुसूची के लिए संदेय होंगे।

स्पष्टीकरण: यह अवधारित करने के उद्देश्य से कि आहरण अनुसूची सामूहिक संव्यवहारों के मामले में, जीएनए मात्रा या टी-जीएनए मात्रा या दोनों, से अधिक है तो एसएलडीसी जीएन या टी-जीएनए, यथास्थिति, के अंतर्गत अनुसूची के अंतःराज्यिक इकाईवार ब्योरे एनएलडीसी को प्रस्तुत करेगा। एनएलडीसी सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए के अंतर्गत संदेय प्रचालन प्रभारों के पावर एक्सचेंज-वार और इकाई-वार पृथक्करण जारी करेंगे।

53. मूल विनियम के विनियम 36.1 का संशोधन :

53.1 मूल विनियम के विनियम 36.1 का परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“परन्तु प्रदेश के अंदर पारेषण प्रणाली में दबाव के मामले में, उपलब्ध पारेषण कॉरिडोर उनके कुल जीएनए के अनुपात में जीएनए अनुदानग्राहियों को आवंटित किया जाएगा और प्रदेश के बाहर पारेषण प्रणाली में दबाव के मामले में, उपलब्ध पारेषण कॉरिडोर बाहरी प्रदेश से उनके जीएनए के अनुपात में जीएनए अनुदानग्राहियों को आवंटित किया जाएगा और जीएनए अनुदानग्राही इस प्रकार के आवंटित पारेषण कॉरिडोर के अंदर किसी कंट्रेक्ट के अंतर्गत अनुसूचित विद्युत के लिए पात्र होंगे।”

54. मूल विनियम के विनियम 37.2 का संशोधन :

54.1 मूल विनियम के विनियम 37.2 के खंड (च) में शब्द "विनियम 10.3" को शब्द "विनियम 10" से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

55. नया विनियम 37.10

55.1 मूल विनियम के विनियम 37.9 के बाद एक नया विनियम अर्थात् विनियम 37.10 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"37.10 इन विनियमों के तीसरे संशोधन के संबंध में संक्रांतिक उपबंध: :

(क) यदि संयोजकता प्रदान करने या जीएनए प्रदान करने के लिए आवेदन के तीसरे संशोधन की प्रभावशीलता से पूर्व इन विनियमों के अधीन किए गए हैं लेकिन संयोजकता प्रदान करने या जीएनए प्रदान करने को सिद्धांत: इन विनियमों के प्रभाव में आने की तारीख पर जारी नहीं किए गए हैं तो इस प्रकार के आवेदन तीसरे संशोधन के अनुसार संसाधित किए जाएंगे। यदि कोई अतिरिक्त ब्योरे तीसरे संशोधन के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या आवेदन का संशोधन किया जाना अपेक्षित है तो इस प्रकार की इकाइयां इन विनियमों के प्रभाव में आने से एक माह की अवधि के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा:

परंतु कि यदि संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों के विनियम 5.8 (xi) के खण्ड (क) के अधीन कवर की गई इकाई द्वारा किया गया है, जहां संस्थापित क्षमता एलओए या पीपीए की मात्रा से अधिक है तो एलओए या पीपीए पर आधारित आवेदन सिंगल लोकेशन या मल्टीपल लोकेशन पर किए गए हैं और इस प्रकार की संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से प्रदान करने की सूचना इन आवेदन इन विनियमों के तीसरे संशोधन के प्रभाव में आने की तारीख पर नोडल एजेंसी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं तो आवेदक एक माह के अंदर आवेदन इन विनियमों के तीसरे संशोधन के अधीन आवेदन के रूप में आवेदन का संपरिवर्तित करने के लिए नोडल एजेंसी अनुरोध करेगा और संशोधित आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके न होने की स्थिति में नोडल एजेंसी आवेदन इन विनियमों के तीसरे संशोधन के अधीन उपबंधों के अनुसार आवेदन को संसाधित करेगी और यदि संयोजकता एलओए या पीपीए के आधार पर मल्टी लोकेशन के लिए आवेदन किया गया है तो नोडल एजेंसी उस स्थान के लिए संयोजकता प्रदान करेगी जहां स्थापित क्षमता उच्चतम है।

(ख) उन मामलों के लिए जहां संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से प्रदान करना सूचित किया गया है लेकिन संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करना इन विनियमों के तीसरे संशोधन के प्रभावी होने की तारीख जारी किया जाना बाकी है, उन्हें नियमानुसार माना जाएगा:

(i) इन विनियमों के विनियम 7.1 और 7.2 के अधीन (एटीएस के बिना संवर्धन) के अधीन कवर किए गए उन मामलों के लिए, जहां आवेदक ने कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3, यथा लागू प्रस्तुत किया है, वहां नोडल एजेंसी अंतिम रूप से संयोजकता प्रदान करना जारी करेगी और इन विनियमों के तीसरे संशोधन के अधीन उपबंधों के अनुसार संयोजकता करार पर हस्ताक्षर करेगी। यदि कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3, यथा लागू को प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे तीसरे संशोधन के अनुसार आवेदन की आगे की प्रोसेसिंग के लिए तीसरे संशोधन के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन कवर किए गए (एटीएस सहित संवर्धन) मामलों के लिए जहां सभी लागू कन-बीजी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया वहां नोडल एजेंसी संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करना जारी करेगी और इन विनियमों के तीसरे संशोधन के अधीन उपबंधों के अनुसार संयोजकता करार हस्ताक्षर करेगी।

(iii) इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन कवर किए गए मामले (एटीएस सहित संवर्धन) के लिए जहाँ सभी लागू कन-बीजी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है वहाँ नोडल एजेंसी इन विनियमों के अधिसूचना के 15 दिनों के अंदर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कन-बीजी की राशि सूचित करेगी। इस प्रकार के कन-बीजी नोडल एजेंसी की सूचना के एक माह के अंदर आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। आवेदक द्वारा सभी लागू कन-बीजी को प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करना जारी करेगी और इन विनियमों के तीसरे संशोधन के अधीन उपबंधों के अनुसार संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगी।

(ग) यदि संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन एलओए के आधार पर इन विनियमों के विनियम 5.8(xi) के खण्ड (क) के अधीन कवर की गई इकाई द्वारा किए गए हैं तो इस प्रकार की इकाई के तीसरे संशोधन की प्रभावशीलता की तारीख से एक मास की अवधि के अन्दर नोडल एजेंसी (इन विनियमों के विनियम 11क और 24.6 के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के पीपीए के तदनंतर एससीओडी की तारीख सहित) को इस प्रकार की एलओए की मात्रा के लिए पीपीए के हस्ताक्षर करने की स्थिति प्रस्तुत करेगी जिसके न होने की स्थिति में संयोजकता को प्रतिसंहरित किया जाएगा। यदि पीपीए को उसके बाद हस्ताक्षरित किया गया है तो वहाँ इकाई को इन विनियमों के विनियम 11क और 24.6 के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के पीपीए के तदनंतर एससीओडी की तारीख सहित इस प्रकार के पीपीए के हस्ताक्षर करने से एक सप्ताह की अवधि के अंदर पीपीए के हस्ताक्षर करने के बारे में नोडल एजेंसी को सूचित करने के लिए अधिदेशित करेगी।

(घ) वह इकाई जिसमें पहले ही आवेदन किया है और जिसका आवेदन संसाधित में है या इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख से पूर्व इन विनियमों के विनियम 5.2 के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है और जहाँ इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता ने सीओडी प्राप्त नहीं किया है, निम्नलिखित का अनुपालन करेगी:

(i) इकाई इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख से एक मास की अवधि के अंदर इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की अनसूचित तारीख प्रस्तुत करेगी।

परंतु कि इस प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए एससीओडी इन विनियमों के विनियम 5.2 के उप-खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट समयसीमा के बाद नहीं होगी, जहाँ इस प्रकार की समयसीमा नोडल एजेंसी द्वारा सैद्धांतिक रूप से प्रदान की गई तारीख या इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख से, जो भी बाद में हो, आरंभ होगी:

(ii) इकाई इन विनियमों के विनियम 5.2 के उप-खण्ड (ड) में यथा निर्धारित समयसीमा के अंदर इन विनियमों के विनियम 5.2 के उप-खण्ड (ड) में यथाप्रदत्त कन-बीजी¹ और कन-बीजी³ या इन विनियमों के संशोधन की प्रभावशीलता की तारीख से दो माह (जो भी बाद में हो) प्रस्तुत करेंगे जिसके न होने की स्थिति में इस प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए अनुमोदन प्रतिसंहरित किया जाएगा।

(iii) इकाई इस विनियम के प्रभावशीलता की तारीख से दो माह के अंदर इन विनियमों के विनियम 5.2 के उप-खण्ड (ज) में यथाप्रदत्त इन विनियमों के विनियम 5.8(xi) के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिसके न होने की स्थिति में इस प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए अनुमोदन प्रतिसंहरित किया जाएगा।

(iv) इकाई संयोजकता की मात्रा के अंदर इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता (स्टोरेज के लिए पावर चार्जिंग के प्रयोजन के लिए) के लिए ग्रिड से अपेक्षित अधिकतम आहरण विनिर्दिष्ट करेगी जो उपलब्ध मार्जन या संवर्धन सहित, यथास्थिति, के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा संसाधित की जाएगी। यदि संवर्धन संयोजकता की मात्रा के अंदर इस प्रकार के अतिरिक्त आहरण की अनुमति के लिए अपेक्षित है तो इकाई नोडल एजेंसी द्वारा यथासूचित इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार कन-बीजी2 प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

(ड) स्टोरेज सहित आरईजीएस जिसने संयोजकता के लिए पहले ही आवेदन किया है या इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख को ग्रिड से संबद्ध हैं, प्रदान की गई या संयोजकता की मात्रा के अंदर ग्रिड से अधिकतम मात्रा आहरण अपेक्षा और अंतःक्षेपण की अधिकतम मात्रा (स्टोरेज के लिए पावर चार्जिंग के प्रयोजन के लिए), यथास्थिति, की मांग करते हुए नोडल एजेंसी को आवेदन के लिए पात्र होगी जिसे आवेदन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा संसाधित किया जाएगा। स्टार्टअप पावर या सहायक पावर के आहरण के लिए, टी-जीएनए या टीडीआर के अधीन पारेषण प्रभार शेयरिंग विनियमों के अनुसार इस प्रकार की इकाई द्वारा प्रतिदेय होंगे।

(च) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाई और जो जीएनए विनियमों के तीसरे संशोधन की प्रभावशीलता के दो सप्ताह के अंदर तीसरे संशोधन को प्रभावशीलता की तारीख को संयोजकता की पूर्ण मात्रा के लिए सीओडी प्राप्त करना है, तो नोडल एजेंसी को इसकी कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न और प्रवर्तक के ब्योरे प्रस्तुत करेगी जिसके न होने की स्थिति में नोडल एजेंसी इस प्रकार के आवेदक को सूचना देते हुए इस प्रकार के दो सप्ताह के बीत जाने के बाद एक सप्ताह के अंदर संयोजकता प्रतिसंहारित करेगी। इन विनियमों की प्रभावशीलता के बाद कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न और प्रवर्तक के ब्योरों में कोई परिवर्तन इन विनियमों के विनियम 11क(6) के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(छ) आरपीपीडी जहां इस प्रकार की आरपीपीडी के अंदर उत्पादन क्षमता संयोजकता क्षमता की कुल मात्रा के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त किया जाना है वहां इन विनियमों की प्रभावशीलता के तीन मास के अंदर नवीकरणीय पावर पार्क के अधीन उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख प्रस्तुत करेगी, जिसके न होने की स्थिति में इस प्रकार की आरपीपीडी के लिए संयोजकता की आरंभिक तारीख एससीओडी के रूप में ली जाएगी और तदनुसार इन विनियमों के विनियम 24.6 इस प्रकार एससीओडी पर लागू किये जाएंगे।

(ज) उन इकाइयों को जिन्हें एलओए या पीपीए के आधार पर संयोजकता प्रदान की गई है और जिन्होंने पहले ही वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त किया है इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर परियोजना के भूमि दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी। नोडल एजेंसी इस प्रकार के भूमि दस्तावेजों की सुव्यवस्थित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के भूमि दस्तावेज भूमि पार्सल में परिवर्तन या नए संयोजकता की मांग समय किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते।

56. मूल विनियम के विनियम 39.1 का संशोधन :

56.1 मूल विनियम के विनियम 39.1 के दूसरे से चौथे परन्तुक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“परन्तु कि नोडल एजेंसी इन विनियमों को ध्यान में रखते हुए संशोधित विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी और आयोग की सूचना के लिए प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह भी कि नोडल एजेंसी हितधारकों के परामर्श के बाद इन विनियमों की अधिसूचना के 60 दिनों के अंदर भौगोलिक सन्निकटता, तकनीकी संभाव्यता, आईएसटीएस योजना और भौगोलिक प्रतिफलों सहित मानदण्ड को निर्धारित करते हुए इन विनियमों के विनियम 2.1 के खण्ड (ज-i) के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी और आयोग की सूचना के लिए उसे प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह भी कि आयोग संशोधित विस्तृत क्रियाविधि के अशोधन के लिए, जहां आवश्यक समझता है, दिशानिर्देश जारी कर सकता है:

परन्तु यह भी कि नोडल एजेंसी इन विनियमों को ध्यान में रखते हुए संशोधित फार्मेट जारी करेगी:

परन्तु यह भी कि नोडल एजेंसी आयोग के अनुमोदन के लिए इन विनियमों की अधिसूचना के 60 दिनों के अंदर हितधारकों के परामर्श के बाद इन विनियमों के विनियम 11ग के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि प्रस्तुत करेगी।”

57. मूल विनियम के विनियम 39.2 का संशोधन:

57.1 मूल विनियम के विनियम 39.2 में एक नया परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह भी कि एनएलडीसी आयोग के अनुमोदन के लिए इन विनियमों की अधिसूचना के 60 दिनों के अंदर हितधारकों के परामर्श के बाद इन विनियमों के विनियम 2.1 (कट-i) और विनियम 5.6 के संबंध में के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि प्रस्तुत करेगी।”

58. मूल विनियम के विनियम 40.2 का संशोधन:

58.1 विनियम 40.2 के मुख्य पैराग्राफ में शब्द “विनियम 4.1” को “विनियम 4” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा और मूल विनियम के विनियम 40.2 के परन्तुक में “और आईएसटीएस से संबद्ध” शब्दों को “घोषित वाणिज्यिक प्रचालन” शब्दों के बाद अंतर्वेशित किया जाएगा:

59. नया विनियम 40.5

59.1 मूल विनियम के विनियम 40.4 के बाद एक नया विनियम अर्थात् विनियम 40.5 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“40.5 टी-जीएनए के लिए कोई पारेषण प्रभार आईएसटीएस या अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संबद्ध इकाई द्वारा आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए संदेय नहीं होगा।”

60. विनियमों में 2.1(कढ-i) 16.5, 20.5, 20.6, 26.5, 26.6, 34.2 और इन विनियमों के अनुबंध-II में एक बार या बहुलित बार घटित होने वाले शब्द “आहरण” को शब्द “आहरण” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

61. नया अनुबंध-III

61.1 इन विनियमों के विनियम 11क और विनियम 5.8 (xi)(क) के अधीन विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई आरईजीएस की स्थिति को मॉनिटर करने के लिए एक नया अनुबंध अर्थात् अनुबंध-III निम्नानुसार मूल विनियम के अनुबंध-II के बाद जोड़ा जाएगा:

अनुबंध-III**सारणी-1 : इन विनियमों के विनियम 11क के अधीन विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई आरईजीएस की स्थिति**

क्र.सं.	आवेदन सं.	आवेदक का नाम	प्रकार (सौर/पवन/ईएसएस/हाइब्रिड)	क्षमता (मेगावाट)	एलओए/भूमि बीजी/भूमि रूट के अधीन संयोजकता	प्रदान की गई संयोजकता (सैद्धांतिक रूप से/अंतिम)	सबस्टेशन का नाम	एससीओडी	आरंभिक तारीख संयोजकता	तारीख जिस तक भूमि दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है	भूमि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख	वह तारीख जिसमें वित्तीय क्लोजर प्राप्त किया जाना अपेक्षित है	वित्तीय क्लोजर प्राप्त करने की तारीख	गैर-अनुपालन के मामले में की गई कार्रवाई

सारणी-2 : एलओए या पीपीए की समाप्ति के तदनंतर प्रतिसंहरण और हस्ताक्षरित पीपीए के लिए इन विनियमों के विनियम 5.8 (xi) (क) के अधीन कवर की गई आरईजीएस की स्थिति

क्र.सं.	आवेदन सं.	आवेदक का नाम	प्रकार (सौर/पवन/ईएसएस/हाइब्रिड)	क्षमता (मेगावाट)	एलओए/पीपीए के अधीन संयोजकता	पीपीए के हस्ताक्षर करने की तारीख	क्या एलओए या पीपीए को समाप्त किया गया? यदि हां तो समाप्ति की तारीख	एलओए या पीपीए की समाप्ति के कारण संयोजकता के प्रतिसंहरण की तारीख	प्रतिसंहरण के लिए की गई कार्रवाई

62. नया अनुबंध -IV -

62.1 सौर घण्टे पहुंच और गैर सौर घण्टे पहुंच के लिए पद्धतियां प्रदान करने के लिए एक नया अनुबंध अर्थात अनुबंध-VI मूल विनियम के अनुबंध-III के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

अनुबंध-IV

सौर घंटे पहुंच और गैर सौर घंटे पहुंच की पद्धतियां

(1) इन विनियमों के विनियम 5.11 (क) के अधीन कवर की गई इकाई को गैर सौर घंटे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान करना:

(क) इस प्रकार की इकाई को गैर सौर घंटे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान की जाएगी जहाँ:

- (i) गैर-सौर घंटों के दौरान, यह संयोजकता मात्रा तक अंतःक्षेपण के लिए पात्र होगा,
- (ii) सौर घंटों के दौरान, अंतःक्षेपण अधिकारों को संयोजकता मात्रा तक इन विनियमों के विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन कवर की गई इकाई को प्रदान किया जाएगा;

परंतु, विनियम 5.11(क) के अधीन इस प्रकार की इकाई या अग्रणी उत्पादक के रूप में उसी आईएसटीएस से संबद्ध 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन कवर की गई इकाई से करार में प्रवेश किया जा सकता है या गैर सौर घंटे पहुंच या प्रत्येक अन्य सौर घंटे पहुंच के उपयोग के लिए क्यूसीए (ग्रिड कोड के अनुसार) को नियुक्त किया जा सकता है:

परंतु यह भी विनियम 5.11(क) के अधीन इकाई या अग्रणी उत्पादक के रूप में उसी आईएसटीएस सबस्टेशन से संबद्ध विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन कवर की गई एक इकाई से अधिक के साथ (सौर घंटे पहुंच सहित) करार कर सकता है या निम्नलिखित मामलों में गैर सौर घंटे पहुंच या प्रत्येक अन्य सौर घंटे पहुंच के उपयोग के लिए क्यूसीए (ग्रिड कोड के अनुसार) को नियुक्त कर सकता है:

- (i) विनियम 5.11(क) के अधीन इकाई आईएसटीएस सबस्टेशन पर स्पेयर बे पर पृथक समर्पित लाइन के माध्यम से संयोजकता की मांग कर सकता है;
- (ii) इन विनियमों के विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन कवर की गई एक से अधिक इकाई द्वारा उपलब्ध किए गए गैर सौर घंटे पहुंच के उपयोग की मांग कर सकता है।

(ख) इस प्रकार की इकाई पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अधीन इन विनियमों के अनुसार इस प्रकार की इकाई को संयोजकता प्रदान करने के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा अनुमत्त और यथा प्रयुक्त मात्रा के लिए स्टोरेज हेतु पावर चार्जिंग के प्रयोजन के लिए पूरे दिन ग्रिड से विद्युत के आहरण के लिए पात्र होगी। स्टार्टअप पावर या सहायक पावर के आहरण के लिए टी-जीएनए या टीडीआर के अधीन पारेषण प्रभार शेयरिंग विनियमों के अनुसार इस प्रकार की इकाई द्वारा संदेय होगी।

(ग) इस प्रकार की इकाई इस प्रकार के सौर घंटों के दौरान विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए टी-जीएनए की मांग कर सकती है कि सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण की कुल अनुसूची इन विनियमों के विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन कवर की गई एक इकाई की अपेक्षा की पूर्ति के बाद और सौर घंटे पहुंच के साथ इकाई को प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा से अधिक नहीं होती जिसके साथ सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण अधिकार इस प्रकार के टी-जीएनए सहित प्रदान किए गए हैं, को कम किया जाएगा यदि सौर घंटे पहुंच के साथ मूल इकाई ग्रिड कोड के अधीन यथा अनुमत्त इसकी अनुसूची अपवर्ड को संशोधित करती है।

(घ) इस प्रकार की इकाई को, यदि यह केविविआ (सहायक सेवा विनियम) 2022 के अनुसार सहायक सेवाओं के अधीन सहभागिता करती है तो उसे सौर घंटों या गैर-सौर घंटों के दौरान अंतःक्षेपण के लिए यथा लागू आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(ङ) वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से प्रदान करने की तारीख से 24 माह या संयोजकता की निश्चित आरंभिक तारीख, जो भी बाद में हो, के बाद नहीं होगी:

(च) यदि इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन कवर की गई किसी इकाई को विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन एक इकाई के सब-पूलिंग स्टेशन के माध्यम से संयोजकता प्रदान की जाती है तो करार ऐसी प्रत्येक इकाई को प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा के अनुपात में समर्पित पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रभारों के भुगतान सहित समर्पित पारेषण प्रणाली की शेयरिंग के लिए इन इकाइयों के बीच किया जाएगा जिसपर पार्टियों के बीच परस्पर रूप से सहमति होगी। शेयरिंग करार को निष्पादित किया जाएगा और संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करने के छः माह के अंदर नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(छ) नोडल एजेंसी इस विनियम की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर प्रकाशित करेगी और इकाइयों के बीच लागत शेयरिंग के लिए संदर्भ लागत के रूप में रिएक्टिव विद्युत उपकरणों सहित समर्पित पारेषण प्रणाली की विभिन्न अभिविन्यासों की सूचक पूंजी लागत को प्रकाशित करेगी। नोडल एजेंसी स्टैकहोल्डर की फीडबैक के आधार पर निर्देशात्मक पूंजी लागत के आधार पर इस प्रकार की सूची को अद्यतन करेगी।

(ज) यदि पारस्परिक करार आरईजीएस के सब-पूलिंग स्टेशन सहित, समर्पित पारेषण प्रणाली के लिए प्रभारों के भुगतान के लिए प्राप्त नहीं किया जाता है तो समर्पित पारेषण प्रणाली की शेयरिंग निम्नानुसार कार्यान्वित की जाएगी:

i विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन इकाई, प्रत्येक इकाई के लिए संयोजकता की मात्रा के समानुपात में ससमर्पित पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए विनियम 5.11(क) के अधीन इकाई से नोडल एजेंसी द्वारा यथा अधिसूचित इस प्रकार के संरूपण की सांकेतिक पूंजी लागत से अधिक प्रभारित नहीं करेगी।

ii. इन विनियमों के विनियम 5.11 (क) के अधीन कवर की गई एक इकाई इसकी अपनी लागत पर आयोग के अन्य विनियमों और ग्रिड कोड के अनुपालन के लिए तथा समर्पित पारेषण प्रणाली में किसी संशोधन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(झ) संयोजकता बैंक गारंटी:

(क) विनियम 5.11(क)(i) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, संयोजकता बैंक गारंटी अर्थात् कन-बीजी1, कन-बीजी2 और कन-बीजी3, यथास्थिति, इन विनियमों के विनियम 8 के उपबंधों के अनुसार ईकाई द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) विनियम 5.11(क) के खण्ड (ii) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन इकाई द्वारा पहले से प्रस्तुत की गई संयोजकता बैंक गारंटी अर्थात् कन-बीजी2 और कन-बीजी3, यथास्थिति, इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन कवर की गई इकाई और विनियम 5.11(ख) या विनियम 5.11(ग) के अधीन कवर की गई इकाई के बीच समानुपातिक आधार पर शेयर किया जाएगा। इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार कन-बीजी1 प्रत्येक इकाई द्वारा पृथक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) एकबारगी जीएनए प्रभार:

क. विनियम 5.11(क) के खण्ड (i) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, एकबारगी जीएनए प्रभार इन विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार ईकाई द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। .

ख. विनियम 5.11(क)(ii) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन इकाई द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए एकबारगी जीएनए प्रभार इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन कवर की गई इकाई और विनियम 5.11(ख) या 5.11(ग) के अधीन इकाई के बीच समानुपातिक आधार पर (संयोजकता की मात्रा के आधार पर) शेयर किया जाएगा।

(ट) शेयर की गई समर्पित पारेषण प्रणाली आईएसटीएस पारेषण प्रभार पूल का भाग नहीं होगी;

(ठ) यदि इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन संयोजकता की मांग करने वाली इकाई ईएसएस है तो यह केवल इस प्रकार के ईएसएस की चार्जिंग के प्रयोजन के लिए आरईजीएस को स्थापित कर सकती है। इस प्रकार के आरईजीएस की संस्थापित क्षमता आवेदन में दर्शायी जाएगी और इस प्रकार की आरईजीएस को इन विनियमों के विनियम 11क के अधीन वित्तीय क्लोजर या विनियम 5.8 के अधीन भूमि के दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(ड) इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन इकाई को गैर सौर घण्टे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान करना आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय तथा सबस्टेशन पर उपलब्ध शेष गैर सौर घण्टे पहुंच के अनुसार होगा।

अस्थायी स्थिति के लिए निदर्शी निम्नानुसार दिया गया है:

क. अनुमान करें 3000मेगावाट की क्षमता वाले 'एस1' सबस्टेशन पर, सौर स्रोतों पर आधारित 10 इकाइयों को (इकाई 'क' से इकाई 'ज') 300 मेगावाट प्रत्येक के लिए 220केवी बे पर संयोजकता प्रदान की गई है। इसके अलावा, एस1 पर दो अतिरिक्त 400केवी बे के लिए स्थान है। इकाई 'क' से इकाई 'ज' को एस1 पर गैर-सौर घण्टे पहुंच के उपलब्ध 3000मेगावाट के सौर घण्टे पहुंच सहित इकाई के रूप में संपरिवर्तित किया गया है।

ख. अनुमान करें प्रत्येक 900मेगावाट के बीईएसएस पर आधारित दो इकाइयां 'त' और 'थ' एस1 पर रिक्त 400केवी बे के माध्यम से इन विनियमों के विनियम 5.11(क)(i) के अधीन गैर सौर घण्टे पहुंच के लिए संयोजकता की मांग करती है। इकाई 'त' और 'थ' में संयोजकता प्रदान करने के बाद, 1200 मेगावाट गैर सौर पहुंच एस1 पर शेष होगी।

ग. अब, अनुमान करें बीईएसएस पर आधारित चार इकाइयां इन विनियमों के विनियम 5.11(क)(ii) के अधीन 300 मेगावाट संयोजकता की मांग करते हैं तो (इकाई 'ब' माह के प्रथम दिन को मौजूदा इकाई 'ख' को आवंटित बे पर संयोजकता के लिए लागू होती है, इकाई 'भ' माह के दसवें दिन को मौजूदा इकाई 'घ' के लिए आवंटित बे पर संयोजकता के लिए लागू होती है और दूसरी इकाई 'म' माह के दसवें दिन को मौजूदा इकाई 'ज' के लिए आवंटित बे पर संयोजकता के लिए लागू होती है, 'य' माह के पंद्रहवें दिन को मौजूदा इकाई 'ख' के लिए आवंटित बे पर संयोजकता के लिए लागू होती है)। इस प्रकार के आवेदन निम्नलिखित ढंग से संसाधित किए जाएंगे:

- इकाई 'ब' मौजूदा इकाई 'ख' के लिए आवंटित बे पर गैर सौर घण्टे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान की जाएगी।
- इकाई 'भ' मौजूदा इकाई 'घ' के लिए आवंटित बे पर गैर सौर घण्टे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान की जाएगी।
- इकाई 'म' मौजूदा इकाई 'ज' के लिए आवंटित बे पर गैर सौर घण्टे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान की जाएगी।

- इकाई 'य' मौजूदा इकाई 'ख' को आवंटित बे पर गैर सौर घण्टे पहुंच सहित संयोजकता प्रदान नहीं की जाएगी चूंकि यह पहले ही 'ब' को आवंटित की गई है चूंकि यह 'य' का टाइम स्टैम्प 'ब' के बाद का था।

इसके अलावा गैर सौर घण्टे पहुंच सहित 300 मेगावाट संयोजकता एस1 पर शेष उपलब्धता होगी और रिक्त गैर सौर घण्टे पहुंच सहित मौजूदा इकाई के किसी बे पर संयोजकता की इस प्रकार की मात्रा की मांग करते हुए किसी आवेदन को आवेदन की तारीख और समय मोहर के आधार प्रदान किया जा सकता है।

(घ) उपखण्ड (क) से (ग) के अधीन चरणों के तदनंतर अनुमान करें मौजूदा इकाई 'घ' माह के 15वे दिन को 200 मेगावाट के लिए सौर से पवन तक के नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तन की मांग करती है, मौजूदा इकाई (क) माह के 15वे दिन को 200 मेगावाट के लिए सौर से पवन तक के नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तन की मांग करती है और बीईएसएस पर आधारित दूसरी इकाई 'भ1' माह की 20 को मौजूदा इकाई 'क' के लिए आवंटित बे पर गैर सौर घण्टे पहुंच सहित 300 मेगावाट संयोजकता की मांग करती है। इस प्रकार के आवेदनों को निम्नलिखित ढंग से संसाधित किया जाएगा:

- मौजूदा इकाई 'घ' को नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी चूंकि मौजूदा इकाई 'घ' को आवंटित बे पर उपलब्ध गैर सौर घण्टे पहुंच नई इकाई 'भ' को पहले ही प्रदान की गई है।
- मौजूदा इकाई 'क' पर इस प्रकार के परिवर्तन के लिए अन्य शतों की पूर्ति के अध्यक्षीन 200 मेगावाट के लिए नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तन के लिए विचार किया जाएगा।

बीईएसएस पर आधारित इकाई 'फ' पर गैर सौर पहुंच घण्टे सहित 300 मेगावाट के लिए संयोजकता हेतु विचार नहीं किया जाएगा चूंकि 'क' के लिए संरूपण में परिवर्तन के बाद मौजूदा इकाई 'क' को आवंटित इस बे पर शेष क्षमता केवल 100 मेगावाट के रूप में बनी रहेगी। तथापि यदि इकाई 'भ1' सहमत हो जाती है तो 200 मेगावाट के लिए आवेदन इन विनियमों के लिए विनियम 3.7.2 के अधीन वापस लिए जा सकते हैं और नोडल एजेंसी 100 मेगावाट के लिए आवेदन पर विचार करेगा।

(2) इन विनियमों के विनियम 5.11(ख) और 5.11(ग) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए संयोजकता:

(क) इस प्रकार की इकाई को सौर घण्टे पहुंच (गैर सौर घण्टे के दौरान संयोजकता मात्रा तक सीमित गैर सौर क्षमता के तदनुरूपी अंतःक्षेपण अनुसूची अधिकार और सौर घण्टों के लिए संयोजकता मात्रा के तदनुरूपी अंतःक्षेपण अनुसूची अधिकार सहित) के साथ संयोजकता प्रदान की जाएगी। गैर सौर घण्टों के दौरान पहुंच की शेष मात्रा इन विनियमों के विनियम 5.11 (क) के अधीन कवर की गई दूसरी इकाई में निहित होगा;

(ख) इस प्रकार की इकाई पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यक्षीन इन विनियमों के अनुसार इस प्रकार की इकाई को संयोजकता प्रदान करने के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा अनुमत्त और यथा प्रयुक्त के रूप में मात्रा के लिए स्टोरेज हेतु चार्जिंग पावर के प्रयोजन के लिए पूरे दिन ग्रिड से विद्युत के आहरण की पात्र होगी। टी-जीएनए या टीडीआर के अधीन पारेषण प्रभार शेयरिंग के विनियमों के अनुसार सहायक पावर या स्टार्टअप पावर के आहरण के लिए इस प्रकार की इकाई द्वारा संदेय होगा।

(ग) इस प्रकार की इकाई यदि केविआ (सहायक सेवा विनियम), 2022 के अनुसार सहायक सेवाओं के अधीन सहभागिता करती है, तो उसे गैर-सौर घण्टों के दौरान अंतःक्षेपण के लिए, यथा लागू आरएलडीसी या एनएलडीसी, द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(घ) इस प्रकार की इकाई गैर-सौर घंटे के दौरान अंतःक्षेपण के लिए विनियम 5.11(क) के अधीन कवर की गई इकाई (इकाइयों) की पहुंच के उपयोग के लिए क्यूसीए (ग्रिड कोड के अनुसार) को नियुक्त कर सकती है या अग्रणी उत्पादक के रूप में विनियम 5.11(क) के अधीन कवर की गई इकाई (इकाइयों) के साथ करार में प्रवेश कर सकती है।

(ङ) विनियम 5.11(ख) के अधीन कवर की गई इकाई, इन विनियमों के विनियम 5.11(क) या विनियम 5.2 के अधीन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (ईएसएस सहित या उसके बिना) या ईएसएस के लिए अनुमोदन की मांग कर सकती है जिसे आवेदन की तारीख और समय स्टैम्प के अनुसार विचार किया जाएगा। यदि विनियम 5.2 के अधीन आवेदन नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो शेष संयोजकता की मात्रा पर इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

(3) इन विनियमों की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी निम्नलिखित सूची को प्रकाशित करेगी और मासिक आधार पर उसको अद्यतन भी करेगी:

(क) उन इकाइयों के सब-स्टेशन वार ब्योरे जिन्हें संयोजकता को सैद्धांतिक रूप से प्रदान करने के लिए सूचित किया गया है, संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करना जिनका जीएनए प्रदान की गई संयोजकता और उनका स्रोत वार संरूपण इन विनियमों के विनियम 5.11 के खंड (क) से (ग) के अधीन प्रभावी है।

(ख) इस खंड के उप-खंड (क) के अधीन कवर किए गए सबस्टेशनों पर उपलब्ध रिक्त बे, यदि कोई है, जहाँ संयोजकता इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन कवर किए गए आवेदक को प्रदान किया जा सकता है।

(ग) इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन प्रदान करने के लिए उपलब्ध गैर सौर घण्टे संयोजकता मात्रा के सबस्टेशन वार और बे वार ब्योरे।

(4) इस विनियम की प्रभावशीलता की तारीख को, वह आवेदक जिनके संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन संसाधन के अधीन है और सैद्धांतिक रूप से संयोजकता प्रदान किया जाना सूचित किया जाना है, गैर-सौर घंटों के लिए इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन आवेदन के लिए इस विनियम की प्रभावशीलता की तारीख से तीन माह भी दिए जाएंगे।

(5) सौर घण्टे पहुंच और गैर सौर घण्टे पहुंच वाली इकाइयां जिन्हें समर्पित पारेषण प्रणाली की शेयरिंग के माध्यम से या पृथक समर्पित पारेषण प्रणाली के माध्यम से उसी आईएसटीएस पारेषण क्षमता के लिए संयोजकता प्रदान की गई है, ग्रिड कोड के उपबंधों के अधीन अनुसूचीकरण को सरल बनाने और समन्वय के लिए उनकी ओर से ग्रिड कोड के विनियम 45 के खंड (11)(क) के अनुसार क्यूसीए को नियुक्त कर सकता है या इन विनियमों के विनियम 2.1 (म) (ii) के अनुसार एक इकाई को 'अग्रणी उत्पादक' बना सकता है;

परंतु यह कि यदि इस प्रकार के आवेदक अग्रणी उत्पादक या क्यूसीए को नियुक्त करते हैं, तो इन विनियमों के विनियम 5.11(क) के अधीन कवर की गई इकाई की विद्युत का अनुसूचीकरण को इस प्रकार के अग्रणी उत्पादक या क्यूसीए द्वारा सौर घंटों के दौरान अनुमति दी जा सकती है;

(6) एनएलडीसी प्रत्येक राज्य के लिए साप्ताहिक आधार पर इन संशोधनों की अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाले सौर घंटों और गैर-सौर घंटों को अधिसूचित करेगा। एनएलडीसी मौसमी परिवर्तनों सहित अप्रत्याशित आकस्मिकता के मामले में सप्ताह के दौरान इस प्रकार के घंटों का संशोधित कर सकता है।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./355/2025-26]

नोट:

- (i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता तथा सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 भारत के राजपत्र (असाधारण) नं.364 के भाग III खंड 4 में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित हुए थे।
- (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र (असाधारण) नं.229 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 06.04.2023 को प्रकाशित हुए थे।
- (iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र (असाधारण) नं.469 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 01.07.2024 को प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2025

F. No. L-1/261/2021/CERC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 178 and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 read with clause (47) of Section 2, clause (d) of sub-section (2) of Section 38, clause (c) of Section 40 and clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”) namely:

1. Short Title and Commencement

- 1.1.** These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Third Amendment) Regulations, 2025.
- 1.2.** These regulations shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2.1 of the Principal Regulations:

- 2.1.** A new clause, namely, clause (h-i), shall be added after clause (h) in Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(h-i) “Cluster of ISTS substations” means one or more ISTS substations grouped together and declared by CTU on its website (grouped based on a detailed Procedure stipulating the criteria of grouping including geographical proximity, technical feasibility, ISTS planning, topographical considerations), for the ISTS substations which have been planned or are under implementation or under construction or which have already achieved commercial operation;”

- 2.2.** A new clause, namely, clause (k-i), shall be added after clause (k) in Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(k-i) “Connectivity Grantee” means an entity which has been issued a final grant of Connectivity and has signed the Connectivity Agreement (Cat-1) under Regulation 10 of these regulations;”

- 2.3.** A new Clause (t-a) shall be inserted after Clause (t) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(t-a) “Host RLDC” means the RLDC for the region in which the State where the entity is geographically located falls;”

- 2.4.** Following new clauses, namely, clause (ak-i), clause (ak-ii), clause (ak-iii) and clause (ak-iv) shall be added after Clause (ak) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(ak-i) “Solar hours” means the time blocks of the day as declared by NLDC on each Friday, based on a detailed procedure to be issued by NLDC, for the subsequent week starting from Monday to Sunday every week for each State or part thereof, based on anticipated solar insolation;

(ak-ii) “Solar hour access” means access with injection scheduling rights during solar hours for the quantum of Connectivity and injection scheduling rights during non-solar hours for the capacity other than solar source limited to quantum of Connectivity and drawal rights throughout the day in accordance with Regulation 5.11 and Annexure-IV of these regulations;

(ak-iii) “Non-Solar hours” means the time blocks other than ‘Solar hours’ of the same day;

(ak-iv) “Non-Solar hour access” means access with injection scheduling rights during non-solar hours and drawal rights throughout the day in accordance with Regulation 5.11 and Annexure-IV of these regulations;”

3. Amendment to Regulation 3.7 of the Principal Regulations:

- 3.1.** Regulation 3.7 of the Principal Regulations shall be substituted with Regulations 3.7, 3.8 and 3.9 and as under:

“3.7. Withdrawal of Application for Connectivity or GNA and treatment of Bank Guarantees: -

3.7.1 If any application for the grant of Connectivity or the grant of GNA is withdrawn before the in-principle grant of Connectivity in terms of Regulation 7 of these regulations or the grant of GNA in terms of Regulation 22 of these regulations, the Nodal Agency shall deal with such cases in the following manner:

- (a) 50% of the application fee shall be forfeited.

- (b) Balance 50% of the application fee, BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations, as the case may be, shall be returned by the Nodal Agency to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application.

3.7.2 If any application for grant of Connectivity or grant of GNA is withdrawn for partial quantum based on the non-availability of transmission capacity for the full quantum, at the substation at which Connectivity or GNA, has been proposed by the Nodal Agency and agreed by the Applicant, before the in-principle grant of Connectivity (in terms of Regulation 7 of these regulations), or before grant of GNA (for entity under Regulation 17.1(iii) of these regulations), such modification shall be carried out in the following manner:

- (a) BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations, as the case may be, shall be returned to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application for such proportionate quantum which is withdrawn.
- (b) For applicants covered under clause (vii)(b) or clause (xi)(b) of Regulation 5.8 of these regulations, the applicant shall intimate the details of the land documents corresponding to the quantum withdrawn for the purpose of release of such documents.
- (c) Such partial withdrawal shall be subject to the condition that the balance capacity meets the minimum capacity in accordance with Regulation 4 or Regulation 17.1 of these regulations, as the case may be.
- (d) Withdrawal for full quantum shall be dealt with in terms of Regulation 3.7.1 of these regulations.

3.7.3 If any application for the grant of Connectivity is withdrawn after the in-principle grant of Connectivity and before the final grant of Connectivity, the Nodal Agency shall deal with such cases in the following manner:

- (a) 100% of the application fee shall be forfeited.
- (b) 5% of the BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations, as the case may be, shall be forfeited, and the balance 95% of the BG shall be returned to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application.

- (c) If Conn BG1 and Conn-BG3, as applicable, have been furnished, Conn BG-1 shall be encashed and Conn-BG3 shall be returned to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application.
- (d) If Conn-BG2 has been furnished and ATS or terminal bay(s) have been awarded for implementation, as on the date of withdrawal, Conn-BG2 shall be encashed. For cases where ATS or terminal bay(s) have not been awarded for implementation, as on the date of withdrawal, Conn-BG2 shall be returned to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application.
- (e) Application shall be closed within 15 days from the date of withdrawal of the application, with intimation to the Applicant.

3.7.4 If any application for grant of Connectivity is withdrawn after the final grant of Connectivity but before the signing of the Connectivity Agreement, the Nodal Agency shall deal with such cases in the following manner:

- (a) 100% of the application fee shall be forfeited.
- (b) 15% of the BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations, as the case may be, shall be forfeited and the balance 85% of the BG shall be returned to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application.
- (c) Conn BG1 shall be encashed and Conn-BG3 shall be returned to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application.
- (d) If Conn-BG2 has been furnished and ATS or terminal bay(s) have been awarded for implementation, as on the date of withdrawal, Conn-BG2 shall be encashed. For such cases where the ATS or terminal bay(s) have not been awarded for implementation, as on the date of withdrawal, Conn-BG2 shall be returned within 15 days of withdrawal of the application.
- (e) Application shall be closed within a period of 15 days from the date of withdrawal with intimation to the Applicant.

3.7.5 Any withdrawal of application, for the grant of Connectivity or GNA, for partial quantum shall only be permitted under clause 3.7.2 and shall not be permitted under clauses 3.7.3 and 3.7.4 of this Regulation.

3.7.6 In case of withdrawal, revocation or relinquishment of Connectivity under clause (vii)(b) or clause (xi)(b) of Regulation 5.8 of these regulations, the land documents submitted for the corresponding quantum shall be released by the Nodal Agency within 15 days of approval of such withdrawal or revocation or relinquishment.

3.8. An applicant whose Bank Guarantee (BG) is required to be encashed shall have the option to pay the equivalent amount through online payment mode, in lieu of such encashment of BG under these regulations and seek the return of the BG, subject to the condition that online payment is made on or before the date of revocation by the Nodal Agency. In such cases(s), the Nodal Agency shall return the BG within 15 working days of confirmation of receipt of the equivalent amount through an online payment mode.

3.9. For the cases where ATS or terminal bay(s) have not been awarded for implementation and Conn-BG2 is to be returned in terms of these regulations, the Nodal Agency shall review the requirement for implementation of such ATS or terminal bay(s) consequent to the return of Conn-BG2.”

4. Amendment to Regulation 4.1 of the Principal Regulations:

4.1. The words “for a quantum of 50 MW and above” shall be added at the end of clause (d) of Regulation 4.1 of the Principal Regulations.

4.2. The following words shall be inserted at the end of the proviso of clause (e) of Regulation 4.1 of the Principal Regulations:

“and the generating station already having Connectivity to ISTS shall act as ‘lead generator’ under Regulation 2.1(y)(ii) of these regulations.”

5. New Regulation 4.4, 4.5,4.6:

5.1. New Regulations, namely, Regulation 4.4, 4.5 and 4.6 shall be added after Regulation 4.3 of the Principal Regulations as under:

“4.4. Bhakra Beas Management Board (BBMB) system having been declared as ISTS, application for grant of Connectivity to REGS or ESS seeking to get connected to the transmission network of BBMB, which is not covered under Regulation 4.1 of these regulations, shall be made and processed as specified under clauses 4.4.1 to 4.4.4 of this Regulation:

4.4.1 A REGS or ESS with an Installed capacity 5 MW and above but less than 50 MW, either individually or collectively through a Lead Generator, or Lead ESS, as the case may be, owned and operated by BBMB or selected by BBMB for implementation based on competitive bidding, may seek Connectivity to the BBMB network comprising of a

substation or transmission line of BBMB. Such entity shall furnish an application to the Nodal agency, with application fee of Rs 5 lac/application and the system study conducted by BBMB for such an entity.

4.4.2 The REGS or ESS covered under clause 4.4.1 of this Regulation shall comply with the provisions of submission of LOA or PPA or Land or BG in lieu of land (under Regulation 5.8 of these regulations), Conn-BG1, Conn-BG2, Conn-BG3 (under Regulation 8 of these regulations) and One-time GNA charges (under Regulation 40.2 of these regulations).

4.4.3 A REGS or ESS with an installed capacity of less than 5 MW, owned and operated by BBMB, or selected by BBMB for implementation based on competitive bidding, may seek Connectivity to the BBMB network, comprising a substation or transmission line or switchyard of a generating station of BBMB, by applying to BBMB SLDC for such connectivity and, after approval of BBMB SLDC, may get connected to the network of BBMB. The approval of SLDC shall be forwarded to the Nodal Agency for records, along with a fee of Rs. 5 lac/ project.

4.4.4 For REGS or ESS covered under clause 4.4.3 of this Regulation, the provisions of submission of LOA or PPA or Land or BG in lieu of land (under Regulation 5.8 of these regulations), Conn-BG1, Conn-BG2, Conn-BG3 (under Regulation 8 of these regulations) and One-time GNA charges (under Regulation 40.2 of these regulations) shall not be applicable.

4.4.5 NRLDC shall issue a separate procedure specifying scheduling and accounting methodology for generating stations covered under Regulation 4.4 of these regulations, within a period of 60 days of notification of these regulations.

4.5. A REGS based on a Wind source or ESS with an installed capacity of 50 MW and above, individually or with an aggregate installed capacity of 50 MW and above through a Lead Generator or a Lead ESS, as the case may be, may seek Connectivity:

(a) for non-solar hour access under Regulation 5.11(a) of these regulations read with Regulation 4.1 of these regulations, on the substations identified under Annexure-IV to these regulations.

Or

(b) full day access under Regulation 4.1 of these regulations.

- 4.6.** A REGS based on solar source or an RHGS with a combination of solar source with another source, shall be considered for grant of Connectivity under Regulation 4.1 of these regulations, along with Regulation 5.11(b) and 5.11(c) of these regulations, as the case may be, as an entity with solar hours access. Such entity shall be granted full day access, if the quantum of access that can be made available for non-solar hours to other entity under clause 5.11(a), is less than 50 MW.”

6. Amendment to Regulation 5.1 of the Principal Regulations:

- 6.1.** The second proviso to Regulation 5.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided further that if such an Applicant is a REGS making an application based on LOA or PPA under Regulation 5.8(xi)(a) of these regulations or Renewable Hybrid Generating Station or REGS with storage, it may apply for grant of Connectivity for a quantum less than or equal to the installed capacity.”

7. Regulation 5.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

- 7.1.** Regulation 5.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“5.2 Notwithstanding anything contained in Regulation 5.1, an entity covered under Regulation 4 of these regulations, with prior approval of the Nodal Agency, within the quantum of Connectivity granted to it, shall be eligible to install additional generation capacity, or ESS, including the capacity owned by any other entity, with the following conditions:

- (a) The existing Connectivity Grantee shall make an application seeking Connectivity for additional capacity. The application shall be processed by the Nodal Agency for in-principle grant of Connectivity and final grant of Connectivity as per provisions of Regulations 6 to 8 of these regulations, with the exception that no augmentation to ISTS shall be considered for grant of Connectivity to such additional capacity for purpose of injection and such additional capacity shall be considered within the Connectivity quantum already granted to the existing Connectivity Grantee.
- (b) The existing Connectivity Grantee shall be responsible for compliance with the Grid Code and other regulations of the Commission for such additional capacity as ‘Lead generator’ or ‘Lead ESS’ in terms of Regulation 2.1 (y)(ii) or Regulation 2.1 (x)(ii), as the case may be.

- (c) The net injection at any point in time shall not exceed the quantum of net injection allowed (within the quantum of Connectivity granted) to the existing Connectivity grantee.
- (d) In case the existing Connectivity Grantee is a standalone ESS or REGS with storage, net drawal at any point of time shall not exceed the quantum of drawal allowed, within the quantum of Connectivity:

Provided that in case additional drawal quantum from the Grid is required for the additional capacity, within the quantum of Connectivity, the same shall be granted by the Nodal Agency based on available margins or with augmentation, as the case may be.

- (e) Connectivity Bank Guarantee (Conn-BG1 and Conn-BG3) as per Regulation 8 of these regulations shall be furnished for such additional capacity (by the existing Connectivity grantee or the entity implementing the additional capacity) within one month of intimation of in-principle grant of Connectivity, failing which the Nodal Agency shall revoke the in-principle approval for additional capacity.
- (f) In case augmentation is required to allow such additional drawal within the quantum of Connectivity, the entity shall furnish Conn-BG2 in terms of Regulation 8 of these regulations, if applicable, as intimated by the Nodal Agency.
- (g) The scheduled date of commercial operation for such additional capacity shall be furnished along with the Application:

Provided that the scheduled date of commercial operation (SCOD) shall not be later than 24 months from the date of in-principle grant of Connectivity by the Nodal Agency, in case the additional capacity is REGS (with or without ESS) (except hydro generating station) or ESS (except PSP):

Provided further that in case the SCOD, as per this clause, falls before the firm Start date of Connectivity of the existing Connectivity Grantee, behind which additional capacity is sought to be added, SCOD for the additional capacity shall be considered as 'firm Start Date of Connectivity' of the existing Connectivity Grantee.

- (h) Documents required under Regulation 5.8(xi) of these regulations, as applicable, for such additional capacity shall be furnished along with the application.
- (i) Such additional capacity shall be subject to other Regulations, including Regulation 11A, Regulation 11B, and Regulation 24 of these regulations.

- (j) If the Application made for additional capacity under this Regulation is withdrawn at any stage of the application, such withdrawal of the application shall be treated as per Regulation 3.7 of these regulations.
- (k) One time GNA charges under Regulation 40.2 of these regulations shall not be applicable for such additional capacity.”

8. New Regulation 5.2A

- 8.1.** A new Regulation, namely Regulation 5.2A, shall be added after Regulation 5.2 of the Principal Regulations, as under:

“5.2A A REGS with storage shall specify the maximum quantum of injection and maximum quantum of drawal requirement from the Grid (for the purpose of charging power for storage) within the quantum of Connectivity, based on the installed capacity of REGS and storage, in the application for Connectivity. Such entity shall be eligible to schedule power under such Connectivity for the maximum quantum of injection and maximum quantum of drawal sought by the Applicant, as indicated in the final grant of Connectivity. For the drawal of start-up power or auxiliary power, the transmission charges under T-GNA or TDR shall be payable by such entity, as applicable, in terms of the Sharing Regulations.”

9. Amendment to Regulation 5.4 of the Principal Regulations:

- 9.1.** Regulation 5.4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“5.4. An Applicant, which is a standalone ESS, shall apply for the grant of Connectivity for a quantum of its proposed maximum injection to ISTS or proposed maximum drawal from ISTS, whichever is higher. ESS shall indicate the maximum quantum of injection to ISTS and the maximum quantum of drawal from ISTS in its application for Connectivity. Such entity shall be eligible to schedule power under such Connectivity for the maximum quantum of injection and maximum quantum of drawal sought by the Applicant and as indicated in the final grant of Connectivity.”

10. Amendment to Regulation 5.5 of the Principal Regulations:

- 10.1.** The following proviso shall be added to Regulation 5.5 of the Principal Regulations:

“Provided that Renewable Power Park Developer which is authorized for a quantum of more than 500 MW, shall be eligible to apply for a grant of Connectivity in phases where in the first phase the application for Connectivity shall not be less than 300 MW, and application for the balance authorized quantum shall be in phases, subject to a minimum quantum of 50 MW in each phase.”

11. Amendment to Regulation 5.6 of the Principal Regulations:

11.1. Regulation 5.6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“5.6. An Applicant may apply for grant of Connectivity at (i) a terminal bay of an ISTS sub-station already allocated to another entity which has been intimated in-principle or final grant of Connectivity under Regulation 4 of these regulations or (ii) switchyard of a generating station having Connectivity to ISTS [application under Regulation 4.1 (e)], or (iii) a terminal bay of an ISTS sub-station already allocated to an entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, with an agreement duly signed between the Applicant and the said entity for sharing the terminal bay, switchyard, and dedicated transmission lines, as the case may be. The applicable Connectivity Bank Guarantee as per Regulation 8 of these regulations shall be submitted by such Applicant:

Provided that where an Applicant is seeking Connectivity at the terminal bay or switchyard of an entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations having Connectivity to ISTS, the necessary metering, accounting, and scheduling arrangements shall be carried out as per the Detailed Procedure to be prepared by NLDC in this regard, in consultation with CTU, CEA, RPCs, and RLDCs.”

12. Amendment to Regulation 5.8 of the Principal Regulations:

12.1. Clause (ix) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(ix) In case of the Applicant covered under Regulation 5.6 of these regulations, the Agreement between the Applicant and the entity which has been intimated in-principle or final grant of Connectivity under Regulation 4 of these regulations or the generating station having Connectivity to ISTS or the entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, for sharing the terminal bay, switchyard, and the dedicated transmission lines, as the case may be.”

12.2. The main paragraph of the clause (xi) and the sub-clause (a) of clause (xi) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations, except sub-clause (b) and (c) of clause (xi), shall be substituted as under:

“(xi) In case of Applicants which are REGS (other than Hydro generating station or ESS (excluding Pumped Storage Plant (PSP)) the documents shall be submitted as per sub-clause (a) or sub-clause (b), or sub-clause (c) as specified hereunder:

(a) Letter of Award (LOA) by, or Power Purchase Agreement (PPA) entered into with, (i) a Renewable Energy Implementing Agency or (ii) a

distribution licensee or (iii) an authorized agency on behalf of distribution licensee, or (iv) the Central Government approved third party which is acting as an authorized representative of a generating station (other than REGS replacing its scheduled generation by power supplied from REGS), consequent to tariff based competitive bidding, as the case may be:

Provided that:

- (i) In case of REGS, for an application based on such LOA or PPA, an applicant shall be eligible to apply for Connectivity quantum up to the quantum for which LoA has been awarded or the PPA has been executed or the installed capacity provided in the LOA or PPA, whichever is lower. For balance capacity, if any, the applicant shall be eligible to seek additional Connectivity under Regulation 5.8(xi) (b) or Regulation 5.8(xi)(c) of these regulations.
- (ii) In case of the Applicant being multi-located REGS, where single LOA or PPA provides establishment of projects at multiple locations, the applicant shall be eligible to obtain the Connectivity based on such LoA or PPA, at any one location, up to the quantum for which LoA has been awarded or PPA has been executed or Installed capacity provided in the LOA or PPA at such location, whichever is lower. For balance capacity, if any, at this location and for capacity at other locations provided in the LOA or PPA, the applicant shall be eligible to seek the additional Connectivity under Regulation 5.8(xi)(b) or Regulation 5.8(xi)(c) of these regulations.
- (iii) For an Applicant covered under sub-clauses (i) and (ii) of this clause, where LOA or PPA quantum is less than Installed capacity mentioned in the LoA at the location at which Connectivity has been sought based on such LoA and the entity wishes to seek Connectivity for a quantum more than LOA or PPA quantum at such location, it may apply through a single application with LOA or PPA for part quantum and with documents based on clause (b) or clause (c) of Regulation 5.8(xi) of these regulations for the balance quantum of Connectivity for such location. The Nodal Agency shall process the grant of such Connectivity, treating the full quantum of Connectivity sought as a single project where SCOD for such project shall be considered based on LOA or PPA at such location. The compliance of the land document under Regulation 11A shall be met for the quantum of Connectivity covered under clause (b) or (c) of Regulation 5.8(xi). The compliance of Financial Closure under Regulation 11A shall be met for the full quantum of Connectivity, considering SCOD based on LOA or PPA. The SCOD for such a case, for the purpose of Regulation 24.6(1)(a) shall be that of LOA or PPA.

- (iv) The Applicant shall furnish land documents for the installed capacity of the project within a period of one month from the declaration of COD of such capacity. The Nodal Agency shall map such land documents and ensure that such land documents are not furnished by any Applicant while seeking new Connectivity or a change in land parcel.”

12.3. A new clause(xii) shall be inserted after clause (xi) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations as under:

“(xii) In case of Applicants which are REGS (other than Hydro generating station or ESS (excluding Pumped Storage Plant (PSP)) the following documents shall be submitted:

- (a) The details of promoters and their shareholding pattern in the Company.
- (b) Tentative Generation and drawal profile for the capacity for which Connectivity has been sought.”

13. New Regulation 5.9, Regulation 5.10 and Regulation 5.11

13.1. New Regulations, namely, Regulation 5.9 to Regulation 5.11, shall be added after Regulation 5.8 of the Principal Regulations as under:

“5.9. For the purpose of meeting compliance under Regulation 11A of these regulations, the quantum of land requirement / MW and estimated project cost / MW shall be as published on the website of CTU. The above land requirement/MW and estimated project cost / MW shall be calculated, and updated from time to time based on feedback from stakeholders, in consultation with the CEA.

5.10. Applicant covered under clause (vii) of Regulation 5.8 of these regulations or sub-clauses (b) to (c) of clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations may implement its project at a land parcel different (partly or fully) from that as submitted while seeking Connectivity, with approval of the Nodal Agency as under:

- (a) Applicant shall submit a formal request along with documents for new land parcels and identification of old land parcels (which are sought to be replaced) so as to make the total land parcels 50% of the total land required for the capacity of Connectivity.
- (b) Any discrepancy in land documents pertaining to the new land parcels shall be communicated to the Applicant within 15 days of the receipt of such request by the Nodal Agency.

- (c) Applicant shall rectify the deficiency(ies), if any, within the next 15 days, failing which the request for change in land parcel(s) shall be considered as unconditionally withdrawn by the applicant.
- (d) Applicant shall ensure that it possesses the original land parcels till it receives confirmation from the Nodal Agency regarding a change in land parcels. Until the land change request is accepted by the Nodal Agency, the land documents submitted originally shall not be used for another application.
- (e) The Nodal Agency shall confirm the change in the land parcel to the applicant and release the land documents to the applicant within 15 days of submission of complete details of the new land parcels after removing deficiencies, if any.
- (f) Request for change in land parcels can be submitted only once by the applicant.
- (g) There shall be no change in the point of Connectivity with ISTS and the start date of Connectivity due to such implementation of the project at a different land parcel.”

5.11. Entities with Solar Hour Access and Non-Solar Hour Access

- (a) A REGS based on a Wind source (with or without ESS) or ESS may seek Connectivity with non-solar hour access for a quantum of 50 MW and above at a terminal bay of an ISTS substation:
 - (i) through a separate dedicated transmission line, or
 - (ii) which is already allocated to another REGS or Renewable Power Park, with solar hour access

Example: A REGS (with Installed capacity of Wind - 400 MW, ESS - 200 MW) may seek Connectivity of 600 MW with non-solar hour access, where injection scheduling rights during solar hours shall be Nil and injection scheduling rights during non-solar hours shall be 600 MW. Such REGS shall specify the maximum drawal required from the grid during the day, which may be 200 MW in the instant example. Upon approval by the Nodal Agency, it shall be eligible to draw 200 MW for the day, subject to availability of the transmission system.

- (b) An REGS (with or without ESS) or RPPD, based on solar source or an RHGS with a combination of solar source with another source (with or without ESS), where in principle or final grant of Connectivity has been intimated or where GNA is effective, shall be converted as an entity with solar hour access (with injection scheduling rights corresponding to Connectivity quantum for solar hours and corresponding to capacity other than solar source during non-solar hours limited to the

quantum of Connectivity) within a period of one week after the expiry of three months, from the date of effectiveness of this Regulation:

Provided that such entity shall have the right of making an application for an additional capacity under Regulation 5.2 or Regulation 5.11(a) of these regulations within a period of three months from the effectiveness of this Regulation and while converting such entity to an entity with solar hour access, the Nodal Agency shall consider such application made for the additional capacity under Regulation 5.2 or Regulation 5.11(a) of these regulations:

Provided further that if the quantum of Connectivity that can be made available for non-solar hours is less than 50 MW, such REGS or RHGS shall not be considered for conversion as an entity with solar hour access, and such entity shall continue to be an entity with full day access.

Examples:

- (i) A REGS based on a Solar source which has been granted Connectivity of 1000 MW, shall have injection scheduling rights for 1000 MW in Solar hours and shall have no injection scheduling rights during Non-Solar hours. It may draw power during the day for an approved quantum of drawal.
- (ii) A RHGS (with installed capacity: Solar - 700 MW, Wind - 400 MW, ESS - 200 MW), which has been granted Connectivity of 1000 MW, shall have injection scheduling rights during solar hours for 1000 MW and injection scheduling rights during non-solar hours shall be 600MW (400 MW Wind + 200 MW ESS). It may draw power during the day for an approved quantum of drawal.
- (iii) An RHGS (with Installed capacity: Solar - 600 MW, Wind - 500 MW, ESS - 160 MW) which has been granted Connectivity of 700 MW, injection scheduling rights during non-solar hours shall be for 660 MW (500+160 MW) leaving 40 MW (700-(500+160)) for non-solar hours and the same shall not be considered for such conversion since it is less than 50 MW.
- (iv) An RHGS (with Installed capacity: Solar - 700 MW, Wind - 400 MW, ESS - 100 MW) which has been granted Connectivity of 1000 MW and have got additional Connectivity for ESS of 100MW under Regulation 5.2 of the GNA Regulations, such entity shall have injection scheduling rights during solar hours for 1000 MW and injection scheduling rights during non-solar hours for 600MW (400 MW Wind + 100 MW ESS + 100MW ESS (allowed under Regulation 5.2)).

- (c) REGS (with or without ESS) based on a solar source or an RHGS with a combination of solar source with another source (with or without ESS), seeking Connectivity under Regulation 4.1 of these regulations, shall be considered for grant of Connectivity as an entity with solar hour access, if the quantum of access for non-solar hours which can be made available for another entity is 50 MW or more.

Example: An RHGS (Solar - 700 MW, Wind - 400 MW, ESS - 200 MW) seeking Connectivity for 1000 MW shall be granted Connectivity with solar hour access, where injection scheduling rights during solar hours shall be for 1000 MW and injection scheduling rights during non-solar hours shall be 600MW (400 MW Wind + 200 MW ESS).

- (d) The Detailed modalities for entities with solar hour access and non-solar hour access shall be as per Annexure-IV annexed with these Regulations.”

14. New Regulation 6.3

- 14.1.** A new Regulation, namely, Regulation 6.3, shall be added after Regulation 6.2 of the Principal Regulations as under:

“**6.3.** In case identified augmentation (with or without ATS) is not approved by the authority competent to approve such augmentation, the associated application(s) shall be closed by the Nodal Agency and all the bank guarantees furnished, if any, shall be returned. The detailed modalities shall be in terms of a detailed Procedure to be published by the Nodal Agency after public consultation.”

15. Amendment to Regulation 7.2 of the Principal Regulations:

- 15.1.** The second proviso under Regulation 7.2 of the Principal Regulations shall be deleted.

16. Amendment to Regulation 8.2 of the Principal Regulations:

- 16.1.** The following Row shall be inserted in the Table as the first row under Clause (a) of Regulation 8.2 of the Principal Regulations:

“

<132kV	Rs. 1 Crore
--------	-------------

”

- 16.2.** The Proviso to Clause (a) of Regulation 8.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that if the entity (i) proposes to construct the terminal bay(s) on its own under Regulation 12.4 of these regulations, or (ii) seeks Connectivity at a terminal bay constructed or being constructed by another Connectivity grantee or an entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, or (iii) seeks Connectivity through electrical system or switchyard of a generating station (application covered under Regulation 4.1(e) of these regulations), no Conn-BG2 is required to be furnished.”

17. Amendment to Regulation 8.3 of the Principal Regulations:

17.1. Regulations 8.3 and 8.4 of the Principal Regulations shall be substituted with Regulations 8.3, 8.4, and 8.5 as under:

“8.3. For cases covered under Regulation 7.2 of these regulations, where augmentation with ATS is required, the entity that has been intimated in-principle grant of Connectivity shall submit Conn-BG1 for Rs 50 lakhs and Conn-BG2 equal to the estimated cost of ATS and terminal bay(s), within one month of intimation of in-principle grant of Connectivity, failing which the application for Connectivity shall be closed and application fee shall be forfeited.

Provided that if such ATS and terminal bay(s) are planned for more than one entity, Conn-BG2 shall be intimated by the Nodal Agency and furnished by entity (ies) in proportion to the quantum of Connectivity applied for by such entity(ies).

8.4. Conn-BG1, Conn-BG2, Conn-BG3, and BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations shall be issued by any scheduled commercial bank recognized by the Reserve Bank of India, in favour of CTU, as per the Format stipulated in the Detailed Procedure for Connectivity and GNA issued in accordance with Regulation 39.1 of these regulations.

8.5. In case the Connectivity application is closed in terms of Regulation 8.2 or Regulation 8.3 of these regulations, the Bank Guarantee submitted in terms of clause (vii)(c) or clause xi(c) of Regulation 5.8 of these regulations shall be treated as per Regulation 3.7.3 of these regulations.”

18. Amendment to Regulation 9.1 of the Principal Regulations:

18.1. Regulation 9.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“9.1. Within 15 days of receipt of Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, as applicable, the Nodal Agency shall intimate the final grant of Connectivity to the entity that has been intimated the in-principle grant of Connectivity. The intimation shall contain, inter alia, the following:

- (a) Name of the ISTS sub-station or switchyard of the generating station or switchyard of the entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, as the case may be, where Connectivity is granted.
- (b) The coordinates of the ISTS substation, terminal bay location, and Single Line Diagram for the ISTS substation where Connectivity is granted, as per the following:
 - (i) In case of an ISTS sub-station which has been declared under commercial operation, the final coordinates of the ISTS substation, terminal bay location and Single Line Diagram shall be furnished;
 - (ii) In case of an ISTS sub-station which is under construction, the tentative or final coordinates of the ISTS substation, terminal bay location, and Single Line Diagram, as available with the Nodal Agency;
 - (iii) In case Connectivity is granted at an ISTS sub-station other than that covered under sub-clause (i) or (ii) of this clause, the tentative or final coordinates of the ISTS substation, terminal bay location, and Single Line Diagram shall be furnished as per Regulation 10.5 of these regulations.
- (c) The broad design features of the dedicated transmission lines, including voltage level.
- (d) Start date of Connectivity, tentative or firm, as available. In case the tentative Start date of Connectivity is furnished in the final grant of Connectivity, the firm Start date of Connectivity shall be intimated as per Regulation 10.5 of these regulations.”

19. New Regulation 9.3:

19.1. A new Regulation, namely, Regulation 9.3, shall be inserted below Regulation 9.2 of the Principal Regulations as under:

“9.3. Change of Source(s)

9.3.1 An Applicant who has been issued an in-principle grant of Connectivity or final grant of Connectivity to ISTS, for the generation project based on particular renewable energy source(s) (with or without ESS), may, for the same connectivity quantum, change to another renewable energy source(s) (with or without ESS) in part or full, by making an application to the Nodal Agency for approval for such change within 18 months from the in-principle grant of Connectivity or 18 months prior to the effective date of GNA, whichever is later.

- 9.3.2** On receipt of a request for a change of source, the Nodal Agency may carry out system studies, as required, and approve or reject the change of renewable energy source(s) within 30 days of application by the Applicant. Upon approval of such a change in renewable energy source(s), the entity shall submit the technical connection data for the changed renewable energy source(s), and the Nodal Agency shall then incorporate the necessary change in the connectivity agreement, if already signed.
- 9.3.3** An Applicant covered under clause (xi)(b) of Regulation 5.8 of these regulations who has been issued in principle grant of connectivity or final grant of connectivity, shall not be permitted to revise the energy source if the requirement of 50% of land for the revised source (as per Regulation 5.9 of these regulations) is more than quantum of land documents already furnished, except if such requirement has arisen due to award of LOA or signing of PPA for a particular source.
- 9.3.4** Change of source under Regulation 9.3 of these regulations shall be considered for an entity with solar hour access only to the extent the non-solar hour access has not been granted to another entity(ies).
- 9.3.5** Change of renewable energy source(s) shall be permitted only once for any Connectivity Grantee.
- 9.3.6** Nodal Agency shall issue a procedure prescribing conditions to be fulfilled for allowing the change in renewable energy source(s), to ensure diligent declaration of source by developers at the time of application.”

20. Amendment to Regulation 10.1 of the Principal Regulations:

20.1. Regulation 10.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

- “**10.1.** Within 30 days of the intimation of the final grant of Connectivity by the Nodal Agency under Regulation 9.1 of these regulations, a Connectivity Agreement (Cat-1) shall be signed between the Nodal Agency and the entity which has been intimated the final grant of Connectivity. Upon signing of the Connectivity Agreement, such entity shall become the Connectivity Grantee. A Connectivity Grantee shall furnish technical connection data, inter alia, generator data for fault studies, dynamic simulation data, details of data and voice communication, to the Nodal Agency as stipulated in the Detailed Procedure for Connectivity and GNA issued in accordance with Regulation 39.1, at least 1 (one) year prior to the physical connection.”

21. Amendment to Regulation 10.3

21.1. Regulation 10.3 shall be deleted.

22. Amendment to Regulation 10.4, Regulation 10.5, and Regulation 10.6 of the Principal Regulations:

22.1. Regulation 10.4, Regulation 10.5, Regulation 10.6 and Regulation 10.7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“10.4. The technical connection data indicated at Regulation 10.1 and the connection details outlined in Regulation 10.2 shall form part of the Connectivity Agreement. The Connectivity Grantee shall enter into the Connectivity Agreement (Cat-2) on issuance of connection details indicated at Regulation 10.2. Cat-2 Agreement shall be appended to the Connectivity Agreement (Cat-1) to form a complete Connectivity Agreement. Any infirm injection shall not be allowed prior to signing of the Cat-2 Connectivity Agreement.

10.5. Confirmation of firm Start Date of Connectivity, coordinates of the ISTS substation, terminal bay location, and Single Line Diagram to the Applicant:

- (a) For applicants, where Connectivity is granted with augmentation (with ATS or without ATS), the Nodal Agency, within 6 (six) months of final grant of Connectivity, shall intimate to such entity the firm timeline for completion of augmentation, ATS, terminal bay(s), and firm date of start of Connectivity based on scheduled date of commercial operation of such elements.
- (b) The Nodal Agency shall furnish the tentative coordinates of the ISTS substation at which Connectivity has been granted within one week of issuance of the Letter of Award for construction of such ISTS substation, not later than 6 (six) months of final grant of Connectivity. The Nodal Agency shall furnish the final coordinates of such ISTS substation, along with the terminal bay location and Single Line Diagram, within 6 months of the issuance of the Letter of Award for the construction of such ISTS substation.
- (c) In case the Nodal Agency fails to furnish details as per clause (a) or (b) of this Regulation within the specified period, it shall submit reasons for such delay to the entity with a copy to the Commission, within one month of expiry of such period, with a probable date by which such details shall be furnished.

10.6. In case of failure to sign the Connectivity Agreement by the entity that has been intimated the final grant of Connectivity, as required under Regulation 10.1, the Nodal Agency may extend the time for signing the Connectivity Agreement for a maximum

period of 30 days, failing which the final grant of Connectivity shall be revoked by the Nodal Agency under intimation to the Applicant. The Conn-BG1, Conn-BG2, Conn-BG3 and BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations shall be treated in terms of Regulation 3.7.4 of these regulations.”

23. Amendment to Regulation 10.7 of the Principal Regulations

23.1. Clause (a) and clause (b) of Regulation 10.7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(a) Details of the allocated terminal bay(s) at ISTS sub-station, if available:

Provided that in case of non-availability of terminal bay location at the time of signing the Connectivity Agreement, the Connectivity Agreement shall be amended subsequently, on the intimation of the terminal bay location under Regulation 10.5 of these regulations;

(b) Start date of Connectivity (Tentative or Firm), as the case may be:

Provided that in case the tentative start date of Connectivity has been intimated at the time of signing the Connectivity Agreement, the Connectivity Agreement shall be amended subsequently, on the intimation of the firm State date of Connectivity under Regulation 10.5 of these regulations;”

24. Amendment to Regulation 10.8 of the Principal Regulations:

24.1. The words “and terminal bay(s)” shall be inserted after the words “elements in the ATS” in Regulation 10.8 of the Principal Regulations.

25. New Regulation 10.11

25.1. A new Regulation, namely, Regulation 10.11, shall be added after Regulation 10.10 of the Principal Regulations as under:

“**10.11.** The Renewable Power Park Developer shall furnish the scheduled date(s) of commercial operation of all the generating station(s) under the Park within three months of intimation of firm start of Connectivity, failing which firm Start date of Connectivity shall be considered as SCOD for the generating station(s) for which such SCOD has not been communicated within the stipulated timeline.”

26. Amendment to Regulation 11.2 of the Principal Regulations:

26.1. The word “ATS” shall be substituted with the words “augmentation (with or without ATS)” in Regulation 11.2 of the Principal Regulations.

27. New Regulation 11.3A and Regulation 11.3B of the Principal Regulations:

27.1. Two new Regulations, namely, Regulation 11.3A and Regulation 11.3B, shall be added after Regulation 11.3 of the Principal Regulations as under:

“11.3A The Nodal Agency shall monitor the fulfilment of conditions under Regulation 11A by the entities that have been issued an in-principle or final grant of connectivity as per the format annexed as Annexure-III of these regulations. The Nodal Agency shall publish the details of the compliance as per Annexure-III of these regulations on the website of the Nodal Agency.

11.3B Respective RLDCs shall monitor the utilization of the connectivity quantum by a Connectivity Grantee, and GNA by an entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, which have achieved commercial operation. The following shall be carried out:

- (a) NLDC, based on data collected by RLDC, shall submit a consolidated report on the utilization pattern of the Connectivity by the Connectivity Grantee and utilization of GNA by the entity covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, to the Commission for each quarter of the year.
- (b) NLDC, in consultation with RLDCs, shall propose the actions to be taken in case of non-optimal utilization of Connectivity or the GNA quantum by the Grantees, through a Detailed procedure to be prepared in consultation with CTU and other stakeholders and submit for approval of the Commission within six months of notification of these regulations.”

28. Amendment to Regulation 11A of the Principal Regulations:

28.1. The title of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“11A. Conditions subsequent to be satisfied by the Connectivity Grantee, which is REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) or Renewable power park developer”

28.2. The words “submission of stipulated documents as a proof of Ownership or lease rights or land use rights” shall be substituted with the words “acceptance of the submitted land documents by the Nodal Agency”, in clause (1) of Regulation 11A of the Principal Regulations.

28.3. A Proviso shall be inserted in clause (1) of Regulation 11A of the Principal Regulations as under :

“Provided that, in case final grant of Connectivity has been intimated at an ISTS substation where neither the final coordinates nor the tentative

coordinates are communicated along with final grant of Connectivity by the Nodal Agency, the applicant shall furnish the required land documents by the later date of subclause (a) or (b) specified below:

- (a) within 18 months of issuance of an in-principle grant of Connectivity or within 12 months of issuance of a final grant of Connectivity, whichever is earlier, or
- (b) within nine months from the date of communication of tentative coordinates of the substation at which Connectivity has been granted in terms of clause (b) of Regulation 10.5 of these regulations.”

28.4. The word “firm” shall be inserted before the words “start date of Connectivity” occurring at multiple places in clause (2) and clause (3) of Regulation 11A of the Principal Regulations.

28.5. A new clause (2A) shall be added after clause (2) of Regulation 11A of the Principal Regulations as under:

“(2A) In case of Applicants who have been granted Connectivity under subclause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations, on the basis of LOA, such entity shall furnish the copy of the PPA, within a period of one week from signing of such PPA along with date of SCOD pursuant to such PPA for the purpose of Regulation 11A and 24.6 of these regulations.”

28.6. The word “CTU” shall be substituted by the words “Nodal Agency or by the date as per clause (1) of this Regulation, whichever is later”, in the first proviso of clause (3) of Regulation 11A of the Principal Regulations.

28.7. Clause (4) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted with clauses (4) to (6) of Regulation 11A of the Principal Regulations as under:

“(4) An entity, which has applied for Connectivity under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 and has been issued final grant of Connectivity, is issued LOA or enters into a PPA, as eligible under clause (xi)(a) of Regulation 5.8, either for part capacity or full capacity, may apply to CTU for conversion of its Connectivity under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of the Regulation 5.8 to clause (xi)(a) of the Regulation 5.8, subject to the following:

- (a) If LOA or PPA is for a renewable source(s) (with or without storage) other than the renewable source(s) (with or without storage) provided in the Connectivity application applied under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of the Regulation 5.8, such an entity shall be required to first obtain approval of change of renewable source(s) (under Regulation 9.3 of these regulations) prior to seeking conversion of Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8:

Provided that the application for change of renewable source(s) and

conversion of Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 may be applied together.

- (b) Installed capacity indicated in the Connectivity application made under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 may be modified while seeking conversion of Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8, subject to the condition that connectivity quantum shall not undergo any change.
- (c) Where the part capacity of the Connectivity granted under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 is converted to Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8,
 - (i) The Nodal Agency shall issue revised Connectivity intimation for each part, treating each part as a separate Connectivity within a period of one month from the date of application.
 - (ii) The entity shall submit a separate Conn-BG1 for each part within one week of revised Connectivity intimation by the Nodal Agency.
 - (iii) Conn-BG2 and Conn-BG3, as submitted towards Connectivity granted under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8, shall be revised and resubmitted, as applicable, for each part calculated on a pro-rata basis based on the quantum of such part of the capacity within one week of revised Connectivity intimation by the Nodal Agency.
 - (iv) The minimum capacity for conversion of Connectivity shall be 50 MW.
- (d) After approval of conversion by the Nodal Agency, the requirement of furnishing the documents of Financial Closure by the entity, towards such converted Connectivity shall be the same as applicable to the entities covered under clause (xi)(a) of the Regulation 5.8, with the condition that the scheduled date of commercial operation for the purpose of clause (2) of this Regulation shall be the firm start date of Connectivity. The Bank Guarantee submitted under Regulation 5.8(xi)(c) shall be returned within seven days of approval of the conversion for proportionate capacity.
- (e) After the Connectivity of an entity under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 is converted into Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8, for part or full capacity by the Nodal Agency under sub-clause (c)(i) of clause (4) of this Regulation, if LOA or PPA for such part or full capacity is terminated, and such entity seeks to convert its Connectivity back to routes under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8, such re-conversion shall be allowed subject to the following conditions:
 - (i) The application for conversion of Connectivity shall be accompanied by a non-refundable conversion fee of Rs 50,000/MW along with applicable taxes, for the capacity to be converted.

- (ii) On such re-conversion, each part shall continue to be treated as a separate application.
- (iii) The entity which has converted Connectivity from clause (xi)(a) of Regulation 5.8 to clause (xi)(c) of Regulation 5.8, shall be required to furnish land documents under clause (1) of this Regulation within three months from the date of approval by the Nodal Agency for such conversion, if not submitted already or the last date to furnish such documents under Regulation 11A(1), whichever is later.
- (iv) The entity shall be required to furnish the Financial Closure documents under clause (2) of this Regulation, considering the firm start date of Connectivity as the scheduled date of commercial operation.
- (f) Once the Connectivity has been converted from clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 to clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of these regulations and back to Connectivity under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these Regulations, any subsequent conversion to Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of these regulations shall not be permitted:

Provided that such entity shall be eligible to enter into a PPA for the purpose of sale of power from its project, but such PPA shall have no bearing on the timeline for fulfilling the requirement prescribed under Regulation 11A and Regulation 24.6 of these regulations.
- (g) An entity which has converted Connectivity under clause (xi)(b) of Regulation 5.8 to clause (xi)(a) of Regulation 5.8 shall continue to retain the land parcels on the basis of which Connectivity under clause (xi)(b) of Regulation 5.8 was granted and shall not be eligible to seek another Connectivity using the same land documents:

Provided that such an entity may furnish a new land parcel in lieu of the release of old land parcels as permitted in terms of Regulation 5.10 of these regulations, post which it may utilize such released land parcels for obtaining Connectivity.
- (5) The conditions subsequent to the grant of Connectivity required to be completed under Regulation 11A and achieving COD shall be met as under:
 - (a) Where Connectivity has been granted to a Parent Company and the Project is being executed by the subsidiary company(ies), the conditions subsequent to the grant of Connectivity required to be fulfilled under Regulation 11A and achieving COD may be met by the subsidiary Company(ies) executing the project.
 - (b) Where Connectivity has been granted to the subsidiary company, and the Project is being executed by other subsidiary company(ies) of the same Parent company, the conditions

subsequent to the grant of Connectivity required to be completed under Regulation 11A and achieving COD may be met by the subsidiary company(ies) executing the project.

- (c) Where Connectivity has been granted to the subsidiary company, and the Project is being executed by the Parent company, the conditions subsequent to the grant of Connectivity required to be completed under Regulation 11A and achieving COD may be met by the Parent Company executing the project.
 - (d) All the responsibilities under these regulations shall continue to be with the Connectivity Grantee, including submission of documents inter alia for land or Financial closure as applicable. The documents furnished by the Connectivity Grantee to the Nodal Agency shall include an authorization issued by the entity executing the project, enabling the Connectivity Grantee to furnish the documents in the name of the entity executing the project to the Nodal Agency.
- (6) Control of the Connectivity Grantee, which is REGS (excluding hydro generating station) or ESS (excluding PSP), for the period from the date of Connectivity application up to the COD of the project:
- (a) In case the Connectivity Grantee is a single company, the promoters or shareholders, as applicable, of the Connectivity Grantee, shall retain control of such Connectivity Grantee.
 - (b) In case the Connectivity Grantee is a consortium, the consortium members collectively shall retain control of the Connectivity Grantee.
 - (c) Any deviation from the requirement of Control as specified under sub-clauses (a) and (b) of this clause shall require prior approval of the Nodal Agency. The Nodal Agency shall publish, within 60 days of the date of effect of these amendments, after public consultation, a detailed procedure specifying the modalities for such approval, including the timeline for approval and the indicative grounds on which the application for approval shall be considered.
 - (d) In case any change in control of the Connectivity Grantee is carried out in contravention to sub-clauses (a) to (c) of this Clause, the Connectivity shall be revoked, Bank Guarantee submitted under sub-clause (c) of Clause (vii) or sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall be encashed, and Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulation 24.2 or Regulation 24.3 of these regulations, as applicable.

Explanation: - For the purposes of this clause, the words 'Promoter' and 'Control' shall have the same meaning as defined under the Companies Act, 2013. In the case of a Connectivity

Grantee where investment is made under the Foreign Direct Investment (FDI) route, the term 'Control' shall have the same meaning as assigned under the Foreign Exchange Management Act, 1999, or the rules and regulations framed thereunder, including any notifications or circulars issued by the Reserve Bank of India."

29. New Regulation 11C.

29.1. A new Regulation, namely, Regulation 11C, shall be added after Regulation 11B of the Principal Regulations as under:

"11C. Reallocation of the part or full capacity of terminal bay(s) falling vacant due to withdrawal or relinquishment or revocation of the Connectivity granted to another entity or due to rearrangement under Regulation 11.4

- (1)** For optimal utilization of the transmission system, the Nodal Agency, with the consent of an entity to whom in-principle grant of Connectivity or final grant of Connectivity has been intimated, as the case may be, may reallocate the Connectivity granted at an ISTS sub-station to another ISTS sub-station (within the same Cluster of ISTS substations) where any part or full capacity in terminal bay has fallen vacant. The Nodal Agency shall do such reallocation in the following manner:
 - (a)** Information relating to part or full capacity in the terminal bay falling vacant at any particular substation, along with the date of occurrence of the event, shall be published on the CTU's website as an updated status of bay allocation (under Regulation 11.5), within three days of the occurrence of such event.
 - (b)** An entity that has been issued an in-principle or final grant of Connectivity at an ISTS substation located in the Cluster of ISTS substations, may seek reallocation of its Connectivity to another ISTS substation within the same Cluster of ISTS substations, where a bay has fallen vacant such that firm start date of Connectivity post the reallocation remains within the existing firm start date of Connectivity of such an entity. Such reallocation shall be subject to commercial liabilities as per the Sharing Regulations 2020:

Provided that an entity shall not be eligible for reallocation of Connectivity after a period of 12 months of issuance of a final grant of Connectivity or 18 months prior to the effective date of GNA, whichever is later:

Provided further that an entity which has been reallocated once shall not be eligible for the subsequent reallocation of Connectivity.

- (c) The Nodal Agency shall undertake such reallocation in order of priority of its date and time stamp of the Connectivity application, based on which Connectivity has been granted to such Applicant, as follows:
 - (i) LTA Grantees under Connectivity Regulations, 2009, which have been transitioned in terms of Regulation 37 of these regulations and have submitted the requisite BG, as per the date and time stamp of their LTA application(s) made under the Connectivity Regulations, 2009;
 - (ii) Stage-II Connectivity Grantees under Connectivity Regulations, 2009, which have been transitioned in terms of Regulation 37 of these regulations and submitted the requisite BG, as per the date and time stamp of their Stage-II Connectivity application(s) made under the Connectivity Regulations, 2009;
 - (iii) Applicants who have been issued a in-principle or final grant of Connectivity in terms of these Regulations, as per the date and time stamp of the application made under these regulations.
- (d) The terminal bay at the ISTS substation falling vacant due to shifting out of a Grantee (Grantee 'X') to another ISTS substation in the Cluster of ISTS substations, if opted to be utilised by another Grantee (Grantee 'Y') where the start date of Connectivity of 'Y' is later than that of 'X,' then the liability to pay the charges for the ATS/terminal bay shall remain with 'X' for such intervening period. The firm start date of connectivity for an entity that has been reallocated ('X' or 'Y') shall not be changed as a result of the reallocation exercise. However, the entity that has been reallocated ('X' or 'Y') may seek an advance of the start date, which shall be subject to the availability of a transmission system."

30. Amendment to Regulation 12.5 of the Principal Regulations:

- 30.1.** The word "dedicated" shall be inserted before the word "line" and the words "either by the entity itself or" shall be added after the words "shall be constructed and maintained", in Regulation 12.5 of the Principal Regulations.

31. Amendment to Regulation 15.1 of the Principal Regulations

31.1. The provisos to Regulation 15.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that Connectivity granted to a parent company may be utilised by its subsidiary company(ies) and Connectivity granted to a subsidiary may be utilised by its parent company, at the connection point of ISTS at which such Connectivity has been granted:

Provided further that Connectivity granted to a subsidiary company of a Parent company may be utilized by other subsidiary company(ies) of the same Parent Company, at the connection point of ISTS at which such Connectivity has been granted:

Provided also that where a bulk consumer has been granted GNA under Regulation 17.1(iii), GNA granted to such Bulk consumer may be utilized in part or in full by its subsidiary(ies) or vice versa, at the connection point of ISTS, where such GNA has been granted.”

32. Amendment to Regulation 15.3 of the Principal Regulations:

32.1. Regulation 15.3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“15.3 On achieving COD of full capacity or such split part in terms of Regulation 15.2 of these regulations, Connectivity shall be transferred to the entity implementing the REGS (whose documents were furnished by the Connectivity Grantee for meeting compliance of Financial Closure and COD under Regulation 11A(5) of these regulations) , on an application made by the REGS to the Nodal Agency for transfer of Connectivity for the full capacity or the split capacity, as the case may be. The Nodal Agency shall intimate the revised Conn-BG2 and Conn-BG3 to the relevant entity and the original grantee, within one week of receipt of the application. The original grantee may substitute its Conn-BG2 and Conn-BG3 with revised Conn-BG2 and Conn-BG3. The Nodal Agency shall issue a revised grant of Connectivity on submission of applicable Conn-BG2 and Conn-BG3 by such entity. On the issue of a revised grant of Connectivity, such entity shall enter into a fresh Connectivity Agreement and shall be responsible for compliance with all the applicable regulations:

Provided that all liabilities and obligations in accordance with these regulations, for the Connectivity not transferred, shall continue to remain with the original Connectivity Grantee.”

33. Amendment to Regulation 16.4 of the Principal Regulations:

33.1. Regulation 16.4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“**16.4.** The proceeds of encashed Conn-BG1, Conn-BG2, Conn-BG3 and the BG submitted in terms of clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations shall be adjusted in Monthly Transmission charges under the Sharing Regulations.”

34. Amendment to Regulation 17.1 of the Principal Regulations:

34.1. The words “or distribution system connected to such intra-State transmission system” shall be added after the words “intra-state transmission system, in clause (ii) of Regulation 17.1 of the Principal Regulations.

34.2. Clause (vi) of Regulation 17.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(vi) An injecting entity which is connected to an intra-State transmission system or distribution system (connected to such intra-State system), as the case may be and seeking GNA for the purpose of injection into ISTS.”

35. New Regulation 17.1A

35.1. A new Regulation 17.1A shall be inserted after Regulation 17.1 of the Principal Regulations, as under:

“**17.1A** An ESS having Connectivity to an intra-State transmission system or distribution system may seek GNA for the purpose of injection into ISTS under clause (vi) and for drawal from ISTS under clause (ii) of Regulation 17.1 of these regulations.”

36. Amendment to Regulation 17.3 of the Principal Regulations:

36.1. Regulation 17.3 of the Principal Regulations shall be substituted with Regulation 17.3 and Regulation 17.4 as under:

“**17.3.** The Applicant covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations may apply for a grant of GNA by seeking interconnection at:

- (a) a terminal bay of an ISTS sub-station already allocated to another such entity covered under clause (iii) of Regulation 17.1, or
- (b) a terminal bay of an ISTS sub-station already allocated to another entity covered under Regulation 4.1 of these regulations, or
- (c) a switchyard of a generating station having Connectivity to ISTS:

Provided that the applicant, along with the application under sub-clauses(a) to (c) of this Regulation, shall furnish an agreement duly signed between the Applicant and the said entity for sharing the terminal bay, switchyard, the dedicated transmission lines, as the case may be:

Explanation: The necessary metering, accounting, scheduling arrangements and curtailment in case of congestion for such entities shall be governed by the detailed procedure notified under Regulation 5.6 of these Regulations.

- 17.4.** Notwithstanding anything contained in Regulation 17.1(iii), the entities covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations having GNA shall be eligible, on payment of application fees, to apply for the enhancement of GNA of less than 50 MW subject to availability of capacity in the transmission system.”

37. Amendment to Regulation 19.2 of the Principal Regulations:

- 37.1.** Regulation 19.2 of the Principal Regulation shall be substituted as under:

“**19.2.** STU, on behalf of intra-State entities including distribution licensees, may apply, twice in a financial year (starting from the financial year following the financial year in which these regulations have become effective) by the month of September and March each year, for additional GNA for the next 3 (three) financial years (with entity-wise segregation) indicating GNA within the region and from outside the region, as stipulated in the ‘Detailed Procedure for Connectivity and GNA’, issued in accordance with Regulation 39.1:

Provided that such additional GNA quantum to be added in each of the next three financial years, shall be applicable from a specified date(s) of the respective financial year, subject to a maximum of four dates for a year per application.”

38. Amendment to Regulation 20.1 of the Principal Regulations:

- 38.1.** The proviso to Regulation 20.1 of the Principal Regulation shall be substituted as under:

“Provided that the entities covered under clause (ii) of Regulation 17.1 of these regulations shall furnish consent of the concerned STU and distribution licensee, as applicable, in terms of availability of transmission capacity in the intra-State transmission system and distribution system, for such quantum and period of GNA.”

39. New Regulation 20.1A

39.1. A new Regulation, namely Regulation 20.1A, shall be inserted after Regulation 20.1 of the Principal Regulations as under:

“20.1A Entities covered under clause (vi) of Regulation 17.1 of these regulations shall furnish consent of the concerned STU and distribution licensee, as applicable, certifying the availability of transmission capacity in the intra-State transmission system and distribution system, for such quantum and period of GNA.”

40. Amendment to Regulation 22.1 of the Principal Regulations:

40.1. Clause (b) of Regulation 22.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b) The Nodal Agency shall grant additional GNA to STU for the applications received by 30th September of the year under Regulation 19.2 of these regulations by 31st March of the same financial year and for the applications by 31st March of the year by 31st July of the Year, keeping in view the available transmission capacity or timeline of augmentation, indicating the date from which such additional GNA shall be effective. GNA once granted shall remain valid until relinquished.”

41. Amendment to Regulation 22.2 of the Principal Regulations:

41.1. The word “firm” shall be inserted before the words “start date of Connectivity” in clause (a) of Regulation 22.2 of the Principal Regulations.

41.2. Clause (b-i) and clause (b-ii) of Regulation 22.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b-i) Entities covered under clause (iii) of Regulation 17.1 shall furnish Conn-BG1 for Rs 50 lakhs per application and Conn-BG3 for Rs 2 lakh/MW, within one month of issuance of intimation of Grant of GNA by the Nodal Agency. The entity shall enter into the GNA Agreement incorporating the relevant provisions of Regulation 10, applicable to such an entity, failing which the application for GNA shall be closed, the application fee shall be forfeited, and Conn-BGs, if submitted, shall be encashed.

(b-ii) Entities covered under clause (vi) of Regulation 17.1 and applying GNA for injection into the ISTS shall comply with all requirements as applicable to entities under Regulation 4.1. There shall not be any requirement of minimum capacity for such an entity applying under clause (vi) of Regulation 17.1 since such an entity is connected to the intra-State transmission system or distribution system of the State. For such entities, Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be returned in accordance with Regulation 16 of

these regulations or on expiry of the period of GNA, whichever is earlier.”

41.3. The words ‘start date of GNA’ shall be substituted with the words ‘effective date of GNA’ in Clause (d) of Regulation 22.2 of the Principal Regulations.

42. Amendment to Regulation 22.4 of the Principal Regulations:

42.1. The main paragraph and the first proviso to clause (a) of Regulation 22.4 of the Principal Regulations (except the second proviso) shall be substituted as under:

“(a) For Connectivity grantees covered under Regulation 4.1 of these regulations, the effective date of GNA of such Connectivity grantees shall be the firm start date of Connectivity or COD of all elements of augmentation with or without ATS, whichever is later:

Provided that where only some of the transmission elements of the augmentation (with or without ATS) have achieved COD and the Connectivity grantee seeks effectiveness for part quantum or full quantum of its Connectivity, the Nodal Agency shall make such quantum of Connectivity and its corresponding GNA effective, subject to availability of transmission system:”

43. New Regulation 23.3

43.1. A new Regulation, namely, Regulation 23.3, shall be inserted after Regulation 23.2 of the Principal Regulations as under:

“**23.3.** NLDC shall make a web portal where a list of GNA Grantees with their GNA quantum and the GNA validity period shall be displayed. The GNA Grantees shall be able to indicate the GNA quantum, dates, and time blocks for which such quantum can be made available, for use by other GNA Grantees. GNA Grantees who wish to use the GNA of another GNA grantee shall also be able to indicate their requirement of GNA quantum along with dates and time blocks for which such quantum is required.”

44. New Regulation 24.3A.

44.1. A new Regulation, namely, Regulation 24.3A, shall be added after Regulation 24.3 of the Principal Regulations as under:

“**24.3A** For Connectivity Grantees covered under clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations:

- (a) If Connectivity is relinquished within six months of the signing of the Connectivity Agreement, 40% of the subsisting Bank Guarantee (submitted under clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations), proportionate to the

relinquished quantum, shall be encashed, and the balance shall be returned;

- (b) If the Connectivity is relinquished after six months of the signing of the Connectivity Agreement and before last date to furnish documents under Regulation 11A(1) of these regulations, 75% of the subsisting Bank Guarantee submitted under clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations, shall be encashed and the balance shall be returned.
- (c) Treatment of Conn-BGs for cases covered under sub-clause (a) and (b) of this clause shall be in terms of Regulation 24.2 and 24.3 of these regulations.”

45. Amendment to Regulation 24.5 of the Principal Regulations:

45.1. Regulation 24.5 of the Principal Regulations shall be deleted.

46. Amendment to Regulation 24.6 of the Principal Regulations:

46.1. Sub-clause (a)(i) and sub-clause (a)(ii) of clause (1) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

- “(i) the scheduled date of commercial operation of the generation project, for cases covered under clause (xi)(a) of the Regulation 5.8, as intimated at the time of making application for grant of Connectivity or as applicable on signing of PPA or as extended or delayed commissioning permitted by the Renewable Energy Implementing Agency or the distribution licensee or the authorized agency on behalf of distribution licensee, as the case may be, whichever is later.
- (ii) six months after, the scheduled date of commercial operation as intimated at the time of making application for grant of Connectivity or firm start date of connectivity, whichever is later, for cases covered under clause (xi)(b) or (xi)(c) of the Regulation 5.8 of these regulations.”

46.2. The word “firm” shall be inserted before the words “start date of Connectivity”, in sub-clause (a)(iii) of clause (1) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations.

46.3. The following Proviso shall be added to sub-clause (c) of clause (1) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations:

“Provided that if the entity seeks conversion from Connectivity under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 to clause (xi)(b) or (xi)(c) of Regulation 5.8 in terms of Regulation 11A(3) of these regulations, within a period of one month from such termination of the LOA or PPA, the Connectivity

shall not be revoked for such capacity which is converted by the Nodal Agency.”

46.4. Sub-clause (d) of clause (1) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Connectivity granted to a Renewable Power Park developer shall be revoked for the corresponding capacity, if the Connectivity and corresponding GNA has been made effective in terms of clause (a) of Regulation 22.4 of these regulations and the generating station(s) within the Power park fails to achieve COD on or before the date in terms of sub-clause(a)(i) or sub-clause(a)(ii) of clause(1)of Regulation 24.6 of these regulations, as applicable.”

46.5. A New clause, namely, clause (3), shall be added after clause (2) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations as under:

“(3) For cases where neither final coordinates nor tentative coordinates of the ISTS substation at which Connectivity has been granted are communicated along with final grant of Connectivity, the applicant shall be given twelve months from date of communication of tentative coordinate of the substation at which Connectivity has been granted in terms of clause (b) of Regulation 10.5 of these regulations for achieving COD. The date of revocation of Connectivity due to non-achievement of COD shall be as calculated in terms of Clause (1) or Clause (3) of Regulation 24.6 of these regulations, whichever is later.”

47. Amendment to Regulation 25.1 of the Principal Regulations:

47.1. The words “one year” shall be substituted with the words “six months (subject to clause (f) of this Regulation)” in the main paragraph of Regulation 25.1 of the Principal Regulations.

47.2. The word “GNA” shall be replaced with the words “effective GNA”, and the words “after effectiveness of GNA” shall be added after the words “relinquishment charges” in clause (a) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations.

47.3. The words “after effectiveness of GNA” shall be added after the words “relinquishment charges” in the main paragraph of clause (b) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations.

47.4. The second proviso of Regulation 25.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided further that the subsisting Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, if any, shall be returned on payment of relinquishment charges.”

47.5. A new clause, namely, clause (b-i), shall be added after clause (b) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations as under:

“(b-i) For an entity covered under clauses (i) to (v) of Regulation 17.1 of these regulations, if GNA is relinquished prior to the date of effectiveness of GNA, Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be encashed, wherever available, along with the monthly transmission charges for the quantum of GNA relinquished for the period shortfall in notice period prior to effectiveness of GNA for quantum of GNA relinquished:

Provided that for an entity that has not furnished any Conn-BG, shall pay an amount equal to Rs 2 lac/MW, if GNA is relinquished prior to the date of effectiveness of GNA, along with monthly transmission charges for the quantum of GNA relinquished for the period shortfall in notice period prior to the effectiveness of GNA:

Provided further that monthly transmission charges shall be the transmission charges per MW per month payable by the State (where such entity is located) under the Sharing Regulations for the month in which relinquishment is requested by such entity.”

47.6. A new clause, namely, clause (f), shall be added after clause (e) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations as under:

“(f) For an entity covered under clauses (i) to (v) of Regulation 17.1 of these regulations, which has been granted GNA (with augmentation), i.e., where effectiveness of GNA is contingent upon commissioning of augmentation, if GNA is relinquished prior to the date of effectiveness of GNA, the notice period for such relinquishment prior to effective date of GNA shall be one year. All other terms and conditions, including payment of Rs 50 lac along with notice, shall be applicable as per heading Regulation 25.1 and subclauses (a) to (e) of Regulation 25.1 of these regulations.”

48. New Regulation 25.4

48.1. A new Regulation, namely, Regulation 25.4, shall be added after Regulation 25.3 of the Principal Regulations as under:

“**25.4.** The transmission charges for the last billing month (prior to date of notice for such relinquishment) under the Sharing Regulations to be considered for the purpose of relinquishment charges under Regulation 25.1 of these regulations shall be the transmission charges calculated under clause (1)(a) of Annexure-III to the Sharing Regulations.”

49. Amendment to Regulation 26.1 of the Principal Regulations:

49.1. Two new clauses, namely, clause (d) and clause (e), shall be added after clause (c) of Regulation 26.1 of the Principal Regulations as under:

- “(d) An injecting entity or ESS connected to an intra-State transmission system or distribution system and seeking T-GNA for the purpose of injection into ISTS:

Provided that in case of non-readiness of the intra-State transmission system, an injecting entity which has been allowed Connectivity both with inter-State and intra-State transmission systems, may seek T-GNA for the injection of power for quantum beyond the Connectivity granted to the inter-State transmission system. Such an entity shall submit the NOC from the concerned STU along with such T-GNA application to the Nodal Agency. The Nodal agency shall grant such T-GNA based on the availability of the evacuation capacity in ISTS.

- (e) An entity covered under Regulation 5.11 of these regulations with solar hour access or non-solar hour access may seek T-GNA for the purpose of injection of power, as under:
- (i) An entity with solar hour access may seek T-GNA for injection during non-solar hours for a quantum more than that is already permitted for non-solar hours (with solar hour access under GNA).
 - (ii) An entity with non-solar hour access may seek T-GNA for injection during solar hours.
 - (iii) The T-GNA under sub-clauses(i) and (ii) of this clause shall be subject to the condition that the total schedule shall be within the Connectivity quantum at the point of connection to ISTS.”

50. New Regulation 26.7

50.1. A new Regulation, namely, Regulation 26.7, shall be added after Regulation 26.6 of the Principal Regulations as under:

“**26.7.** NLDC shall furnish a report by May end every year based on the quantum of T-GNA obtained by entities for the last financial year and suggest if any limits on the quantum of T-GNA are required to be introduced for different types of entities.”

51. Amendment to Regulation 28.2 of the Principal Regulations

51.1. The word “processing” shall be inserted after the word “non -refundable” in Regulation 28.2 of the Principal Regulations.

52. New Regulation 34A

52.1. A new Regulation, namely, Regulation 34A, shall be added after Regulation 34.6 of the Principal Regulations as under:

“34A Operating charges for transactions under T-GNA

34A.1 Operating charges at the rate of Rs 1000 per day or part of the day for Advance T-GNA or Exigency T-GNA under bilateral transactions shall be payable by the applicant to the Host Regional Load Despatch Centre. For a regional entity covered by Regulation 4.1 of these regulations, already paying RLDC charges for the installed capacity under the RLDC Fees and charges regulations, shall not pay such operating charges for T-GNA for the same installed capacity.

34A.2 In case of collective transactions, NLDC operating charges shall be payable to the respective power exchange by each of the successful buyer and seller on the basis of their energy scheduled (MWh) by NLDC @ Rs 1/MWh subject to a maximum of Rs 200 per day. The NLDC operating charges collected by the power exchanges shall be transferred to NLDC on a daily basis. The Power Exchanges shall provide NLDC with a daily list of successful participants along with their volumes cleared and the NLDC operating charges levied on these successful participants.

Provided that under collective transactions, operating charges shall be payable for drawal schedules more than the GNA quantum or T-GNA quantum or both, as applicable.

Explanation: To determine whether the drawal schedule exceeds the GNA quantum, or the T-GNA quantum or both in case of collective transactions, SLDC shall furnish to NLDC, intra-State entity-wise details of the schedule under GNA or T-GNA, as the case may be. NLDC shall issue power exchange-wise and entity-wise segregation of payable operating charges under T-GNA for collective transactions.”

53. Amendment to Regulation 36.1 of the Principal Regulations:

53.1. The proviso to Regulation 36.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that in case of constraint in the transmission system within the region, the available transmission corridor shall be allocated to the GNA grantees in proportion to their total GNA, and in case of constraint in the transmission system outside the region, the available transmission corridor shall be allocated to the GNA grantees in proportion to their GNA from the outside region and the GNA grantee shall be eligible to schedule power under any contract within such allocated transmission corridor.”

54. Amendment to Regulation 37.2 of the Principal Regulations

54.1. The words “Regulation 10.3” shall be substituted with the words “Regulation 10” in clause (f) of Regulation 37.2 of the Principal Regulations.

55. New Regulation 37.10

55.1. A new Regulation, namely, Regulation 37.10, shall be added after Regulation 37.9 of the Principal Regulations as under:

“37.10. Transition provisions in respect of the third amendment of these regulations:

- (a) If an application for grant of Connectivity or grant of GNA has been made under these regulations prior to the effectiveness of the third amendment, but an in-principle grant of Connectivity or grant of GNA has not been issued as on the date of coming into effect of these regulations, such applications shall be processed in accordance with the third amendment. In case any additional detail is required to be furnished under the third amendment, or a modification of the application is required to be carried out, such entities shall furnish the same within a period of one month from the coming into effect of these regulations:

Provided that if an application for grant of Connectivity has been made by an entity covered under clause (a) of Regulation 5.8(xi) of these regulations, where Installed capacity is more than the LOA or PPA quantum and application based on LOA or PPA has been made at single location or multiple locations and intimation for in-principle grant of such Connectivity has not been issued by the Nodal Agency as on the date of coming into effect of third amendment of these regulations, the applicant, within one month shall request the Nodal Agency to convert the application as an application under third amendment of these regulations and submit the modified application, failing which the Nodal Agency shall process the application in accordance with the provisions under third amendment of these regulations, and in case the connectivity has been applied for multilocation based on one LoA or PPA, Nodal Agency shall grant Connectivity for the location where the Installed capacity is highest.

- (b) For the cases where an in-principle grant of Connectivity has been intimated but the final grant of Connectivity is yet to be issued, as on the date of coming into effect of the third amendment to these regulations, they shall be treated as under:
 - (i) For cases covered under Regulation 7.1 and 7.2 (Augmentation without ATS) of these regulations, where the Applicant has furnished the Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, as applicable, the Nodal Agency shall issue a final grant of Connectivity and shall sign the Connection agreement in accordance with the provisions under the third

amendment of these regulations. If the Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, as applicable, have not been furnished, the same shall be furnished in terms of the third amendment for further processing of the application as per the third amendment.

- (ii) For cases covered under Regulation 7.2 of these regulations (augmentation with ATS), where all applicable Conn-BGs have been furnished by the Applicant, the Nodal Agency shall issue a final grant of Connectivity and shall sign the Connection agreement in accordance with the provisions under the third amendment of these regulations.
- (iii) For cases covered under Regulation 7.2 of these regulations (augmentation with ATS), where all applicable Conn-BGs have not been furnished by the Applicant, the Nodal Agency within 15 days of notification of these regulations shall intimate the amount of Conn-BGs to be furnished by the Applicant, such Conn-BGs shall be furnished by the Applicant within one month of intimation of the Nodal Agency. On furnishing of all applicable Conn-BGs by the Applicant, the Nodal Agency shall issue the final grant of Connectivity and shall sign the Connection Agreement in accordance with the provisions of the third amendment of these regulations.
- (c) If an application for grant of Connectivity has been made by an entity covered under clause (a) of Regulation 5.8(xi) of these Regulations on the basis of LOA, such entity shall furnish the status of signing of PPA for such LOA quantum to the Nodal Agency (along with date of SCOD pursuant to such PPA for the purpose of Regulation 11A and 24.6 of these regulations), within a period of one month from date of effectiveness of third amendment, failing which the Connectivity shall be revoked. In case a PPA has been signed subsequently, the entity shall be mandated to inform the Nodal Agency about the signing of the PPA, within a period of one week from signing of such PPA, along with the date of SCOD pursuant to such PPA, for the purpose of Regulation 11A and 24.6 of these regulations.
- (d) The entity which has already made an application and whose application is in process or has been granted approval by the Nodal Agency under Regulation 5.2 of these Regulations, prior to the date of effectiveness of these amendments, and where such additional capacity has not achieved COD, shall comply with the following:
 - (i) The entity shall furnish the scheduled date of commercial operation for such additional capacity, within a period of one month from the date of effectiveness of these regulations:

Provided that SCOD for such additional generation capacity shall not be later than the timeline specified in sub-clause (g) of Regulation 5.2 of these regulations, where such timeline shall start from the date of effectiveness of these amendments or date of in-principle grant by the Nodal Agency, whichever is later.

- (ii) The entity shall furnish Conn-BG1 and Conn-BG3 as provided in sub-clause (e) of Regulation 5.2 of these regulations, within the timeline as stipulated in sub-clause (e) of Regulation 5.2 of these regulations or two months from the date of effectiveness of this Regulation, whichever is later, failing which approval for such additional generation capacity shall be revoked.
- (iii) The entity shall furnish documents required as per Regulation 5.8(xi) of these regulations as provided in sub-clause (h) of Regulation 5.2 of these regulations, within two months from the date of effectiveness of this Regulation, failing which approval for such additional generation capacity shall be revoked.
- (iv) Entity shall specify the maximum drawal required from the grid for such additional capacity (for the purpose of charging power for storage), within the quantum of Connectivity, which shall be processed by the Nodal Agency based on available margins or with augmentation, as the case may be. In case augmentation is required to allow such additional drawal within the quantum of Connectivity, the entity may be required to furnish Conn-BG2 in accordance with Regulation 8 of these regulations, as intimated by the Nodal Agency.
- (e) An REGS with storage, which have already applied for Connectivity or are connected to the Grid as on date of effectiveness of these regulations, shall be eligible to make an application to the Nodal Agency seeking maximum quantum of injection and maximum quantum of drawal requirement (for purpose of charging power for storage) from the Grid within the quantum of Connectivity applied for or granted, as the case may be, which shall be processed by the Nodal Agency within a period of 60 days from the date of application. For drawal of start-up power or auxiliary power, the transmission charges under T-GNA or TDR shall be payable by such entity in accordance with the Sharing Regulations.
- (f) An entity covered under Regulation 4.1 of these regulations and which is yet to achieve CoD for full quantum of Connectivity as on date of effectiveness of third amendment, within two weeks

of the effectiveness of third amendment to the GNA Regulations shall submit the details of the promoters and the shareholding pattern of its Company to the Nodal Agency, failing which the Nodal agency shall revoke the Connectivity within one week after expiry of such two weeks, under intimation to the such applicant. Any change in the details of the promoters and the shareholding pattern of the Company post the effectiveness of these regulations shall be considered for the purpose of Regulation 11A(6) of these regulations.

- (g) RPPD where the generation capacity within such RPPD is yet to achieve Commercial operation for the quantum totalling to Connectivity capacity, shall furnish the scheduled date of commercial operation of the generating station under the Renewable Power Park within 3 months of effectiveness of these regulations, failing which firm start date of connectivity for such RPPD shall be taken as SCOD and accordingly Regulation 24.6 of these regulations shall be made applicable on such SCOD.
- (h) Entities have been granted Connectivity based on the LOA or PPA and who have already achieved Commercial operation shall furnish the land documents of the project within a period of one month from the date of effectiveness of these regulations. The Nodal Agency shall map such land documents and ensure that such land documents are not furnished by any other Applicant while seeking new Connectivity or a change in land parcel.”

56. Amendment to Regulation 39.1 of the Principal Regulations:

56.1. Second to fourth provisos of Regulation 39.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that the Nodal Agency shall issue the revised Detailed Procedure in the light of these regulations and submit for the information of the Commission:

Provided further that Nodal Agency shall issue a Detailed Procedure in respect of clause (h-i) of Regulation 2.1 of these regulations, stipulating the criteria of clustering, including geographical proximity, technical feasibility, ISTS planning, and topographical considerations, within 60 days of notification of these regulations after stakeholders’ consultation and shall submit the same for the information of the Commission:

Provided also that the Commission may issue directions for modification of the revised detailed Procedure, wherever considered necessary:

Provided also that the Nodal Agency shall issue revised formats in the light of these regulations:

Provided also that the Nodal Agency shall submit the Detailed Procedure in respect of Regulation 11C of these regulations after stakeholders' consultation within 60 days of notification of these regulations for approval of the Commission."

57. Amendment to Regulation 39.2 of the Principal Regulations:

57.1. A new proviso shall be added to Regulation 39.2 of the Principal Regulations as under:

"Provided also that NLDC shall submit the Detailed Procedure in respect of Regulation 2.1(ak-i) and Regulation 5.6 of these regulations after stakeholders' consultation within 60 days of notification of these regulations for approval of the Commission."

58. Amendment to Regulation 40.2 of the Principal Regulations:

58.1. The words "Regulation 4.1" shall be substituted with the words "Regulation 4" in the main paragraph of Regulation 40.2, and the words "and connected to ISTS" shall be inserted after the words "declared commercial operation" in the proviso to Regulation 40.2 of the Principal Regulations.

59. New Regulation 40.5

59.1. A new Regulation, namely, Regulation 40.5, shall be added after Regulation 40.4 of the Principal Regulations as under:

"40.5. No transmission charges for T-GNA shall be payable, for the purpose of injection into ISTS, by an entity connected to ISTS or to an intra-State transmission system or distribution system."

60. The word 'drawl' occurring once or multiple times in Regulations 2.1(an-i), 16.5, 20.5, 20.6, 26.5, 26.6, 34.2 and Annexure-II of these regulations shall be substituted with the word "drawal".

61. New Annexure-III

61.1. A new Annexure, namely, Annexure-III to monitor the status of the REGS covered under Regulation 4.1, under Regulation 11 A and Regulation 5.8(xi)(a) of these Regulations, shall be added after Annexure-III to the Principal Regulations as under:

Annexure-III**Table 1: Status of the REGS covered under Regulation 4.1 under Regulation 11A of these regulations**

Sl. No.	Applica- tion No.	Applicant Name	Type (Solar/ Wind/ ESS/ Hybrid)	Capacity (MW)	Connect- ivity under LoA/La- nd BG/Lan- d route	Connect- ivity granted (in- principle / final)	Substa- tion Name	SC OD	Start date Connect- ivity (tentativ- e / firm - specify)	Date by which land docum- ents are require- d to be submit- ted	Date of submis- sion of land docum- ents	Date by which Finan- cial Closu- re is requir- ed to be achiev- ed	Date of achieving Financial Closure	Action taken in case of non-com- plia- nce

Table 2: Status of the REGS covered under Regulation 5.8(xi)(a) of these regulations for PPA signing and revocation consequent to termination of LOA or PPA

Sl. No.	Application No.	Applicant Name	Type (Solar/ Wind/ ESS/ Hybrid)	Capacity (MW)	Connectivity under LoA/PPA	Date of signing of PPA	Whether the LOA or the PPA was terminated? If yes, date of termination	Date of revocation of connectivity due to termination or LOA, or PPA	Action taken for revocation

62. New Annexure-IV -

62.1. A new Annexure, namely, Annexure-IV to provide Modalities for Solar Hour Access and Non-Solar Hours Access, shall be added after Annexure-III to the Principal Regulations as under:

Annexure-IV**Modalities of Solar Hour Access and Non-Solar Hour Access****(1) Grant of Connectivity with non-solar hour access to an entity covered under Regulation 5.11 (a) of these regulations:**

(a) Such entity shall be granted Connectivity with non-solar hour access where:

- (i) During non-solar hours, it shall be eligible to inject up to the Connectivity quantum;
- (ii) During the solar hours, the injection rights shall be vested with the entity covered under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) of these regulations up to the Connectivity quantum:

Provided, such entity under Regulation 5.11(a) may enter into an agreement with an entity covered under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) connected at the same ISTS substation, with either of them as a Lead Generator or appoint a QCA (in terms of Grid Code), to utilize each other's solar hour access or non-solar hour access:

Provided also that an entity under Regulation 5.11(a) may enter into an agreement with more than one entity (with Solar hour access) covered under Regulation 5.11(b) or 5.11(c), connected at the same ISTS substation with either of them as a Lead Generator or appoint a QCA (in terms of Grid Code), to utilize each other's solar hour access or non-solar hour access, in following cases:

- (i) entity under Regulation 5.11(a) seeks Connectivity through a separate dedicated line at a spare bay at the ISTS substation;
- (ii) entity under Regulation 5.11(a) seeks to utilize non-solar hour access made available by more than one entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) of these regulations.

(b) Such entity shall be eligible to draw power from the Grid throughout the day for the purpose of charging power for storage, for quantum as applied for and permitted by the Nodal Agency vide the grant of Connectivity to such entity, in terms of these regulations, subject to availability of transmission system. For drawal of start-up power or auxiliary power, the transmission charges under T-GNA or TDR shall be payable by such entity in terms of the Sharing Regulations.

(c) Such entity may seek T-GNA for injection of power during the solar hours such that total schedule of injection during solar hours does not exceed the quantum of Connectivity granted to entity with solar hour access and after meeting the requirement of entity covered under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) of these regulations with whom injection rights during solar hours are vested with. Such T-GNA shall be liable to be curtailed, in case the

original entity with solar hours access revises its schedule upward, as permitted under the Grid Code.

- (d) Such entity, if participating under Ancillary services under the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Regulations), 2022, may be directed by RLDC or NLDC, as applicable, for injection during solar hours or non-solar hours.
- (e) The scheduled date of commercial operation shall not be later than, 24 months from the date of in-principle grant of Connectivity by the Nodal Agency or firm start date of Connectivity, whichever is later.
- (f) In case an entity covered under Regulation 5.11 (a) of these regulations is granted Connectivity through a sub-pooling station of an entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c), an agreement shall be entered into between these entities for sharing of the dedicated transmission system including payment of charges towards using the dedicated transmission system in proportion to the quantum of Connectivity granted to each of such entities which shall be mutually agreed between the parties. The sharing agreement shall be executed and submitted to the Nodal Agency within 6 months of the final grant of connectivity.
- (g) Nodal Agency shall publish, within 30 days of notification of these Regulations, the indicative Capital Cost of various configurations of the dedicated transmission system, including reactive power equipments, as a reference cost to enable the cost sharing between the entities. The Nodal Agency shall update the list and indicative capital cost based on the stakeholders' feedback.
- (h) In case the mutual agreement is not achieved for payment of charges for the dedicated transmission system, including the sub-pooling station of a REGS, sharing of the dedicated transmission system shall be carried out as follows:
 - (i) The entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) shall not charge more than the indicative Capital cost of a similar configuration as notified by the Nodal Agency from the entity under Regulation 5.11(a) for using the dedicated transmission system, proportionate to the quantum of Connectivity for each entity.
 - (ii) An entity covered under Regulation 5.11 (a) of these regulations shall be responsible for the implementation of any modification in the dedicated transmission system and for compliance with the Grid Code and other regulations of the Commission, at its own cost.
- (i) Connectivity Bank Guarantee:
 - (a) For cases covered under Regulation 5.11(a)(i), Connectivity Bank Guarantee viz Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, as the case may

be, shall be furnished by an entity as per the provisions of Regulation 8 of these regulations.

- (b) For cases covered under Regulation 5.11(a)(ii), Connectivity Bank Guarantee viz Conn-BG2 and Conn-BG3, as the case may be, already furnished by an entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) shall be shared on prorated basis between the entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) and entity covered under Regulation 5.11 (a) of these regulations. Conn-BG1, as per Regulation 8 of these regulations, shall be submitted separately by each entity.

(j) One time GNA charges:

- (a) For cases covered under Regulation 5.11(a)(i), One time GNA charges shall be furnished by an entity as per the provisions of Regulation 40 of these regulations.
- (b) For cases covered under Regulation 5.11(a)(ii), One time GNA charges already furnished by an entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) shall be shared on a prorated basis (on the basis of quantum of Connectivity) between the entity under Regulation 5.11(b) or 5.11(c) and entity covered under Regulation 5.11 (a) of these regulations.

- (k) The shared dedicated transmission system shall not form part of the ISTS transmission charges pool.

- (l) In case the entity seeking connectivity under Regulation 5.11(a) of these regulations is an ESS, it may install REGS for the purpose of charging such ESS only. The installed capacity of such REGS shall be indicated in the application, and such REGS shall not be required to furnish documents of Land under Regulation 5.8 or Financial Closure under Regulation 11A of these regulations.

- (m) The grant of Connectivity with non-solar hour access to an entity under Regulation 5.11(a) of these regulations shall be as per the date and time of receipt of the application, and the balance non-solar hour access available at a substation.

Illustration for a tentative situation is given as under:

- (a) Suppose at a sub-station 'S1' having a capacity of 3000 MW, ten entities (entity 'A' to entity 'J') based on solar source have been granted Connectivity at 220 kV bay for 300 MW each. Further, there is space for two additional 400 kV bays at S1. Entity 'A' to entity 'J' get converted as an entity with solar hour access, making available 3000 MW of non-solar hour access at S1.
- (b) Suppose two entities 'P' and 'Q' based on the BESS of 900 MW each, seek Connectivity for non-solar hours access under Regulation 5.11(a)(i)

of these regulations, through vacant 400 kV bays at S1. After granting Connectivity to entities 'P' and 'Q', 1200 MW non-solar access shall be the balance at S1.

(c) Now, suppose four entities based on BESS seeks 300 MW Connectivity under Regulation 5.11(a)(ii) of these regulations, (entity 'W' applies connectivity at bay allocated to existing entity 'B' on 1st day of the month, entity 'X' applies connectivity at bay allocated to existing entity 'D' on 10th day of the month and another entity 'Y' applies connectivity at bay allocated to existing entity 'J' on 10th day of the month, 'Z' applies connectivity at bay allocated to existing entity 'B' on 15th day of the month). Such an application shall be processed in the following manner:

- Entity 'W' shall be granted Connectivity with non-solar hours access at the bay allocated to the existing entity 'B'
- Entity 'X' shall be granted Connectivity with non-solar hours access at the bay allocated to the existing entity 'D'
- Entity 'Y' shall be granted Connectivity with non-solar hours access at the bay allocated to the existing entity 'J'
- Entity 'Z' shall not be granted Connectivity with non-solar hours access at the bay allocated to existing entity 'B' since it is already allocated to 'W' as the time stamp of 'Z' was later than that of 'W'.

Further, 300 MW Connectivity with non-solar hour access will be balance availability at S1 and any applicant seeking such quantum of connectivity at any of the bay of the existing entity with vacant non-solar hour access, may be granted based on its date and time stamp of the application.

(d) Subsequent to steps under sub-clauses (a) to (c), Suppose the existing entity 'D' seeks for change renewable source(s) from Solar to Wind for 200 MW on 15th day of the month, the existing entity 'A' seeks change in renewable source(s) from Solar to Wind for 200 MW on 15th day of the month and another entity 'V' based on BESS seeks 300 MW Connectivity with non-solar hour access at bay allocated to existing entity 'A' on 20th of the month. Such applications shall be processed in the following manner:

- Existing entity 'D' shall not be allowed to change the renewable source(s) as the available non-solar hour access at the bay allocated to the existing entity 'D' has already been granted to a new entity 'X'.
- Existing entity 'A' shall be considered for change of renewable source(s) for 200 MW, subject to meeting other conditions for such change.
- Entity 'V' based on BESS shall not be considered for Connectivity for 300 MW with non-solar hour access, as the remaining capacity at the bay

allocated to existing entity 'A' after a change in configuration for 'A' would remain as 100 MW only. However, if the Entity 'V' agrees, the application for 200 MW may be withdrawn under Regulation 3.7.2 of these regulations, and the Nodal Agency may consider the application for 100 MW.

(2) Connectivity for an entity covered under Regulation 5.11 (b) and 5.11(c) of these regulations:

- (a) Such entity shall be granted Connectivity with solar hour access (with injection scheduling rights corresponding to Connectivity quantum for solar hour and injection scheduling rights corresponding to non-solar capacity, limited to the Connectivity quantum, during non-solar hours). Balance quantum of access during non-solar hours shall be vested in another entity covered under Regulation 5.11(a) of these regulations;
- (b) Such entity shall be eligible to draw power from the Grid throughout the day, for the purpose of charging power for storage, for quantum as applied for and permitted by the Nodal Agency vide the grant of Connectivity to such entity, in terms of these regulations, subject to availability of the transmission system. The transmission charges under T-GNA or TDR shall be payable by such entity for the drawal of start-up power or auxiliary power in terms of the Sharing Regulations.
- (c) Such entity, if participating under Ancillary services in terms of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Regulations), 2022, may be directed by RLDC or NLDC, as applicable, for injection during non-solar hours.
- (d) Such entity may enter into an agreement with one or more entity(ies) covered under Regulation 5.11(a) with either of them as a Lead Generator or appoint a QCA (in terms of Grid Code), to utilize the access of the entity(ies) covered under Regulation 5.11(a) for injection during non-solar hours.
- (e) Entity covered under Regulation 5.11(b) may seek approval for additional generation capacity (with or without ESS) or ESS under Regulation 5.11(a) or Regulation 5.2 of these Regulations, which shall be considered as per the date and time stamp of the application. In case the application under Regulation 5.2 is approved by the Nodal Agency, the balance connectivity quantum shall be considered for grant under Regulation 5.11(a) of these Regulations.

(3) The Nodal Agency, within 30 days of notification of these amendments, shall publish the following list and shall update the same on a monthly basis:

- (a) Substation-wise details of entities who have been intimated in-principle grant of connectivity, final grant of connectivity, whose GNA is effective under clause (a) to (c) of Regulation 5.11 of these Regulations, including quantum of Connectivity granted and their source-wise configuration

- (b) the vacant bay(s), if any, available at the substations covered under sub-clause (a) of this clause, where Connectivity can be granted to an Applicant covered under Regulation 5.11(a) of these regulations.
 - (c) Substation-wise and bay-wise details of non-solar hours Connectivity quantum available for the grant under Regulation 5.11(a) of these regulations.
- (4) As on date of the effectiveness of this Regulation, the Applicant(s) whose application for grant of Connectivity is under process and in principle grant of Connectivity is yet to be intimated, shall also be given three months from the date of effectiveness of this Regulation to make an application under Regulation 5.11 (a) of these regulations for non-solar hours.
- (5) Entities with Solar hour Access and Non-Solar hour access to whom Connectivity has been granted for the same ISTS transmission capacity, either through a separate dedicated transmission system or through sharing of the dedicated transmission system, may make one of the entities among them a 'Lead generator' in terms of Regulation 2.1 (y)(ii) of these regulations or may appoint a QCA in terms of clause (11)(a) of Regulation 45 of the Grid Code, on their behalf to coordinate and facilitate scheduling under the provisions of the Grid Code:
- Provided that if such Applicants appoint a Lead Generator or QCA, scheduling of the power of an entity covered under Regulation 5.11(a) of these regulations may be permitted during solar hours by such Lead Generator or QCA.
- (6) NLDC shall notify the Solar hours and Non-solar hours beginning from the date of notification of these amendments on a weekly basis for each State. NLDC may revise such hours during the week in case of any unforeseen contingency, including weather changes."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./355/2025-26]

Note:

- (i) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 were published on 19.07.2022 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 364.
- (ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 06.04.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 229.
- (iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2023 were published on 01.07.2024 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 469.